C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol. XXIV, Eleventh Session, 2017/1939 (Saka)
No. 23, Friday, March 31, 2017/Chaitra 10, 1939(Saka)

S U B J E C T	**P A G E S**
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 421 to 428	7-84
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 429 to 440	85-111
Unstarred Question Nos. 4831 to 5060	112-550

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	551-557
MESSAGES FROM RAJYA SABHA	558-559
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE	
67th and 68th Reports	560
RAILWAY CONVENTION COMMITTEE	
11th to 14th Reports	560-561
COMMITTEE ON WELFARE OF OTHER BACKWARD CLASSES	
7th Report	561
STANDING COMMITTEE ON ENERGY	
Statements	562
STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMENT AND FORESTS	
294th to 300th Reports	563
BUSINESS OF THE HOUSE	564-571
ELECTION TO COMMITTEE	
National Board for Micro, Small and Medium Enterprises	572
TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL, 2017	573
SUBMISSIONS BY MEMBERS	
(i) Re: Reported racial and hate attacks on African students studying in India.	575-576
(ii) Re: Reported death of civilians during a counter insurgency operation in Jammu and Kashmir.	585-587
FOOTWEAR DESIGN AND DEVELOPMENT INSTITUTE BILL, 2017	612-639
Motion to Consider	612
Shrimati Nirmala Sitharaman	612-616

Shrimati Ranjeet Ranjan	617-623
Shri Gajendra Singh Shekhawat	624-634
Dr. Mamtaz Sanghamita	635-639
MOTION RE: 32nd REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS	640
PRIVATE MEMBER'S RESOLUTION	
Steps to ensure Welfare of Employees Provident Fund Pensioners	641-699
Shri Ajay Misra Teni	641-650
Shri Hukmdeo Narayan Yadav	651-661
Dr. Mamtaz Sanghamita	662-665
Shri Anandrao Adsul	666-669
Shri Ravindra Kumar Ray	670-676
Shri Gopal Shetty	677-684
Shri Abhishek Singh	685-692
Shri Pashupati Nath Singh	693-696
Shri Jugal Kishore	697-699
ANNEXURE – I	
Member-wise Index to Starred Questions	700
Member-wise Index to Unstarred Questions	701-706
ANNEXURE – II	
Ministry-wise Index to Starred Questions	707
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	708

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, March 31, 2017/Chaitra 10, 1939 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Q. No. 421. Shri P.R. Sundaram is not present.

Now the Minister.

(Q. 421)

HON. SPEAKER: Shri Deepender Singh Hooda - not present.

क्या बात है, सभी लोग नाम देते हैं और सदन में उपस्थित नहीं रहते हैं।

सत्यपाल सिंह जी, आप प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

डॉ. सत्यपाल सिंह : अध्यक्ष महोदया, प्रश्न काल में आपने जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सुस्त-सुस्त हैं।

...(व्यवधान)

डॉ. सत्यपाल सिंह : अध्यक्ष महोदया, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बहुत ही अभिनव स्वास्थ्य संबंधी गरीब कल्याण योजनायें चलायी हैं, उनके लिए मैं उनका अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा देने की सरकार की जो प्रतिबद्धता है, मैं उसका बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं।

मैं माननीय मंत्री जी से एक छोटा-सा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम जितनी ताकत, जितना बल, जितना धन और जितना फंड बीमारियों को दूर करने में लगाते हैं, हम लोग उसका लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा भी बीमारी उत्पन्न न होने के लिए, प्रिवेंटिव के लिए नहीं लगाते हैं। रॉक फेलर फाउंडेशन ने वर्ष 1901 में सबसे पहले दुनिया में रॉक फेलर इंस्टिट्यूट फॉर मेडिकल रिसर्च बनाया और उसके बाद अमेरिका में जिस तरह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आने शुरू हुए, उन्होंने हमारी मेडिकल एजुकेशन से प्रिवेंटिव आस्पैक्ट्स को निकाल दिया। आपको मालूम होगा कि डब्ल्यू.एच.ओ. ने कई वर्ष पहले एक वन पेज सप्लिमेंट दिया था और उन्होंने कहा था कि दुनिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, they are not health-giving industries, but are disease-inducing industries....(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया आप प्रश्न पूछिए।

डॉ. सत्यपाल सिंह : अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मेरा सवाल माननीय मंत्री जी से यह है कि हमारा समाज बीमार न हो, अंडरवेट बच्चे पैदा न हों, जिस प्रकार से दुनिया में मेडिकल रिसर्च चल रही हैं और हमारे आयुर्वेद में...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप एक ही सवाल पूछिए। आप इतना क्यों बोल रहे हैं? आप आयुर्वेद की भी बात करेंगे, यह भी बात करेंगे।

डॉ. सत्यपाल सिंह : मेरा यह प्रश्न है कि क्या माननीय मंत्री जी सभी की हेल्थ के लिए, खाने, नींद, शराब, सभी के बारे में एक कंप्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी बनाने की कोशिश करेंगे?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : अध्यक्ष जी, हमने अभी-अभी नेशनल हैल्थ पालिसी, 2017 को पास किया है और अब यह पालिसी इम्प्लीमेंट हो रही है। नेशनल हैल्थ पालिसी का मूल उद्देश्य यही है कि रोग से निरोग की तरफ चला जाए। सिक केयर पालिसी से वैलनेस की तरफ आगे बढ़ें। जब सिक केयर से वैलनेस की तरफ आगे बढ़ना है, तो प्रिवेंटिव पार्ट पर जोर देने की जरूरत है। प्रिवेंटिव पार्ट पर जोर देने के लिए हमने सबसे पहले वैक्सीनेशन बढ़ाया है। देश में वर्ष 2015-16 के दौरान वैक्सीनेशन पांच परसेंट से बढ़ा है, जो कि हर साल एक परसेंट के हिसाब से बढ़ता था। उसके साथ-साथ हमने वैक्सीन्स भी बढ़ाए हैं। वैक्सीन्स बढ़ाने के साथ-साथ हमने न्यू इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। इस बार बजट में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव यूनीवर्सल स्क्रीनिंग का रखा है, जिसमें हाईपर टेंशन, डॉयबिटीज, सर्विक्स कैंसर, ओरल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की यूनीवर्सल स्क्रीनिंग फेज्ड मैनर में सारे देश में कर रहे हैं। इस साल सौ डिस्ट्रिक्ट्स को लिया गया है, जहां यूनीवर्सल स्क्रीनिंग करेंगे और इसके लिए ट्रेनिंग दे दी गई है।

महोदया, किशोर अवस्था के बच्चों के लिए डिफेक्ट्स, डिलेज़, डेफिसिएंसीज़ को भी हम फाइंड आउट करते हैं और उन बच्चों का इलाज भी करते हैं। माननीय सदस्य ने आयुर्वेद की बात भी कही है, मेन स्ट्रीमिंग भी हम कर रहे हैं।

(Q. 422)

SHRIMATI HEMAMALINI : Madam Speaker, I thank you very much for the time given to me. It is a very important matter.

Are there any advanced diagnostic tests available in the country to rule out such disorders at the time of conception? Can this genetic test be made mandatory so that a lot of these disorders can be detected during the early stage of pregnancy?

HON. SPEKAER: Please ask one question only. You will get another chance.

SHRIMATI HEMAMALINI : It is one and the same.

I hear a lot of news that children are born with these kinds of defects especially in rural areas खास तौर से छत्तीसगढ़, झारखंड आदि जगहों पर ऐसा देखने में आया है। But people are not aware about it. With regard to Pre-Implantation Genetic Diagnostic Test, what is the cost and are people aware of such test? What is the Government's take on this?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Madam, as far as gene therapy and gene tests are concerned, research is still going on and accordingly, we are mostly engaged in counseling part rather than the therapy part.

As far as the tests are concerned, the facility is available only in All India Institute of Medical Sciences and in NIMHANS and 522 tests have been done and 293 tests have been done in NIMHANS. This is a very high quality test which we have to undergo and we are trying to see to it that how far it is possible. But counseling part has been started in many Central Hospitals where we are doing it.

SHRIMATI HEMAMALINI : What efforts are being made by ICMR in the field of PGD Test and to make such test cost effective that the common masses of this country can avail of it? How long will they take to produce these diagnostic kits for the PGD Test?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Madam, it is a continuous process. A programme has been taken up in All India Institute of Medical Sciences in collaboration with Institute of Genomics and Integration Biology led by CSIR and NIMHANS. All three of them are working together on this.

As far as the tests are concerned, at this point of time we have got certain tests which we are doing. But continuous research is going on and as we come up with something, we will be going forward in this direction.

DR. RATNA DE (NAG) : Madam Speaker, neurological and neurogenetic disorder is one of the greatest threats to public health. Unless immediate action is taken, neurological and neurogenetic burden is expected to become more serious and unmanageable.

What initiative has been taken by the hon. Minister to deliver affordable diagnostic test and treatment to the Indian urban and rural communities for a better quality of life?

HON. SPEAKER: He has answered it.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Madam, her question can be divided into two parts. If it is about the mental issue, then the answer is, 'yes, we do counseling'. That is part 1. Part 2, when we find such cases, we try to diagnose and give them the treatment and the therapy what we are able to do.

But as far as the general health of the child is concerned, right from the conception period to the delivery period, till the child becomes the adolescent, we call it a life cycle approach, which we have developed. Under that life cycle approach, we give them treatment – antenatal treatment, postnatal treatment, vaccination, supplementation of iron and folic acid – so that the adolescent gets the best treatment. We also fight out the malnutrition.

DR. A. SAMPATH : Madam, in today's Question List, out of the 20 questions, eight relate to the Ministry of Health and Family Welfare.

HON. SPEAKER: Yes. It is a good thing.

DR. A. SAMPATH : Yes, we are very much concerned about the health issues.

HON. SPEAKER: Under Rule 193 also, we have been discussing SDGs relating to Healthcare. So, it is a very good gesture.

DR. A. SAMPATH : Madam Speaker, I would like to express my sincere thanks to my learned friend, Shrimati Hema Malini-ji for asking this Question. When we

speak of health, we speak about the physical health. But what about the mental health of the patient? Why I am asking such a question is that in many of the hospitals, when a patient undergoes a surgery specially the neurosurgery; or sometimes, some women may undergo some surgery, all these cause the patient severe mental pain. We know that before the surgery, there is a fear psychosis in the mind of the patient and some psychological problems may arise to the patient. After the surgery, we come across that many of the patients undergo severe physical strain as well as psychological strain. With the result, mental depression also happens to them.

So, I would like to ask the hon. Minister whether the Government of India would take initiatives for appointing the adequate number of clinical psychologists. Psychology is something different from psychiatry; and clinical psychology is something different from the counseling. The hon. Minister also knows it very well.

So, whether the Government of India can take such an initiative for the appointment of sufficient number of clinical psychologists in the hospitals where the surgeries are also being undertaking for the patients.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Madam, as far as the counseling part is concerned, we do it.

As far as the counselors that he has talked about, are concerned, we have no such proposals. But recently, we have come up with a new Mental Health Policy and we are making it patient-centric. We are trying to see to it. But that is a different thing altogether.

As far as the hospitals are concerned, we do not have such positions. It is not under consideration also.

माननीय अध्यक्ष : सोशल ऑरगेनाइजेशन की भी मदद ली जा सकती है।

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Yes, Madam.

HON. SPEAKER: Thank you.

(Q. 423)

HON. SPEAKER: Mr. N.K. Premchandran. Today, you have got this Question listed in your name.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Thank you.

Madam, every year, 38 million people die due to non-communicable diseases. It is surprising to note that 16 million people death occur before the age of 70; and 82 per cent of these premature deaths is reported from low and middle-income groups. That means, poverty is closely linked to non-communicable diseases.

Madam, in India, 2.7 million people die due to non-communicable disease and 1.4 million people die due to communicable diseases. So, the surge of non-communicable diseases is a threat to progress towards the UN Million Development Goals, and also the Sustainable Development Goals, which is being discussed in this House since yesterday on the initiative of the Madam Speaker.

So, at this juncture, I would like to inform the hon. Minister that most of the communicable diseases, which had already been eradicated totally, are coming back. The example is Malaria and other related diseases.

One point, which may be noted is that when we are discussing about the Sustainable Development Goals, particularly, in relation to health aspect, that is, Health to All, six to seven per cent of the GDP of the world's developed countries is being used and spent on the health sector. Unfortunately, in India – hon. Finance Minister is also here – we are spending one per cent of the total GDP towards health sector. By 2025, we are planning to have it at 2.5 per cent.

Therefore, I would like to know from the hon. Minister whether the Government will take initiative or make a plan so as to have, at least, three per cent of the GDP be spent in the field of health sector so that the health issues can be addressed in a proper way.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Madam, we have a very comprehensive Health Policy. In our Health Policy of 2017, as I told earlier, the focus is from sick care to wellness; to its preventive part. As far as communicable and non-communicable diseases are concerned, we are taking all steps to see that prevention takes place. Shri Premachandran ji has mentioned about Malaria, Tuberculosis and HIV. I may inform him that we have brought them to an arrest and now it is going towards the reverse position. This is what we have done. We are doing accordingly within the targets of MDGs. We are strategizing for the SDGs to do it.

In the New Health Policy, we have kept a provision that 2.5 per cent of the GDP will be spent on health. It will be done till 2025. It is a gradual process. Here, I would like to suggest that just by saying that the budget should three per cent or six per cent is not enough. As I told you earlier, there is no dearth of fund as far as the health sector is concerned. This year there is an increase of 27.7 per cent in the health sector and more than Rs. 10,000 crore have been added in this sector. The reason is that we have been successful in the last two years to see to it that the real expenditure is more than the budget expenditure. Whatever we have targeted we achieved it. The capacity of the states to spend the budget has to be increased. Health being a State Subject, the States has to see to it that they keep it as a priority sector. Secondly, after the 14^{th} Finance Commission, the tax devolution to the states has increased from 32 per cent to 42 per cent. So, the states are also to add into the budget. As far as the budget is concerned, ultimately, it is going to be spent on health in states.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : My second supplementary is regarding non-communicable diseases. The major cause of non-communicable diseases is the change in lifestyle and other environmental factors. We are addressing the complications due to change in lifestyle. There is no proper strategy to prevent it at the primordial stage. So, we are focusing on curing them at the tertiary stage by constructing super specialty hospitals and giving insurance and other amenities to

the patients. I would request the Government to kindly see that the incidence of cancer is increasing like anything. We are addressing it at the tertiary stage.

Therefore, my question to the hon. Minister is this. In the case of increasing incidence of cancer, not much attention is being paid for having research and development to find out the cause of cancer and to address this issue. It is part 'a' of my second supplementary.

The next part of my supplementary is that there is a proposal from the Government of Kerela. The Government of India has assured the Government of Kerala that AIIMS will be provided to the State of Kerala. I would like to know from the Government whether that promise will be fulfilled in the next year or in the immediate future.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Madam, as far as the non-communicable diseases are concerned, of course, to address it at the curative stage, we are spending a lot on cancer under the National Cancer Control Programme. What we have done is that we are opening 20 State Cancer Institutes and spending approximately Rs. 150 crore on each Cancer Institute. We are opening two National Cancer Centres. One is at Jhajhar where we are spending more than Rs. 2,500 crore and it will be operational within one-and-a-half years or two years. It has got the capacity of 800 beds with most ultra modern facilities. That is being done in Jhajhar. Secondly, we are also working on our second campus at Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata, where an amount of Rs. 500 crore is being spent.… (*Interruptions*) Subject to correction, the State of Kerala is getting one State Cancer Institute and one or two tertiary cancer centres. We are working on them. This is what we are doing for cancer. But for the preventive part, I would like to say that what we have introduced and we do not want to burden the students. We have made very pictorial booklets which are in multi languages and in all different regional languages wherein through pictures we want to tell the students what is a healthy lifestyle, what we should eat, what we should not eat, what should be our weight according to the height, what habits we

should develop, what habits we should not develop. So, this is what we are doing in the preventive part to catch them young. The students should be told what is obesity, what weight they should have and what lifestyle they should adhere to. This is what we are doing.

As far as AIIMS is concerned, the Government of India, the Health Department is committed for opening AIIMS in every State and we are going in a phased manner. Certainly, Kerala is also under consideration.

SHRI K.C. VENUGOPAL: Thank you, Madam Speaker. The communicable diseases which had been eradicated earlier are coming back; we are already told that.

ASHA workers are doing very good job in the area of giving awareness to the patients. But, their remuneration is extremely small. When we talk to them, their complaint is that their grievance has not been addressed by the Government of India.

Therefore, my suggestion is this. Curing diseases and giving medicines is one thing, but to give sufficient publicity for these diseases should be a must. ASHA workers can do a major work in that area. I would like to know whether the Minister is thinking about enhancing the allowances of ASHA workers.

I have one more question, Madam. Thank you very much for giving PMSSY. In the UPA period, we started PMSSY. The progress of work has been very slow. I would like to know whether the Ministry is looking into the progress of PMSSY in the medical colleges, especially of the Alappuzha Medical College.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: As far as the ASHA workers are concerned, the Accredited Social Health Activities are doing very good job. Our indicators are improving and they have got a much role to play. Certainly, as far as their allowances are concerned, it is a continuous process which we have taken. According to their work, we are increasing them from time to time. We are concerned about it and we have also asked the States to see to it that they should

also supplement as far as the allowances are concerned. But we are doing it and it is a continuous process which is to be taken.

SHRI SIRAJUDDIN AJMAL : Thank you very much, Madam. The community health care running under the Government institutions in rural India is in a pathetic condition. We have seen that Dhubri, Barpeta, Karimganj and all other districts of Assam, there are no doctors in the hospitals. Even drinking water in places like Barpeta, Jamunamukh has got arsenic and fluoride which is the basic necessity of life. I would like to request the hon. Minister to kindly let me know whether the Government has any mechanism for periodic assessment of these health centres. Secondly, I would like to know whether the Government has any plans to set up more primary health centres in these rural areas.

Madam, I would like to give a good suggestion to the hon. Minister. We run a hospital in Assam in Hojai. It is one of the biggest rural hospitals of South East Asia. Now, I think, if the Government wants, we can do something jointly as a joint venture. We have got a 325-bed hospital, one of the best international standard hospitals and we can come together with the Government with whatever help is required. We also have three satellite hospitals in Assam catering to the needs of various places in Assam. If we can be of any help to the Government in running these health centres in a better way, our services are there. Thank you.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Madam, as far as the quality assurance is concerned, the management and other things are with the State and they see to it. They have to take care. But what we have done is that we have developed a programme which is called "National Quality Assurance Programme for PHCs and CHCs" where we examine them, we give the report to the States and see to it that whatever financial and technical support that they need, that can be given. As far as the joint venture part is concerned, it should come through the State, then only we can examine it.

श्री शैलेश कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार ने बिहार राज्य में दूसरा एम्स बनाने की घोषणा की थी, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? बिहार की

भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि पहला एम्स पटना में है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भौगोलिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यदि भारत सरकार दूसरा एम्स भागलपुर में स्थापित करने का विचार करती है, तो यह निश्चित रूप से अच्छा होगा।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि राज्य सरकार ने दूसरे एम्स के निर्माण के लिए स्थान का चयन कर लिया है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी पूर्ण जानकारी देने की कृपा की जाए?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : महोदया, अभी तक बिहार सरकार ने दूसरे एम्स के लिए जमीन एलॉट नहीं की है और न ही कोई स्थान दिया है। …(व्यवधान)

HON. SPEAKER: No, this is not the way. I have not allowed you. Adhir Ji, how can you ask the question?

Now, Shri Jithender Reddy.

…(व्यवधान)

SHRI A.P. JITHENDER REDDY : Our Chief Minister of Telangana State has requested the Finance Minister Shri Jaitley Ji for an AIIMS. Our KTR has also met our Finance Minister regarding the AIIMS to be sanctioned in Telangana. Last month, our Finance Minister had promised on the floor of the House that the AIIMS will be set up. What I request to the Minister of Health is this. In this year, does the Minister sanction some amount for the AIIMS in Telangana State?

My second question is with regard to the ASHA workers. They are really doing a very good work in the villages and we request that their amount should be enhanced. As we are from the State Government, we are taking care of them. But this scheme is totally a Centrally-sponsored scheme. So, we request that the salary of the ASHA workers should be enhanced.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: As far as AIIMS is concerned, it is under active consideration. It is being actively considered.

As far as the ASHA workers are concerned, I told already that it is a continuous process which is going on and the States should also substitute.

माननीय अध्यक्ष : श्री छेदी पासवान।

श्री छेदी पासवान : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी और मैं पटना यूनिवर्सिटी में साथ ही पढ़े हैं, लेकिन यह दुखद बात है कि वे हम लोगों की परेशानी समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे यहाँ डेली 4-5 मरीज आते हैं। वे इलाज करवाने के लिए एम्स के इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं। माननीय मंत्री जी और सरकार की मेहरबानी से पटना में एम्स खोल दिया गया है। वहाँ निदेशक की बहाली भी हो गई है, लेकिन वहाँ न कोई रिक्रूटमेंट की व्यवस्था है और न इमरजेंसी वॉर्ड खुला है। वहाँ ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था भी नहीं की गई है और न ही अभी तक उसका भवन बन पाया है।

महोदया, सबसे दुखद बात है कि वहाँ एम्स हॉस्पिटल तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बना हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि वे पटना में थोड़ी कृपा करें और जो कमियाँ हैं, उन्हें जल्द ही पूरा कराएं।

HON. SPEAKER: Nothing will go on record except the Minister's reply.

… (*Interruptions*) …*

श्री जगत प्रकाश नड्डा : …(व्यवधान) महोदया, जहाँ तक पटना एम्स का सवाल है, उसमें रिक्रूटमेंट में कुछ लीगल इश्यूज थे, जिसके कारण डिले हुआ। उन सारे इश्यूज को हमने सैटल कर दिया है। वहाँ इंटरव्यूज शुरू हो गए हैं। By November, the recruitment process will be over and by दिसंबर तक हम उसे फुल-फ्लैज्ड ढंग से चलाएंगे।

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर 424 श्री ताम्रध्वज साहू।

---

* Not recorded.

(Q. 424)

श्री ताम्रध्वज साहू : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न रेबीज़ से संबंधित है। यह शब्द बोलने, सुनने और पढ़ने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन यह हार्ट, किडनी, लीवर और कैंसर बीमारियों से भी गंभीर रोग है। नेश्नल हैल्थ पोर्टल के अनुसार रेबीज़ एक घातक बीमारी है। यह बीमारी मानव मस्तिष्क को प्रभावित करती है तथा प्रतिवर्ष होने वाली हजारों मौतों का कारण भी बनती है। विश्व स्वास्थ संगठन के अनुसार एशिया और अफ्रीका में होने वाली 95 प्रतिशत से अधिक लोगों की मौतों के कारणों में रेबीज़ पाया गया है। रेबीज़ एक गंभीर और संक्रामक बीमारी है, जो आवारा बंदरों, कुत्तों, बिल्लियों और नेवलों आदि के काटने से होती है।

माननीय मंत्री जी ने जो आंकड़ा दिया है, उसमें वर्ष 2014 में 125, वर्ष 2015 में 113 और वर्ष 2016 में 86 मौतें हुई हैं। मुझे लगता है कि आंकड़ा बहुत कम है, जबकि हजारों मौतें होती हैं, समाचार पत्रों के अनुसार 15-20 हजार मौतें सालाना होती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपका जो नियम बना है, Animal Birth Control Drugs Rule, 2001, इसका पालन राज्य सरकारों की लोकल बॉडीज़ को करना होता है, जो नहीं करते हैं। कुत्तों को निर्दयता से मारा जाता है। मैं आपसे आदरणीय आग्रह करना चाहता हूं एवं जानना चाहता हूं कि क्या आप राज्य सरकारों को ड्रग्स कंट्रोल रूल, 2001 का सख्ती से पालन करने का निर्देश देंगे। रेबीज़ से होने वाली मौतों का आंकड़ा सही आए और क्या इसके इलाज की समुचित व्यवस्था कराएंगे?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : जहां तक रेबीज़ की रिपोर्टिंग का सवाल है, ये रिपोर्ट्स हमको स्टेट गवर्नमेंट्स से ही मिलती हैं। स्टेट्स की जो रिपोर्ट्स आती हैं, उसके अनुसार ही हम काम करते हैं। हम उनको टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, ताकि वे वैक्सीन्स को खरीद सकें और उनका इस्तेमाल कर सकें। जो इनका जनरल कन्सर्न है, वह हम स्टेट गवर्नमेंट्स तक जरूर पहुंचा देंगे और उसमें हम वर्क करेंगे। इन्होंने जो रूल की बात की है, वह मिनिस्ट्री ऑफ इन्वॉयरमेंट से जुड़ी हुई है, उस रूल का संबंध स्वास्थ्य विभाग से नहीं है, क्योंकि ऐनिमल की दृष्टि से जो चेंजेज़ आने हैं। That is with the Ministry of Environment. उनको ही इसको देखना है।

श्री ताम्रध्वज साहू : अध्यक्ष महोदया जी, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर 'ख' और 'ग' में कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों को ऐसे क्रियाकलापों के लिए सहयोग प्रदान करने का प्रावधान है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप कितना सहयोग देते हैं और इन वर्षों में आपने छत्तीसगढ़ प्रदेश को कितना सहयोग दिया है? एक और आग्रह करना चाहता हूं कि इसे राज्यों के ऊपर न छोड़कर

क्या केंद्र सरकार इसको भी अपनी योजना में शामिल करके अपने अधीन लेंगे, ताकि हजारों आदमियों की मौत को रोका जा सके?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : नेश्नल हैल्थ मिशन में हम लोगों ने इसको देने का कार्यक्रम किया है। उसमें स्टेट्स का जो अपना प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन प्लान है, उस प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में वह जितना पैसा मांगते हैं, हम उतना पैसा देते हैं। इस समय मेरे पास कोई स्टेटवाइस सूची नहीं है। मैं माननीय सदस्य को छत्तीसगढ़ के बारे में बता दूंगा। जो स्टेट्स जितनी आर्थिक सहायता मांगते हैं, हम उनको उतना देते हैं। जहां तक कंपोनेंट का सवाल है, वह ट्रेनिंग के लिए देते हैं, मैनेजमेंट के लिए देते हैं। इन सब चीज़ों के लिए देते हैं।

DR. KULMANI SAMAL : Speaker Madam, thank you very much for giving me an opportunity to raise an important question.

Madam, India has become polio free and we hope we will also make India rabies free. Madam, worldwide 59,000 people die every year because of rabies. Out of them, 20,000 people die every year in India. It is an alarming condition. But here at Delhi, we are staying in South Avenue. Early in the morning when we are going for morning walk, everyday a number of dogs and hundreds of monkeys are coming and jumping and we are very afraid of going on our way. So, care must be taken for this. This is my first point.

Second, as far as I am concerned, the reasons are mostly inadequate availability of vaccine and lack of awareness, as well as the population of street dogs is increasing day by day in rural as well as in urban areas.… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : वह तो इन्होंने बता दिया, आप दवा की बात कीजिए।

DR. KULMANI SAMAL: Hence, my question is, what is the awareness programme being initiated by the Government in this regard and how far we have been successful in our effort to address the problem of rabies? Thank you, Madam.

श्री जगत प्रकाश नड्डा : जहां तक इन्होंने आंकड़े का प्रश्न उठाया है, वह तथ्यों से संबंधित हैं, क्योंकि हमने तथ्य रखे हैं, जिसमें आंकड़े बहुत कम हैं।

दूसरी बात यह कि जहां तक रेबीज़ का सवाल है और उनकी संख्या बढ़ रही है। यह मैन-ऐनिमल कॉन्फ्लिक्ट का विषय है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वॉयरमेंट देखती है। हम उनके क्योर पार्ट को देखते हैं। वैक्सीन्स की कोई कमी नहीं है और उसे एडमिनिस्टर करने के लिए भी कोई कमी नहीं है।

श्री मोहम्मद सलीम : मैडम, मंत्री जी खुद कह रहे हैं कि इसे केन्द्र सरकार की तरफ से उस तरह से मॉनीटर नहीं किया जाता है और राज्य सरकार से जो तथ्य मिलते हैं, It is a matter of under-reporting. क्योंकि आप मान भी रहे हैं। मैं बंगाल से आता हूं। पिछले तीन साल के जो आंकड़े दिये हैं, उसमें पूरे देश के अंदर करीब 40 से 50 प्रतिशत में चालू वर्ष में आधे से ज्यादा मौतों की रिपोर्टिंग बंगाल से है। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आपके उत्तर में ही कहा गया है कि राज्य सरकार को एंटी-रेबीज टीके खरीदने का बंदोबस्त करना चाहिए। हम अक्सर बंगाल में देखते हैं, अखबार में भी रिपोर्ट्स आती हैं और मरीज भी कहते हैं कि टीकों की कमी है, इसकी सप्लाई नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार को यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए या नहीं...(व्यवधान) माननीय सदस्य साउथ एवेन्यू की बात कर रहे थे, हमें यह भी देखना चाहिए कि यहां किसी को रेबीज न हो जाए। मैं कहना चाहता हूं कि लोग मरते रहें और सरकार कह रही है कि सप्लाई में कोई कमी नहीं है, टीके उपलब्ध हैं। परंतु राज्य सरकार अगर टीके नहीं खरीद रही है और ये लोगों को नहीं मिल रहे हैं तो लोगों की जान बचाने के लिए या तो आप मदद करें या कोई हिदायत दें या सैंट्रल मॉनीटरिंग सिस्टम को आप यह कहें कि उन आंकड़ों को हमारे यहां उपलब्ध कराया जाए।

श्री जगत प्रकाश नड्डा : अभी तक हमारा प्रोग्राम इस प्रकार से है कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, खरीदने और उन्हें लगाने का काम स्टेट गवर्नमैन्ट का है। यह ठीक है कि इसके कारण अगर अंडर रिपोर्टिंग हो रही है या इसका ठीक से प्रोक्योरमैन्ट नहीं हो रहा है तो उसमें हम सपोर्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि इसके जो गैप्स हैं, यदि उन्हें फिल करना हो तो उसके लिए भी हम फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे।

SHRI ANIL SHIROLE : Thank you, Madam Speaker. I want to know from the hon. Minister whether the Government has thought of eliminating the street dog population and, if so, the details of action taken and the results thereof.

Does the Government have any other action in mind so that people can lead stress-free life and, if so, the details thereof?

श्री जगत प्रकाश नड्डा : महोदया, डॉग्स की पापुलेशन कंट्रोल करना मेरे मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है।

(Q. 425)

श्री महेश गिरी : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सरकार 'कारा' केन्द्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण के माध्यम से बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठा रही है? क्योंकि कई परिवार ऐसे हैं, जो दत्तक लेना चाहते हैं, परंतु उन्हें एक-एक, दो-दो साल का वक्त लगता है और उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं। उनकी गोद लेने की इच्छा होती है, लेकिन वह प्रक्रिया इतनी लम्बी चलती है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि उसमें तेजी लाने की क्या प्रक्रिया है और उसका क्या ब्यौरा है, जिससे इसमें तेजी आए?

श्रीमती कृष्णा राज : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने बालकों को संरक्षण देने के लिए चिंता व्यक्त की है। हमारे मंत्रालय में वैसे तो गोद लेने प्रक्रिया पहले भी थी, जो हिन्दू एक्ट के तहत है, लेकिन दत्तक ग्रहण अधिनियम, 2015 जो किशोर न्याय के माध्यम से बना है, 4 जनवरी, 2017 को यह अधिसूचित हुआ है और इसे लागू कर दिया गया है। लेकिन माननीय सदस्य सही कह रहे हैं कि यह प्रक्रिया लम्बी है। 'कारा' हमारी एक एजेन्सी है और इसमें जो हमारी 'केरिंग्स' है, उसके माध्यम से एक नोडल एजेन्सी है, जिसके माध्यम से हम पूरे देश में पारदर्शिता लाने के लिए जो गोद लेने के इच्छुक लोग हैं, चाहे वे देश के हों या विदेश के हों, उन्हें एक सूचीक्रम में रखा जाता है। माननीय सदस्य ने दिव्यांग या विशिष्ट बच्चों के बारे में पूछा है। जो सामान्य बच्चे हैं, उन्हें गोद लेने के लिए क्रम में ही आना पड़ेगा, लेकिन अगर विशिष्ट बच्वें हैं तो हम उन्हें मात्र 15 दिनों के अंदर गोद लेने की प्रक्रिया में उपलब्ध करा देते हैं।

श्री महेश गिरी : महोदया, धन्यवाद। वैसे यह एक व्यक्तिगत बात है तो मैं माननीया मंत्री जी से मिलकर ही करूँगा, क्योंकि एक परिवार दिव्यांग बच्चों के लिए भी बहुत परेशान है तो मैं माननीया मंत्री जी से मिलकर के बात कर ही लूँगा।

मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि क्या कारा के साथ कोई सहयोगी संस्थाएँ भी काम कर रही हैं या यह संस्था इंडविजुअल ही काम करती है। अगर सहयोगी संस्था कोई काम करती है या करना चाहती है तो उसके लिए कोई पात्रता या कोई मानदण्ड क्या मंत्रालय ने तय किये हुए हैं, क्या सरकार की तरफ से ऐसी कोई संस्था चलायी जा रही है, अगर ऐसा है तो उसकी जानकारी सदन को दी जाये?

श्रीमती कृष्णा राज : महोदया, कारा एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत बना है, जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर बना है। इसकी नोडल एजेंसियाँ भी हैं। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली ने यह निर्देशित किया है कि हमारे मंत्रालय में पहले ही, तमाम गैर-सरकारी संगठन हैं, मनोचिकित्सक हैं और जो हमारे संगठन में

इस तरह का कार्य करने के सहयोगी हैं, उन सबकी राय, सुझाव और इनके माध्यम से ही हमारा मसौदा तैयार होता है, जो इसकी प्रक्रिया होती है, उनको लेकर ही हम इसको अपने कारा के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं।

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA : Madam, in a country of our size and population, adoptions are relatively low, although they are increasing. The rules and regulations often get in the way. So, I commend the hon. Minister for pointing out that she will take steps, but when it comes to children with disabilities and special needs, then the hurdle becomes even more. The number of such children that get a home to grow up in, in our country, is very low.

So, I would like to ask the hon. Minister whether she will consider not just streamlining the laws for adoption of children with special needs but also consider providing some incentives because these children have extra expenses associated expenses associated for families who take them on. They will require, sometimes, some treatment, some gadgets or some special programmes. Will she consider coming up with incentives? Even if it is not a financial incentive, at least she may consider to have a programme to give honour and recognition to those families who adopt and take care of children with special needs.

श्रीमती कृष्णा राज : महोदया, सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूँगी कि अब तक आपने देखा होगा कि दिव्यांग बच्चों को ले जाने वाली सूची में 50 फीसदी वे लोग हैं, जो बच्चों को बाहर ले जाते हैं, उनको उपलब्ध कराया जाता है और उसके आंकड़े भी हैं। इन्हें हमने आपको प्रस्तुत भी किया है। साथ में ही हमारा जो कारा है, यह मंत्रालय की ही एजेंसी है, कारा में जो सहयोग करने वाले लोग हैं, चाहे वे चिकित्सक हों, चाहे मनोवैज्ञानिक हों, मैं साथ में यह भी बताना चाहूंगी कि अनुसूची 18 में एम्स के डॉक्टरों ने हमें यह बताया है कि ये-ये बच्चे विकलांगता की सूची में आते हैं। दिव्यांग बच्चों को गोद लेने वाले जो अभिभावक होते हैं, उनको यह बता दिया जाता है। मैं यह भी बताना चाहूंगी कि जो गोद लिए हुए बच्चे होते हैं, देश में उनकी 4 बार रिपोर्टिंग ली जाती है, हम दो साल तक रिपोर्टिंग करते हैं कि हमारा बच्चा कहीं गलत हाथों में तो नहीं गया और विदेश में यही रिपोर्टिंग हम 6 बार करते हैं। ऐसा लगता है कि जब हम बच्चे को गोद देते हैं और इस प्रक्रिया के माध्यम से हम उसको उचित स्थान पर पहुंचा देते हैं।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : महोदया, दिव्यांग और विशिष्ट आवश्यकताओं वाले जो बच्चे होते हैं, इनकी देखभाल बहुत विशेष रूप से करनी पड़ती है। जो माता-पिता इनको गोद लेते हैं, गोद लेने के बाद कुछ बच्चे शारीरिक रूप से अकेले दिव्यांग होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे शारीरिक के साथ-साथ मानसिक रूप से भी दिव्यांग होते हैं। ऐसे बच्चे कभी रोते हैं, कभी गाने लगते हैं। उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना और उनकी पूर्ति करना जरूरी होता है। माननीय मंत्री महोदया जी ने अभी जो उत्तर दिया, उन्होंने बताया कि गोद देने के बाद 6-6 महीने में मानिटरिंग की व्यवस्था की जाती है, यह एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। भोपाल में मैंने एक डॉक्टर दम्पत्ति को देखा कि उन्होंने एक दिव्यांग बच्चे को गोद लिया था और वह बच्चा बड़ा होने के बाद भी, उनका कोई बच्चा नहीं हुआ, उस बच्चे की उन्होंने इतनी अच्छी ढंग से देखभाल की कि उनके देखभाल की व्यवस्था को देखकर मन श्रद्धा से भर गया।

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन्होंने मानीटरिंग की जो व्यवस्था बताई, वह उन्होंने चार बार की बताई, लेकिन दस-बारह साल के बाद भी वह बच्चा जिसको गोद दिया गया है, उसकी देखभाल ठीक ढंग से हो रही है, क्या इसकी मानीटरिंग के बारे में भी वह कोई विचार करेंगी?

श्रीमती कृष्णा राज : हमारी जो वित्तीय सहायता, जो चाइल्ड केयर संस्थान है, इसके माध्यम से ये लोग इस तरह से मानीटरिंग करते रहते हैं। आपका सवाल था कि स्वास्थ्य की दृष्टि से पहले ही जो पैरेंट्स ऐसे बच्चों को गोद लेते हैं, उनको उस सूची को पहले ही उपलब्ध करा दिया जाता है। जैसा कि अभी बताया कि किसी ने बच्चा गोद लिया और बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ रहा। इस तरह से यह गाइडलाइन दी जाती है और उनको जागरूक किया जाता है कि यह इस तरह का बच्चा है, इसको भविष्य में ये-ये चिकित्सकीय सुविधायें देनी चाहिए और ऐसा लोग करते हैं।

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नम्बर 426

श्री दिलीप मनसुखलाल गांधी जी - उपस्थित नहीं।

Now, the hon. Minister.

(Q. 426)

श्री वीरेन्द्र कश्यप : महोदया, आपने प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मेरा माननीय डिफेंस मिनिस्टर साहब से एक सीधा सा छोटा सा प्रश्न है कि जो हमारे कैन्टान्मेंट बोड्र्स हैं, उसके बीच में या उसके आस-पास किसानों को या कुछ लोगों को 50-60 साल से वहाँ जमीनें दी गई हैं और आज डिफेंस की तरफ से कुछ ऐसे आदेश जा रहे हैं कि उन जमीनों को वे खाली करें, वैकेट करें। मेरी शिमला पार्लियामेंट्री कांस्टीट्यूएंसी में इस प्रकार के चार कैंट बोड्र्स हैं, वहाँ पर यह परेशानी आ रही है, खासकर के डगशाई का जो कैंट बोर्ड है। वहाँ पर लोग इससे परेशान हैं। मैं माननीय डिफेंस मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि क्या इस प्रकार के कोई आदेश आपकी तरफ से या आपके विभाग की तरफ से गये हैं, यदि गये हैं तो क्या उनकी जमीनों को, वहाँ 50-60-70 साल से उन्होंने अपने घर बना रखे हैं या उसको डेवलप किया है, आप उन आदेशों को निरस्त करेंगे या कोई इस प्रकार के आदेश भेजेंगे, ताकि उनको वह जमीन, जो उन्होंने इतने सालों तक अपने खून-पसीने से तैयार की है, उसको उनके पास बनाये रखने की कोई व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद।

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE : Madam, this particular issue of the agriculture land lease is in the court of law, and at present, there is a stay over there on it. Once the stay is lifted, the decision will be taken after examination in the Ministry of Defence.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : महोदया, मंत्री महोदय ने उत्तर में दिया है कि स्वतंत्रता के बाद 8.38 लाख एकड़ जमीन रक्षा विभाग के लिए सम्पादित की है। मेरे चुनाव क्षेत्र में, महाराष्ट्र में डीआरडीओ के लिए वर्ष 2003 में जमीन का अधिग्रहण किया था, बल्कि उस टाइम 190 एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी और किसानों को मुआवजा 5 लाख रुपये प्रति एकड़ देने के लिए तय किया था, जबकि वहाँ किसानों को 2 लाख 40 हजार रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया है। जमीन अधिग्रहण का काम राज्य सरकार करती है और राज्य सरकार के द्वारा जमीन का अधिग्रहण किया जाता है। वर्ष 2003 से आज तक किसान 15 लाख रुपये प्रति एकड़ जमीन का मुआवजा माँग रहे थे, लेकिन सरकार ने 2 लाख 40 हजार रुपये प्रति एकड़ जमीन का मुआवजा दिया। आज वहाँ एक एकड़ जमीन का भाव करीब एक से डेढ़ करोड़ रुपये है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आज वहाँ के किसान आन्दोलन कर रहे हैं, उन्होंने अपनी खुद की जमीन रक्षा विभाग के लिए, देश के लिए समर्पित की है, फिर भी आज उनको मुआवजा नहीं मिला और अच्छी-खासी फसल की जमीन उन्होंने सरकार को दी है। राज्य सरकार इस बारे में कुछ भी अपने ऊपर नहीं लेती है और न ही केन्द्र सरकार लेती है।

महोदया, मैं 2.5 साल से राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और रक्षा विभाग के पास चक्कर काटता आया हूँ, लेकिन आज तक उस किसान को न्याय नहीं मिला है। क्या सरकार यह सोच रही है कि किसान आत्महत्या करे, तभी उसे न्याय मिले। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से, सरकार से पूछना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में तलेगाँव से डीआरडीओ को, रक्षा विभाग को जिन किसानों ने अपनी जमीन दी है, उन्हें मुआवजा कब मिलेगा?

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE: Madam, through you, I would like to inform the House that more than 8 lakh acre land is under MoD, especially for the services i.e., Army, Air Force and Navy. During that acquisition, the laws which were applicable at that particular time, according to which, the State Government authorities and the collectorate worked out the compensation to be given to the farmers. According to that, this compensation has been given. That time, whatever the land acquisition rules were applicable, it was done in that spirit. Recently, the land acquisition procedures and rules have been changed. Now we are getting at least four times more compensation than what they used to get during that period.… (*Interruptions*)

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : महोदया, जितना मुआवज़ा तय किया गया था, उतना भी नहीं दिया गया।

SHRI ABHIJIT MUKHERJEE : Thank you, Madam, for giving me the opportunity to speak. Through you, I would like to ask the hon. Minister whether the Government has any plan to vacate occupied lands in the cantonment Meerut as well as the Air Force cantonment Kanpur and to secure the rest of the land available there.

DR. SUBHASH RAMRAO BHAMRE: Madam, I would like to inform the hon. Member that this is a local issue. I assure him that I will go through the details. I will examine it and give him all the details.

(Q. 427)

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT : Madam, despite making gains in the child stunting in the past few years, the overall nutrition related performance of India remains dismal and it is a cause of worry. Madam, today malnutrition affected children, if we see, are almost 70 per cent among the school going children. One of the reasons for this is lack of true implementation of schemes like ICDS, Mid-day Meals which have heavy leakages and which are not duly targeted. The Second reason is non-availability of good nutrition due to poverty. The third reason is lack of awareness among the people about balanced diet. The fourth reason is lack of hygiene and sanitation which is leading to different diseases among the children. The last reason is poor coordination in various schemes of the Government.

When we talk of malnutrition and addressing malnutrition, it involves different Ministries. It is not only Health Ministry, but also the Women and Child Ministry, the Education Ministry, and the Food and Civil Supply Ministry and because of lack of coordination in all these Ministries, till date, we are not able to solve this issue of malnutrition.

Madam, through you I would like to know from the hon. Minister whether there is any plan in the Government to make any National Nutrition Mission which can involve all these Ministries in implementation part and fight for malnutrition in the country.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: The concern of the hon. Member is very correct. We have been taking up various programmes. The issue of coordination has to be addressed which we are trying to do but, at this point of time, there is no consideration of making a National Nutrition Mission or something. But, yes, better coordination has to be done.

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT : Madam, I think it is very important that there should be a National Nutrition Mission and I would request the hon. Minister

that if there is no such plan, then the Government should plan for the National Nutrition Mission in the country.

Madam, I represent Nandurbar constituency which is a tribal constituency. If we see malnutrition, it is mostly in the tribal areas in the country. In my constituency, there is also malnutrition. While studying of 'why there is malnutrition in the tribal areas', one thing which has been highlighted which I have also seen in my constituency is that both the mother and father go to work in the field as labourers and there is nobody to feed the child at home.

In our country, in Chhattisgarh, in Bilaspur District, which is again a tribal district, this issue of malnutrition has been solved by providing crèche facilities in the villages. Here, the children are left in the crèche and there is somebody to feed the child the whole day.

Today, the Government of India has initiated the Skill Development Ministry. I would like to ask the hon. Minister, through you, whether it is possible that crèche facility is provided at different villages in the tribal areas, where children can be left and they can be fed, at least, four to five times a day.

Secondly, if these pregnant and lactating mother can be given some skill training at that crèche level, the mother can feed the child at the same place.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: The suggestion is noted.

माननीय अध्यक्ष : श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा जी, देखिए, यह भी अभी-अभी पिता बने हैं, इसलिए यह भी न्यूट्रिशन को समझेंगे।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : माननीय अध्यक्ष महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे मंत्री जी ने अपने पिछले उत्तर में झज्जर के बाढ़सा गांव में, जो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बन रहा है, उसके बारे में जानकारी दी थी। वहां पर नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन भी बन रहा है। झज्जर के बाढ़सा गांव के 300 एकड़ की भूमि में एक बहुत बड़ी एम्स की परियोजना तैयार की जा रही है, जिसमें 11 नेशनल इंस्टीट्यूटस हैं, इसी में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन भी शामिल है। यह प्रश्न हमारे मंत्री जी के उत्तर से जुड़ा है।

नेशनल कार्डियो वैस्कुलर सेंटर की मंजूरी वर्ष 2009 में हुई थी तथा नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का काम वर्ष 2012 के बाद शुरू हुआ था। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ढाई हजार करोड़ रूपये का प्रोजेक्ट है, इसमें कार्य तो प्रगति पर है और इससे हमें संतुष्टि भी है। वहां पर एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कंपलेक्स स्थापित किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि इससे पूरे देश को इससे काफी फायदा होगा। इस संदर्भ में मैं मंत्री जी से भी कई बार मिला हूं, मगर जो बाकी 11 संस्थान हैं, इनमें अभी काम शुरू नहीं हुआ है। इस संबंध में मैं मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं कि बाकी संस्थानों को पूरा करने का कब तक का लक्ष्य रखा गया है और झज्जर का एम्स अस्पताल कब तक देश को समर्पित हो पाएगा।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: इसका प्लान इम्पिलिमेंटेशन तो बड़ा ही कंप्रिहेंसिव बना है। इस समय मैं एक्जैक्टली उत्तर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं देखूंगा कि जो प्लान के अनुसार है, वह कार्य जरूर होगा।

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA : Thank you, Madam Speaker, for giving me this opportunity.

This is regarding a very important issue of malnutrition and children in the tribal areas are suffering from not only malnutrition but also they are anaemic. Due to bloodlessness, they are suffering from vector borne diseases and they are subject to many other diseases.

Is the Government contemplating a programme for the children to provide medicines which will address the issues of anaemia and also provide vitamin tablets to the children as they are living in rural and tribal areas? I wish to know from the hon. Minister whether the Government is contemplating, through NRHM, any programme for the children in rural areas.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Madam, I share the concern of the hon. Member, but I would like to also enlighten that please do see to it that the State Governments utilize the programmes undertaken by the Ministry of Health and Family Welfare for preventive part. We give them iron and folic acid right from the pregnancy till the delivery, and after the child is born to the child also till the child reaches adolescent age. All types of screening are being done. So, it is for the State Government to see that they utilize the programmes undertaken by the Ministry. As far as technical and financial support for medicines are concerned,

we have got a weekly iron and folic supplementation programme where we give them to the children, to the lactating mothers, and even after the delivery to the mother for a specified amount of time. We give them all such supplementation and we will carry forward with that.

(Q. 428)

PROF. RICHARD HAY : Madam, this issue is about the daylight robbery by Shylocks of the chit funds in the country. They are cheating the gullible, innocent, misled and misinformed investors. The list has been circulated here. I thank the hon. Minister for giving a comprehensive reply. But my question is: can the Government of India bring within the purview of investment awareness programmes all the private and public chit fund companies and even cooperative societies which, sometimes, do not follow the KYC and proper banking regulations, and also the private money lenders who cheat the poor investors?

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मैडम स्पीकर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, वह इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम से संबंधित है। मेरा इस संबंध में कहना है कि जब से श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, जो ऐसी कंपनियां फ्रॉडुलेंट तरीके से इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करती हैं, उसको रोकने का प्रयास यह सरकार बहुत तेजी से कर रही है।

मैं आपको आंकड़े देना चाहूंगा। हमने एनेक्शर सेकेंड में एक लिस्ट दी है, जिससे साबित होता है कि वर्ष 2013-14 में ऐसी कंपनियां 63 थीं, ये 2014-15 में 51 हो गईं, 2015-16 में 47 रह गईं और 2016-17 के हम आंकड़े प्राप्त कर रहे हैं, यह संख्या 24 आई है। इससे लगता है कि ऐसी कंपनियों के खिलाफ सरकार सख्ती से कार्रवाई करती है।

12.00 hours

PAPERS LAID ON THE TABLE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANACE (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): Madam, to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Empowered Committee of State Finance Ministers, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Empowered Committee of State Finance Ministers, New Delhi, for the year 2015-2016.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6795/16/17]

(3) A copy of Notification No. G.S.R.204(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 8th March, 2017, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. 25/2012-Service Tax dated 20th June, 2012 under sub-section (4) of section 94 of the Finance Act, 1994.

[Placed in Library, See No. LT 6796/16/17]

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 159 of the Customs Act, 1962:-

(i) G.S.R.284(E) published in Gazette of India dated 23rd March, 2017, together with an explanatory memorandum making certain amendments in 20 notifications, mentioned therein, for implementing various Export Promotion Schemes so as to include the port at Hazira (Surat) in the list of ports from where imports and exports under such Export Promotion Schemes are permitted and it is a trade facilitation measure.

(ii) G.S.R.287(E) published in Gazette of India dated 23rd March, 2017, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-Cus., dated 17th March, 2012.

[Placed in Library, See No. LT 6797/16/17]

(5) A copy of Notification No. G.S.R.249(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 15th March, 2017, together with an explanatory memorandum seeking to prescribe provisional assessment of all imports of “Phosphoric Acid-Technical Grade and Food Grade (including Industrial Grade)”, originating in, or exported from People’s Republic of China by M/s Guyangxi Quinzhou Capital Success Chemical Company Limited into India without collecting anti-dumping duty already imposed, subject to furnishing of security or guarantee, pending the outcome of New Shipper Review initiated by Directorate General of Anti-dumping and Allied duties under sub-section (7) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

[Placed in Library, See No. LT 6798/16/17]

(6) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) sub-section (2) of Section 3 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993:-

(i) S.O.254(E) published in Gazette of India dated 25th January, 2017 establishing one more Debt Recovery Tribunal at Hyderabad in the State of Telanagana.

(ii) S.O.298(E) published in Gazette of India dated 30th January, 2017 establishing one more Debt Recovery Tribunal at Bengaluru in the State of Karnataka.

(iii) S.O.379(E) published in Gazette of India dated 9th February, 2017 establishing one more Debt Recovery Tribunal at Chandigarh in the Union Territory of Chandigarh.

(iv) S.O.454(E) published in Gazette of India dated 15th February, 2017 establishing Debt Recovery Tribunal at Dehradun in the State of Uttarakhand.

(v) S.O.831(E) published in Gazette of India dated 15th March, 2017 establishing Debt Recovery Tribunal at Siliguri in the State of West Bengal.

(vi) S.O.253(E) published in Gazette of India dated 25th January, 2017 regarding revision of Jurisdicition of Debt Recovery Tribunal-I&II at Ernakulam in the State of Kerala.

(vii) S.O.696(E) published in Gazette of India dated 3rd March, 2017 regarding change of address of Debt Recovery Tribunal-I&II at Chandigarh in the Union Territory of Chandigarh.

[Placed in Library, See No. LT 6799/16/17]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6800/16/17]

(3) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अधीन खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) सातवां संशोधन विनियम, 2016 जो 8 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं0 एफ0 सं011/09 /रेग/हारमोनिज/2014 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6801/16/17]

(4) भारतीय नर्सिंग परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 16 की उप-धारा (3) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-:

(एक) भारतीय नर्सिंग परिषद "पाठ्यक्रम और विनियमः जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी में डिप्लोमा; संशोधन, 2015" जो 28 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं0एफ0सं0 1-16/2015-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सहायक नर्स और मिडवाइफ-पाठ्यक्रम और विनियम जो 3 जनवरी, 2017 के भारत में राजपत्र में अधिसूचना सं0 एफ0 सं0 11-1/2015-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 6802/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) (Amendment) Regulations, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/018 in Gazette of India dated 12th January, 2017 under Section 31 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

[Placed in Library, See No. LT 6803/16/17]

(2) A copy of the Statement (Hindi and English versions) on Quarterly Review of the trends in receipts and expenditure in relation to the budget at the end of the third quarter of the Financial year 2016-2017, under sub-section (1) of Section 7 of Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2003.

[Placed in Library, See No. LT 6804/16/17]

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा राज) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :-

(1) (एक) नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शान वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6805/16/17]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते): महोदया, मैं श्रीमती अनुप्रिया पटेल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) पोपुलेशन रिसर्च सेंट (हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी), शिमला के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी), शिमला के वर्ष 2015- 2016 की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6806/16/17]

(3) (एक) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिक्स, महाराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वडोदरा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिक्स, महाराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वडोदरा के वर्ष 2015-2016 की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6807/16/17]

(5) (एक) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर), श्रीनगर के वर्ष 2015- 2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पोपुलेशन रिसर्च सेंटर (यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर), श्रीनगर के वर्ष 2015-2016 की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6808/16/17]

12.0 ½ hours

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY GENERAL: Madam Speaker, I have to report three messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

(i) "In accordance with the provisions of rule 115 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 30th March, 2017, agreed to the following amendments made by the Lok Sabha at its sitting held on the 27th March, 2017, in the Mental Healthcare Bill, 2016."

ENACTING FORMULA

1. That at page 1, line 1, ***for*** the word "Sixty-seventh", the word "Sixty-eighth" be ***substituted***.

CLAUSE 1

2. That at page 1, line 5, ***for*** the figure "2016", the figure "2017" be ***substituted***.
3. That at page 2, line 3, ***for*** the figure "2016", the figure "2017" be ***substituted***.

(ii) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (Railways) No.2 Bill, 2017, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 20th March, 2017 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

(iii) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (Railways) Bill, 2017, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 20th March, 2017 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

12.01 hours

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

67th and 68th Reports

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदया, मैं लोक लेखा समिति (2016-17) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :-

(1) "कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) का निष्पादन लेखा परीक्षा और ईएसआईसी की चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं की विशेष लेखा परीक्षा" विषय पर 67वां प्रतिवेदन।

(2) "स्वीकृत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोग से अतिरिक्त धनराशि (2014-15)" विषय पर 68वां प्रतिवेदन।

12.01 ½ hours

RAILWAY CONVENTION COMMITTEE

11th to 14th Reports

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Railway Convention Committee:-

(1) Eleventh Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Exploring PPP Avenues in Railway Infrastructure'.

(2) Twelfth Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Green Energy Initiatives in Indian Railways'.

(3) Thirteenth Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Fourth Report on Role of IRFC and use of SPV methodology in financing development needs of Indian Railways'.

(4) Fourteenth Report (Sixteenth Lok Sabha) on 'Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations of the Committee contained in their Fifth Report on 'Share of Railway Traffic *vis-a-vis* Air and Road Transport - An Evaluation'.

12.02 hours

COMMITTEE ON WELFARE OF OTHER BACKWARD CLASSES

7th Report

श्री गणेश सिंह (सतना) : महोदया, मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित 'इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड' में नियोजन में अ0पि0व0 का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किए जाने तथा उनके कल्याण के लिए किए गए उपाय, विषय पर अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समिति (2015-2016) (सोलहवीं लोक सभा) के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों / टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समिति (2016-17) का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.02 ½ hours

STANDING COMMITTEE ON ENERGY

Statements

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : महोदया मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2016-17) के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं : -

(1) विद्युत मंत्रालय की वर्ष 2015-16 की अनुदानों की मांगों के बारे में समिति के पांचवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय - 1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(2) 'ऊर्जा संरक्षण' के बारे में समिति के 7वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय -I और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(3) 'लघु जल विद्युत क्षेत्र का विकास और स्थिति' के बारे में समिति के 13वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय - I और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(4) विद्युत मंत्रालय के वर्ष 2016-17 की अनुदानों की मांगों के बारे में समिति के 15वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) के अध्याय - I में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

12.03 hours

STANDING COMMITTEE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY, ENVIRONMENT AND FORESTS

294th to 300th Reports

SHRI DADDAN MISHRA (SHRAWASTI): Madam, I beg to lay on the table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Science & Technology, Environment & Forests:-

(1) Two Hundred Ninety-fourth Report on Demands for Grants (2017-2018) of the Ministry of Earth Sciences.

(2) Two Hundred Ninety-fifth Report on Demands for Grants (2017-2018) of the Department of Biotechnology.

(3) Two Hundred Ninety-sixth Report on Demands for Grants (2017-2018) of the Department of Science & Technology.

(4) Two Hundred Ninety-seventh Report on Demands for Grants (2017-2018) of the Department of Scientific and Industrial Research.

(5) Two Hundred Ninety-eighth Report on Demands for Grants (2017-2018) of the Department of Space.

(6) Two Hundred Ninety-ninth Report on Demands for Grants (2017-2018) of the Department of Atomic Energy.

(7) Three Hundredth Report on Demands for Grants (2017-2018) of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

____

12.03 ½ hours

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.S. AHLUWALIA): Madam, with your permission, I rise to announce that Government Business for the remaining part of the Session will consist of:-

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper: - [it contains consideration and passing of (i) The Footwear Design and Development Institute Bill, 2017 (U) The Repealing and Amending Bill, 2017 and (iii) The Indian Institutes of Management Bill, 2017.]

2. Further consideration and passing of the Collection of Statistics (Amendment) Bill, 2017.

3. Consideration and passing of the following Bills: -

   (a) The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2016.

   (b) The Taxation Laws (Amendment) Bill, 2017.

   (c) The National Bank for Agriculture and Rural Development (Amendment) Bill, 2017.

   (d) The Constitution (One Hundred and Twenty Third Amendment) Bill, 2017.

   (e) The National Commission for Backward Classes (Repeal) Bill, 2017.

   (f) The Indian Institutes of Information Technology (Amendment) Bill, 2017.

4. Consideration and passing of the Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention and Control) Bill, 2014, as passed by Rajya Sabha.

5. Consideration and agreeing to the amendments made by Rajya Sabha to the Employees' Compensation (Amendment) Bill, 2016, as passed by Lok Sabha.

6. Consideration and agreeing to the amendments made by Rajya Sabha to the following Bills, as passed by Lok Sabha, after they are passed by Rajya Sabha: -

   (a) The Factories (Amendment) Bill, 2016.

   (b) The Whistle Blowers Protection (Amendment) Bill, 2015.

HON. SPEAKER: Now, Submission by Members. Shrimati Rama Devi.

… (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): The Government is changing the business without any knowledge. …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बिजनस एडवाइज़री कमेटी की रिपोर्ट है। हमने जो पास की, वही है।

…(व्यवधान)

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): अध्यक्ष महोदया, कृपया अगले सप्ताह की लोक सभा की कार्यवाही में मेरे निम्नलिखित एजेंडे को शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें-

केन्द्र सरकार ने बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों के थानों में पुलिस की कमी को देखते हुए 3000 रुपये के मानदेय पर हजारों की संख्या में विशेष पुलिस पदाधिकारियों की बहाली की थी। मेरे संसदीय क्षेत्र के भी शिवहर, सीतामढ़ी एवं पूर्वी चम्पारण जिलों में सैंकड़ों बेरोजगार लोगों को एस.पी.ओ. के पद पर बहाल किया गया था जिनसे वहां के स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा सभी प्रकार की ड्यूटी ली जाती है। परन्तु इसके एवज में उन्हें समुचित मानदेय नहीं मिलता। आज की महंगाई के इस जमाने में 3000 रुपये में किसी के लिए भी अपने परिवार का भरण-पोषण संभव नहीं है। अत: एस.पी.ओ. के मानदेय में बढ़ोतरी किए जाने का कार्य।

2. मेरे गृह राज्य बिहार विशेषकर मेरे संसदीय क्षेत्र के शिवहर, पूर्वी चम्पारण एवं सीतामढ़ी जिलों में चल रहा विद्युतीकरण का कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है जिसके कारण दो वर्षों में चयनित 564

ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य था, किन्तु अभी तक लगभग 182 ग्रामों में ही विद्युतीकरण हो सका है जिससे आम लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में मेरा संसदीय क्षेत्र शिवहर ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा गांव विद्युत सुविधा से वंचित हैं। अत: मेरे संसदीय क्षेत्र में विद्युतीकरण के कार्य में तेजी लाने का कार्य।

SHRI RATTAN LAL KATARIA (AMBALA): By 2050, over 40 per cent of world's population would likely be living in areas facing severe water stress. In rural India, near about 63 million people lack access to safe water and it is the highest globally. Therefore, I demand that the issue of access to clean water may be included in the next week's business of the House so that we may be able to stop disease caused by unsafe water and poor sanitation.

According to a global survey, India continues to be ranked the third lowest in proportion of business leadership roles held by women for the third year continuously whereas 25 per cent women leaders are working as human resource directors, 18 per cent as corporate controller and only seven per cent women are in senior management leadership roles in India. Therefore, I demand that the issue of giving leadership role to the women at senior management level may be included in the next week's business of the House.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, I want the following matters to be taken up during Government business for the coming week:

1. Death of three civilian protesters in Central Kashmir's Chadura pocket during a counter insurgency operation. More than sixty security personnel were injured in stone pelting by the youth and 30 protesters were hurt by firing of bullet and pellet guns.
2. The attack on five Nigerian youth in Greater NOIDA area after a local boy died of drug overdose. This has totally frightened foreign students in NOIDA and Greater NOIDA area.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): The following two items may be included in the List of Business commencing from next week:

1. Crisis of cashew industry due to the imposition of Import Duty on raw cashew nuts.
2. Return of land to the owner after the completion of mining of Beach Sand minerals by IRE.

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): Madam Speaker, I want to submit that the following items be included in the next week's agenda:

1. Underground water in Murshidabad and Nadia Districts of West Bengal is mainly contaminated with arsenic. The Government should take necessary action to provide safe drinking water in these Districts.
2. Women and child trafficking is going on in West Bengal. Women and child trafficking is a burning issue in the country. Especially, child trafficking from childcare homes is a serious concern now in West Bengal. The Government must take immediate and effective steps to stop such trafficking.

श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज): अध्यक्ष महोदया, निम्न प्रस्ताव को अगले सप्ताह 03.04.2017 से 07.04.2018 की कार्यसूची में सम्मिलित करने की कृपा करें।

'यह सभा भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली गणेश शुगर मिल्स, आनन्दनगर जनपद-महाराजगंज, उत्तर प्रदेश की 750 एकड़ खाली पड़ी भूमि पर कोई उद्योग लगाए जाने का प्रस्ताव।

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN (VADAKARA): Madam Speaker, I beg to submit that the following items be included in the next week's List of Business.

1. Alarming situation that has arisen out of series of incidents of atrocities against women across the country, especially in the State of Kerala.
2. Series of incidents of violence in campuses of various universities causing alarm and panic among the public.

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर): अध्यक्ष महोदया, कृपया निम्न दो विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ने की अनुमति दी जाए।

1. बिहार राज्य के स्मार्ट सिटी घोषित भागलपुर शहर में भारत सरकार के कौशल विकास विभाग से रोजगारन्मुखी प्रशिक्षण के लिए विश्वस्तरीय कौशल विकास केन्द्र की स्थापना के लिए मैंने कई बार मांग की है लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई है। भागलपुर सिल्क नगरी के नाम से भी जाना जाता है जहां पर विश्व स्तरीय कौशल विकास केन्द्र की स्थापना किए जाने से युवकों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा कराए जाने की आवश्यकता है।

2. भारत संचार निगम लिमिटेड की मोबाइल सेवा नेटवर्क बिहार सहित देश के अन्य सभी भागों में बहुत खराब है काल ड्राप सहित सिग्नल आदि की समस्या बढ़ते ही जा रही है, इस दिशा में वृहद् पैमाने पर सुधार किए जाने की आवश्यकता है देश के आम जनों से संबंधित इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा कराए जाने की आवश्यकता है।

श्री लक्ष्मण गिलुवा (सिंहभूम) : अध्यक्ष महोदया, कृपया निम्न दो विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ने की अनुमति दी जाए।

1. कोल्हान प्रमंडल में स्थित एकमात्र डाक घर डिविजन को विभाजित कर चाईबासा जिला पश्चिमी सिंहभूम में एक अतिरिक्त डिविजन स्थापित किए जाने के कार्य को सदन के अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए जिसके डाक कार्य को उपरोक्त क्षेत्रों में तीव्रता एवं सुविधा मिलेगी, इसके साथ ही साथ डाक विभाग के कार्य में भी सुगमता आएगी जिससे लाखों ग्रामीणों को लाभान्वित करेगी।

2. 9 सितम्बर से प्रीमियम रेल सेवाएं राजधानी रेल सेवा, शताब्दी रेल सेवा एवं दुरंतो रेल सेवाओं में किरायों को इतना बढ़ा दिया गया है जिससे उनके किराये हवाई जहाज से ज्यादा हो गई है। इसका प्रभाव यह है कि इन रेल सेवाओं की प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी एसी की सीटें खाली रहती है, प्रिमियम रेल सेवाओं की लोकप्रियता का दुरुपयोग किया गया है।

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): Madam Speaker, I beg to submit that the following matters be included in the next week's business.

1. The Rubber Board has been reducing its activities in the State of Kerala. The Regional Office of the Board has been established at Kothamangalam in the year 1989 and the Board is taking steps to close it down. This office is catering to the needs of 23,000 farmers.
2. The need to support the marginal farmers by providing financial assistance through subsidies and loan waiver. This is important because of drought and other situations.

12.14 hours

ELECTION TO COMMITTEE
National Board for Micro, Small and Medium Enterprises

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SHRI HARIBHAI CHAUDHARY): On behalf of Shri Kalraj Mishra, I beg to move:

> "That in pursuance of Clause (d) of sub-section (3) and sub-section (4) of Section 3 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, the members of this House do proceed to elect, in such manner, as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises subject to the other provisions of the said Act and the rules made there under."

HON. SPEAKER: The question is:

> "That in pursuance of Clause (d) of sub-section (3) and sub-section (4) of Section 3 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, the members of this House do proceed to elect, in such manner, as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the National Board for Micro, Small and Medium Enterprises subject to the other provisions of the said Act and the rules made thereunder."

The motion was adopted.

12.15 hours

TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL, 2017 *

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF DEFENCE (SHRI ARUN JAITLEY):

Hon. Speaker Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Customs Act, 1962, the Customs Tariff Act, 1975, the Central Excise Act, 1944, the Finance Act, 2001 and the Finance Act, 2005 and to repeal certain enactments.

HON. SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Customs Act, 1962, the Customs Tariff Act, 1975, the Central Excise Act, 1944, the Finance Act, 2001 and the Finance Act, 2005 and to repeal certain enactments."

The motion was adopted.

SHRI ARUN JAITLEY: I introduce** the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 31.3.2017.

** Introduced with the recommendation of the President.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज जितने भी कार्य स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, मैंने उनमें से किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी है।

Now, 'Zero Hour'. Shri Rajiv Satav ji.

12.16 hours

SUBMISSIONS BY MEMBERS
(i) Re: Reported racial and hate attacks on African students studying in India

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष जी, कुछ दिन पहले अमेरिका स्थित भारतीय मूल के नागरिकों जो हमले हुए या आस्ट्रेलिया में स्थित भारतीय नागरिकों पर जो हमले हुए, उसके बाद हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी एवं वेणुगोपाल जी ने यहां बात रखी थी और उसका विदेश मंत्री जी ने जवाब भी दिया था।

मैं सदन के सामने यह बात रखना चाहता हूं, यहां पर अभी गृहमंत्री जी बैठे हैं, कि हाल ही में भारत में, विशेषकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के आस-पास अफ्रीकन स्टूडेंट्स के ऊपर हमलों की कई घटनाएं सामने आई हैं। कुछ नाइजीरियन स्टूडेंटस को मारने की घटनाएं सामने आई थीं, जिनमें उन्हें हॉस्पिटल में भी एडमिट किया गया था। ऐसे हमले लगातार चालू हैं और उसमें कुछ ड्रग्स नेक्सस की भी बात सामने आई है। इसलिए सब जगह असमंजस का वातावरण है। सिर्फ हमले की घटना नहीं हुई, उनके पास से पैसे, मोबाइल आदि लेकर, उनको बेरहमी से पीटा गया, जिसके चलते कई लोग हॉस्पिटल में एडमिट किए गए हैं। उसके बाद एक महिला को भी पीटने की बात आई। एक अफ्रीकन महिला, जिनका नाम ...* है, को आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने पीटा। फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रार ऑफिसर, गौतम बुद्ध नगर के अनुसार 450 से ज्यादा अफ्रीकन नेशनल्स नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहते हैं।

मेरा आग्रह है कि अफ्रीकन नागरिकों पर जिस तरह से हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इस मामले में सरकार को गंभीरता से देखने की जरूरत है। मैं सरकार की ओर से इस बारे में एक वक्तव्य दिए जाने की मैं मांग करता हूं।...(व्यवधान)

---

* Not recorded

माननीय अध्यक्ष : श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री एम.बी. राजेश, श्री पी.के. बिजू, श्री इन्नोसेन्ट और श्री जोस के. मणि को श्री राजीव सातव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): माननीय अध्यक्ष जी, अफ्रीकन स्टूडेंट्स के ऊपर जो हमले हुए हैं, उनके बारे में सातव जी ने जो कंसर्न व्यक्त किया है, उसमें पूरा सदन उनके साथ है।

ऐसी दो घटनाएं वहां हुई हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण हैं। विदेश विभाग की माननीय मंत्री सुषमा स्वराज जी ने वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से तुरंत बात की है। कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है और उसकी जांच हो रही है। निष्पक्ष जांच करवाने का आग्रह किया गया है और निष्पक्ष जांच होगी, ऐसा योगी जी ने कहा है। जांच के तथ्य सामने आने के बाद उस पर कार्रवाई भी होगी। नेक्स्ट वर्किंग डे यानि पांच तारीख को जब हम फिर यहां मिलेंगे, तब स्वयं सुषमा जी यहां आकर इसके बारे में जवाब देंगी।

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपका अभिनन्दन करना चाहूंगा कि आज पहली बार प्रश्न काल में आठ प्रश्नों को न्याय देने का काम आपने किया है।

अध्यक्ष जी, शून्य काल के दौरान मैं सभागृह का ध्यान महाराष्ट्र राज्य में विद्यापीठ और महाविद्यालय के शिक्षकों को छठें वेतन आयोग का लाभ वर्ष 2006 से देना आरंभ हुआ है।

12.19 hours (Shri Pralhad Joshi *in the Chair*)

वर्ष 2006 से लेकर वर्ष 2010 तक का 1892.72 करोड़ रुपये बाकी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2009 से लगातार बहुत सी चिट्ठियां लिखी हैं। लगता है कि वर्ष 2010 तका का बैकलॉग पूरा हुआ है। यह 2006 से 2010 तक का जो पैसा बाकी है, मेरी समझ से यह यू.पी.ए. सरकार के कार्यकाल का है। मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करूंगा कि महाराष्ट्र सरकार को 15.17 करोड़ रुपये जो वर्ष 2006 से वर्ष 2010 तक का बाकी है, वह तुरंत दिया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में इस समय देवेन्द्र फणनवीस के नेतृत्व में गतिमान सरकार काम कर रही है, अच्छा काम हो रहा है। यह 1515 करोड़ रुपये अगर केन्द्र सरकार जल्दी रिलीज करती है तो महाराष्ट्र सरकार को और अच्छा काम करने में बहुत मदद मिलेगी। इसलिए मैं फिर एक बार केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि छठे वेतन आयोग का जो पैसा बाकी है, वह तुरंत दे दिया जाए क्योंकि सातवां आयोग अभी डोर स्टैप पर है। इसलिए यह पैसा जल्दी से जल्दी रिलीज हो, ऐसी मैं मांग करता हूं।

माननीय सभापति : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री गोपाल शेट्टी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर) : माननीय सभापति जी, जो वहां पंजाब से नहर चलती है और उस नहर के तहत एक समझौता सतलुज-यमुना लिंक का हुआ था। भाखड़ा व्यास बांध का एक मंडल बना था, परंतु यह जो नहर आ रही है, चारों जिलों के अंदर पश्चिम राजस्थान में शीतल योजनाओं के साथ पेयजल योजना को भी पानी सप्लाई करती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ अर्सों से पंजाब सरकार वहां पानी नहीं दे रही है। जो समझौता सतलुज-यमुना लिंक का हुआ है, जैसे आज की स्थिति वहां ऐसी है कि बॉर्डर एरिया, जहां पर बी.एस.एफ. है, आर्मी है, एयर फोर्स है, उनको भी पीने का पानी नहीं मिल रहा है। दस-दस कि.मी. दूर से पानी लाना पड़ता है, जिसकी वजह से सिंचाई भी नहीं हो पा रही है। इसके कारण किसान भी बहुत दुखी हैं और वे आत्महत्या करने के कगार पर आ गये हैं। मेरा माननीय

प्रधान मंत्री जी और जल संसाधन मंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि पंजाब सरकार को बाध्य करें कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, वे पानी दें। इसके सिवाय जो वहां पर भाखड़ा व्यास मंडल है, उसके अंदर राजस्थान का कोई प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए इसमें एक सदस्य को लगाया जाए ताकि वह सुचारू रूप से वहां पर मोनीटरिंग कर सके।

माननीय सभापति : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री निहाल चंद और श्री सुमेधानन्द सरस्वती को कर्नल सोनाराम चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): माननीय सभापति जी, मेरे संसदीय क्षेत्र के पूर्वी चंपारण जिले के पकरीदयाल अनुमंडल के पकरीदयाल थाने के अन्तर्गत विगत 6 माह के अंदर छोटी-छोटी घटनाओं को छोड़कर दो-तीन गोलीकांड हुए हैं जिनका एफ.आई.आर. नं है- 97/2016, 121/2016 एवं 7/2016 है और वे पकरीदयाल थाने में दर्ज है। इन तीनों घटनाओं में ए.के. 47 हथियार का प्रयोग किया गया, जिसमें 8 निर्दोख़ लोग मारे गये हैं तथा कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उक्त कांडों में मुख्य अभियुक्त अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वे खुलेआम लोगों को धमकी देते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहती हूं कि दिनांक 18-01-2017 को पकरीदयाल बाजार में सरेआम गोलीकांड के बाद ...* जैसे पकरीदयाल एवं मधुवन बाजार के दर्जनों व्यवसायियों से रंगदारी मांगी जा रही है और नहीं देने पर उपरोक्त तीनों लोगों की तरह ए.के.47 से भून देने की धमकी दी जा रही है, जिससे आम लोग एवं व्यवसायियों में दहशत का माहौल है। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वे खुलेआम पुलिस प्रशासन को चुनौती देते हैं, ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपकी डिमांड क्या है, वह बोलिए।

श्रीमती रमा देवी : सभापति जी, डिमांड ही बोल रहे हैं। बताने दीजिए। हम लोग बहुत दुखी हैं। बिहार राज्य में फिर जंगल राज आ गया है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जैसे यू.पी. का कल्याण किया है, उसी तरह से बिहार का कल्याण कर दीजिए। वहां की सरकार सोई हुई है, अपराधियों को उसने पाल रखा है। स्थानीय पुलिस पूरी तरह से निख़्क्रिय साबित हो रही है, जिसके विरोध में स्थानीय लोगों द्वारा समय-समय पर बाजार बंद किया जा रहा है। बिहार सरकार समाज में कमजोर-वर्गों की रक्षा करने में विफल है। अभी दिनांक 27-03-17 को...(व्यवधान)

माननीय सभापति : नहीं, पूरी स्टोरी नहीं बताइए। आप कृपया डिमांड बताइए।

---

* Not recorded

श्रीमती रमा देवी : यह नया है, तीन जिलों में हम हैं। वहां फिर कांड हुआ है। 17 को भी मेरे संसदीय क्षेत्र में सीतामढ़ी जिले के बर्गीनिया में अपराधियों ने नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष ...* को गोली मार कर उनकी हत्या कर दी थी, जिसके विरोध में स्थानीय लोगों ने पिछले चार दिनों से बाजार को बंद कर रखा है। मेरा इस बारे में गृह मंत्री जी से अनुरोध है।...(व्यवधान) वहां किस तरह राहत का काम किया जाये। बिहार राज्य में फिर जंगल राज आ गया है। वहां के ...* कुछ काम नहीं कर रहे हैं, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्रीमती रमा देवी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Only Shri Bharat Singh's statement will go on record.

...(Interruptions)... *

माननीय सभापति : भारत सिंह जी आप अपनी बात शुरू कीजिए, आप का समय शुरू हो गया है।

* Not recorded

श्री भरत सिंह (बलिया) : सभापति महोदय, मैं रमा देवी जी से क्षमा मांगता हूं। वह एक बहुत ही क्रांतिकारी महिला हैं, इन्होंने बिहार में संघर्ष किया है।

अधिष्ठाता महोदया, बलिया लोक सभा संसदीय क्षेत्र, बलिया और गाजीपुर दोनों जिलों को मिला कर बना है। यह क्षेत्र गंगा के किनारे है और दूसरी ओर घाघरा नदी है। हर साल बाढ़ की वजह से, कटान की वजह से हजारों लोगों के घर गंगा और घाघरा नदियों में विलीन हो जाते हैं। मैं शेरपुर-सेमरा गांव के बारे में कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान का ऐतिहासिक गांव है, लेकिन सेमरा गांव गंगा में विलीन हो गया, उसका केवल कुछ भाग ही बचा हुआ है। ऐसे ही सिताब दियरा, लोक नायक जयप्रकाश जी की जन्म भूमि भी गंगा में विलीन हो रही है। दुबे छपरा, गोपालपुर और उदई छपरा, सभी गंगा में विलीन हो रहे हैं।

मैंने लगातार इन समस्याओं को शून्य काल में सदन में उठाया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आपके द्वारा इस ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि दुबे छपरा, गोपालपुर, शेरपुर-सेमरा, जगावां और उदई छपरा, सभी गांवों को बचाया जाये। घाघरा के कटान से जो भी लोग पीड़ित हैं, उनको बसाने की व्यवस्था की जाये। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

माननीय सभापति: श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री भरत सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI M.B. RAJESH : Thank you Chairman, Sir. Two years have passed since the gauge conversion work of Palakkad-Pollachi-Dindigal railway line has been completed. It took seven years and Rs.400 crore to complete the work of this gauge conversion. Sir, after spending this much time and resources, the Railways now says that the line is not profitable. They have not even reinstated the previously existed services and this is in complete violation of Railways prevailing norms and conventions. In effect the Railways are penalizing thousands of passengers.

Sir, this line connects all the major pilgrimage centres in South India like Rameshwaram, Palani, Madurai and Guruvayur.

HON. CHAIRPERSON: You please tell your demand now.

SHRI M.B. RAJESH : I am coming to my demand, Sir. This is an important issue.

HON. CHAIRPERSON: Everything is important.

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Sir, after spending Rs.400 crore Railways say that it is not profitable. My point is, this line can save 300 kms. in distance from southern Tamil Nadu to Delhi. If this line is properly utilized it can not only be made profitable but it can also be of great use for thousands of passengers.

So, my demand is that more trains should be allowed in this line and it should be utilized properly. With these words I conclude.

HON. CHAIRPERSON: S/Shri P.K. Biju, Innocent, Joice George, Jose K. Mani and Dr. A. Sampath are permitted to associate with the issue raised by Shri M.B. Rajesh.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मामले को सदन में उठाना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में जबलपुर, इटारसी और कटनी में एक आयुध निर्माणी फैक्ट्री है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जबलपुर ओ.एफ. फैक्ट्री है। जिसमें भी कुछ दिन पहले वहां बलास्ट हुए हैं।

मैं वर्षों से वहां के कर्मचारी संगठनों के बीच में भी जाता रहा हूं और मुझे उस फैक्ट्री में भी जाने का मौका मिला है। उसमें विस्फोट पहले भी हुए हैं। हमारी सरकार आने के बाद वहां पर बेहतर प्रबंध करने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में तीन बातें लाना चाहता हूं कि इस विस्फोट की जांच होनी चाहिए।

दूसरा, तकनीकी रूप से जो उन्नयन होने की जरूरत वहां पर महसूस की गयी है, उसके बारे में शीघ्रता से विचार करना चाहिए।

तीसरा, वहां पर जो कर्मचारी काम करते हैं, वह हमेशा सुरक्षा तंत्र के अपग्रेडेशन की बात करते रहे हैं। इस दुर्घटना की जानकारी के बाद इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए।

माननीय सभापति : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): Sree Narayan Gurudevan is one of the greatest spiritual masters of India who had intiated the most powerful and impactful social reform movements in the country. He was born in Kerala's Chempazhanthy Village in 1856. Gurudevan was many things rolled into one. He was a saint, a poet, a scholar, an Advaitist, an author and a visionary and precursor

of cultural renaissance in India. His reform movement was unique in many ways as he tried to instill confidence and self-esteem among deprived sections of the Hindu society by promoting values of spiritual freedom and social equality. Although his main inspiration remained religious, he campaigned for mundane issues, such as, abolition of caste, superstition, animal sacrifices and promoted education and skill development. He founded temples, libraries and institutions to popularize education. Although a profound scholar in Sanskrit, like Lord Buddha, he used layman's lingo and spread the message of love and universal brotherhood.

HON. CHAIRPERSON : You please place your demand. The entire House knows who was Sree Narayan Guru.

ADV. JOICE GEORGE : Sir, he cannot be described in words. His movement laid a powerful foundation for the creation of a progressive and modern Kerala society.

HON. CHAIRPERSON: You are not placing your demand.

ADV. JOICE GEORGE : I urge upon the hon. Speaker to unveil his portrait in the Central Hall or his sculpture in the Parliament House premises.

I urge upon the Government to name a prominent road in his name in the National Capital. Thank you, Sir.

HON. CHAIRPERSON: Shri N.K. Premachandran, Shri K.C. Venugopal, Shri P.K. Biju, Shri Innocent, Shri Jose K. Mani, Shri M.B. Rajesh, Dr. A. Sampath and Prof. Richard Hay are permitted to associate with the issue raised by Adv. Joice George.

श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान (मुर्शिदाबाद) : सभापति महोदय, राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन और कुछ प्रीमियम ट्रेंस के ऊपर फ्लैक्सी फेयर लागू किया गया है। दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन के सैकेंड स्लीपर पर भी फ्लैक्सी फेयर लागू किया गया है। इस वजह से फेयर बहुत बढ़ गया है और लो इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। फ्लैक्सी फेयर से रेलवे को कोई फायदा नहीं हुआ है और रेवेन्यु क्लेकशन नहीं बढ़ा है। इसके अलावा ट्रेन में यात्री सुविधाएं कम होती जा रही हैं और इसका विरोध भी हो रहा है।

महोदय, मैं जब पिछले सप्ताह राजधानी एक्सप्रेस से आ रहा था। मुझे यूज्ड बेडशीट दी गईं। मेरे शिकायत करने पर मुझे दूसरे बेडशीट देने के लिए पांच पैकेट बेडशीट के लाए गए, लेकिन वे सभी यूज्ड बेडशीट थीं। कोच अटेंडेंट ने भी माना कि ये यूज्ड बेडशीट्स हैं।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि फ्लैक्सी फेयर तुरंत हटाया जाए और यात्री सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। एयरपोर्ट मेट्रो का किराया घटाने के बाद भी मेट्रो को फायदा हुआ है।

HON. CHAIRPERSON: Shri Rabindra Kumar Jena, Dr. Mamtaz Sanghamita, Shri Innocent, Adv. Joice George, Shri M.B. Rajesh, Shri P.K. Biju and Dr. A. Sampath are permitted to associate with the issue raised by Shri Md. Badaruddoza Khan.

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : महोदय, मैं अपने लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो सड़कें बनाई जा रही हैं, उनकी हालत की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, जिले की प्रमुख सड़कें कई ब्लॉक्स से हो कर गुजरती हैं। इस वजह से कई बार एक ब्लॉक की लम्बाई के अनुसार केवल आधी सड़क बनाकर छोड़ दी जाती है, जिसका सदुपयोग जिले के लोग नहीं कर पाते हैं। आस-पास के गांवों के पास की सड़कों को प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत न लेने की वजह से वे सड़कें नहीं बनती हैं।

मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि जो भी सड़क बने, वह पूरी बनाए जाए, चाहे वह बीस किलोमीटर की सड़क हो या पन्द्रह किलोमीटर की सड़क हो। इसके साथ गांवों के साथ जो सड़कें खराब हालत में हैं, चाहे उनकी कितनी भी कम लम्बाई क्यों न हो, वे भी बनाई जाएं। ऐसा करने से उस क्षेत्र के लोग सड़कों का सदुपयोग कर सकेंगे।

HON. CHAIRPERSON: Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Bhanu Pratap Singh Verma.

12.33 hours

SUBMISSION BY MEMBERS…..Contd.

(ii) Re: Reported death of civilians during a counter insurgency operation in Jammu and Kashmir.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Hon. Chairperson, Sir, last year, I had accompanied the hon. Home Minister in an all Party Delegation to Jammu and Kashmir. Now, the situation in Kashmir is so grave. I think the hon. Minister should step in again.

The Jammu and Kashmir police chief on Thursday asked the youth to desist from the practice of storming encounter sites to pelt stones at the security forces during raging gun battles with terrorists. He described the practice as tantamount to committing suicides. In the encounter, even the security forces take cover of bullet proof vehicles or a house. The Youth coming to encounter sites are committing suicides. The Director General of Police, Shri S.P. Vaid told reporters while appealing to the youth to stay at home during encounters.

He further added:

> "A bullet does not see who is coming and who it will hit. So my appeal to all these young men is, as in the past, they should remain in their homes and not come to the site of the encounter. Of course stone pelting is not desirable at all."

I would also repeat this appeal to the youth not to come to encounter sites. He was addressing reporters here two days after three civilian protesters were killed in central Kashmir's Chadoora pocket when they indulged in stone pelting during a counter-insurgency operation in a bid to help a holed-up terrorist flee. More than 60 security personnel were injured in the stone pelting by the youth and at least 30 protesters were hurt in the firing of bullets and pellet guns by the security forces to protect themselves from the enraged mob. The DG said that the youth were being misled and misused by elements inimical to peace in the valley for their short term political gains.

The situation is grave and serious and I would like the Home Ministry to step in.

HON. CHAIRPERSON : Shri Ravindra Kumar Jena is permitted to associate with the issue raised by Prof. Saugata Roy.

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : सभापति जी, वरिष्ठ सदस्य श्री सौगत राय जी ने जम्मू-कश्मीर के जिस हालात की चर्चा यहाँ पर की है, उस संबंध में, मैं यह कहना चाहूँगा कि सदन ही नहीं, बल्कि सारा देश इस बात से परिचित है कि पाक स्पॉन्सर्ड इंफिल्ट्रेटर्स और पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट्स जम्मू-कश्मीर में दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह मानता हूँ कि वे केवल जम्मू-कश्मीर में ही दहशत पैदा नहीं करना चाहते हैं अथवा वे केवल जम्मू-कश्मीर को ही डि-स्टैबिलाइज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन आतंकवादियों द्वारा पूरे भारत को ही डि-स्टैबिलाइज करने की कोशिश हो रही है।

मैं सदन को इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ और हम सब को इस पर नाज़ भी होना चाहिए कि आतंकवादियों को जिस तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए, उसी तरीके से, उसी लहज़े में हमारी सेना और सुरक्षा बल के जवान उनको जवाब दे रहे हैं।

विगत् कुछ महीनों से एक नया ट्रेंड चला है। ट्रेंड यह चला है कि जब भी हमारी सेना और सिक्युरिटी फोर्सेज़ के जवान ऑपरेशन प्रारंभ करते हैं, उस समय गांव के कुछ नौजवान लोग आ जाते हैं और सिक्युरिटी फोर्सेज के ऊपर पत्थरबाजी करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि हमारे जम्मू-कश्मीर के जो नौजवान स्टोन पेल्टिंग करते हैं, वे कुछ पाक स्पांर्स्ड फोर्सेज द्वारा गुमराह किये गये हैं।

मैं जम्मू-कश्मीर के नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ कि कृपया पाकिस्तान के बहकावे में न आएं, उनके द्वारा भारत को बराबर इस प्रकार से डि-स्टैबिलाइज करने की कोशिश की जा रही है।

मैं सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूँ कि भीड़ को इकट्ठा किया जाता है, तो पाकिस्तान में डिफरेंट एप्लीकेशंस का प्रयोग करके सोशल मीडिया के माध्यम से बराबर भीड़ को इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है, जिनमें वाट्सएप, फेसबुक आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसाकि मैंने बताया, यह ग्रुप सोशल मीडिया को ऑपरेट करता है, वह पाकिस्तान में ही स्थित है। मैं यह जानकारी भी देना चाहता हूँ कि जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, उससे जैसे निपटना चाहिए, वैसे ही हमारी सेना और सुरक्षा के जवान उससे निपटेंगे। ...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No cross talking please. Mr. Venugopal, please sit down.

...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : इस समय हमारी सेना और सुरक्षा के जवान उन आतंकवादियों से निपट रहे हैं और आगे भी निपटेंगे। मैं यह बताना चाहता हूँ कि इसमें हमको निश्चित रूप से कामयाबी हासिल होगी।

प्रो. सौगत राय : मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया है।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति महोदय, पटना एयरपोर्ट पर कुव्यवस्था के कारण यात्रियों को अपार कष्ट होता है। क्षमता से अधिक वायुयानों को वहाँ उतारा जाता है। जब चार वायुयान एक साथ लग जाते हैं, तो बोर्डिंग कराने के लिए धक्का-मुक्की होती है। बोर्डिंग कार्ड लेने तथा सामानों के लिए ट्रॉली लाने का स्थान नहीं मिलता है। बूढ़े, बीमार और महिलाओं को बहुत कष्ट होता है। वहाँ पर शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है, जो अमानवीय है। सुरक्षा जाँच के समय वहाँ पर इतनी धक्का-मुक्की होती है कि सांस फुलने लगता है। सामानों की जाँच के लिए दो मशीन लगे हैं, जो छोटे हैं। उनमें से एक मशीन 25 और 26 मार्च को खराब था। एक मशीन से ही जाँच होने के कारण यात्रियों को हुई परेशानियों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसे मैंने अपनी आँखों से देखा है। सुरक्षा जाँच के समय लोगों के बीच ठेला-ठेली हो रही थी। एयरपोर्टस अथॉरिटी के डी.जी. के दबाव और प्रभाव के कारण क्षमता से ज्यादा हवाई-जहाजों को उतारने का आदेश दिया गया है। खास तौर पर एयर इंडिया के हवाई-जहाजों के प्राइम टाइम में व्यवधान डालकर निजी कंपनियों को प्रमुखता दी जाती है। ऊपरी स्तर के दबाव, प्रभाव, पक्षपात और मनमानी के कारण एयर इंडिया की हालत दयनीय होती जा रही है। जब एयरपोर्टस अथॉरिटी ही सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है, तो सरकार को कौन बचाएगा।

महोदय, मैं इस संबंध में दर्जनों पत्र लिख चुका हूँ, परंतु मंत्रालय ने उन पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की है। मैं यह माँग करता हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच कराकर डी.जी. के खिलाफ कार्यवाही की जाए।

माननीय सभापति : श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री शरद त्रिपाठी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र एवं श्री बलभद्र माझी को श्री हुक्मदेव नारायण यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI RAHUL SHEWALE (MUMBAI SOUTH CENTRAL): Sir, thank you for giving me this opportunity to raise an important during the `Zero Hour'. Recently, the Enemy Property Act has been passed by this House. After the Bill became an Act, the properties owned by those who left India after partition in 1947 and became citizens of Pakistan has become the property of Government of India. So many properties in our country are still there in the names of persons who are now citizens of Pakistan. One such property called the `Jinnah House' is still there. This was the residence of the founder of Pakistan Mohammad Ali Jinnah in South Mumbai. This historic European style building was the venue of the watershed talks on the partition of India in September, 1944. It was here that Jinnah altered

the course of India's history. The Jinnah residence in South Mumbai was the place from where the conspiracy of Partition was hatched. Jinnah House which was originally called the South Court was taken over by the Government and declared Evacuee Property in 1949. Lakhs of rupees are being spent for maintenance of this building by the Public Works Department of Maharashtra. After the Parliament passed the Enemy Property Act, Jinnah House is now the property of the Indian Government.

Sir, through you, I would like to request the Government that the structure of Jinnah House should be demolished and a Freedom Fighter Memorial should be built in its place and this memorial should exhibit the glorious history of India.

Thank you.

HON. CHAIRPERSON : Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri George Baker, Shri Gopal Shetty, Shri Arvind Sawant, Shri Shrirang Appa Barne, Shri Krupal Balaji Tumane are permitted to associate with the issue raised by Shri Rahul Shewale.

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच) : माननीय सभापति जी, मेरे लोकसभा क्षेत्र भरूच में नर्मदा जिले को रिजर्व फॉरेस्ट सेंग्चूएरी एरिया घोषित है। हाल ही में इसको ईको सेंसिटिव ज़ोन भी घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में पक्की सड़कें, छोटे पुल और बिजली जैसी मानव जीवन के लिए जरूरी आधारभूत सुविधाएँ नहीं हैं। झकड़िया, राचिपला, नेतरंग और डेड्यापाड़ा गाँवों के लगभग 50 आदिवासी लोगों को ये सुविधाएँ नहीं मिल पाई हैं। इस कारण वहाँ के आदिवासी लोग बहुत मुश्किल में हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और पर्यावरणवादियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम वन्य जीवों और पर्यावरण का समर्थन करते हैं, किंतु कई सदियों से वनों में जो आदिवासी रह रहे हैं, उनका भी मानवता की दृष्टि से पूर्ण विकास होना चाहिए। मैं यह माँग करता हूँ कि आने वाले समय में रिजर्व फॉरेस्ट सेंग्चूएरी एरिया और ईको सेंसिटिव ज़ोन में किया जाए और पूरी ट्राइबल बेल्ट को समान रूप से डेवलप किया जाए।

माननीय सभापति : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री निहाल चन्द।

श्री निहाल चन्द (गंगानगर) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का टाइम दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि पिछले तीन सालों में चार बार मेरी फेक आई.डी. बनाई जा चुकी है। ये आइडीयाँ निहाल चन्द जी-मेल और निहाल चन्द एस.जी.एन.आर. 8 @ जी-मेल डॉट कॉम पर बनाई गई हैं और इन पर आपत्तिजनक तस्वीरें और आधारहीन दस्तावेज चढ़ाए गए हैं।

महोदय, यह मेरे अकेले की कहानी नहीं है। इस सदन के तकरीबन 20 प्रतिशत सदस्य ऐसे होंगे, जिनके इस प्रकार की आइडियाँ बनाई जाती हैं और उन पर आधारहीन दस्तावेज चढ़ाए जाते हैं। इस विषय से संबंधित मेरी फाइल क्राइम ब्राँच में पेंडिंग पड़ी है। आज तक उस फाइल का पता नहीं लगा है। हर चार महीने के बाद मेरी इस प्रकार की एक नई आई.डी. बना दी जाती है। इन घटनाओं से मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और मेरी छवि धूमिल की जा रही है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि मेरे सार्वजनिक जीवन की बेदाग छवि को ठीक रखने के लिए, जिन्होंने यह आई.डी. बनाई है, उन पर कार्यवाही की जाए। इन आइडीयों से मेरी व मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो रहा है। मैंने माननीय गृह मंत्री जी से भी इस विषय पर चर्चा की थी। मेरी यह माँग है कि इस घटना पर सरकार कड़ी से कड़ी कार्यवाही करे।

माननीय सभापति : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री रवीन्द्र कुमार जेना को श्री निहाल चन्द द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय सभापति : डॉ. यशवंत सिंह।

डॉ. यशवंत सिंह (नगीना) : सभापति महोदय, अभी हम मिलीनियम हैल्थ गोल्स पर चर्चा कर रहे हैं। आज मैं वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश के हैल्थ विभाग में किए जाने वाले घोटाले की तरफ इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरा लोक सभा संसदीय क्षेत्र नगीना जनपद बिजनौर, उत्तर प्रदेश में है। यहां पर वर्ष 2016-17 में एन.एच.एम. कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित आर.सी.एच., फ्लेक्सीपूल मिशन एवं एन.यू.एच. मिशन के खातों में उपलब्ध धनराशि से बिना टेंडर, कोटेशन, क्रय और बिना आदेश आपूर्ति प्राप्त किए मेसर्स उन्नाव डिस्टीब्यूलरीज़ एवं बेवरेज कानपुर, मेसर्स गणपति इंटरप्राइसेज उन्नाव, मेसर्स सरकार ट्रैवल्स कानपुर तथा मेसर्स एन किचन कल्याण समिति कानपुर के खातों में 3 करोड़ 10 लाख 95 हजार 769 रुपये का फर्जी भुगतान कर दिया गया। जब इसकी जांच उच्च अधिकारियों को दी गई तो उच्च अधिकारियों के माध्यम से पता लगा कि इन कंपनियों को पहले भी 6 करोड़ 30 लाख 51 हजार 772 रुपये का भुगतान किया जा चुका है। उसकी अपनी रिपोर्ट में यह लिखा गया कि अन्य जनपदों उन्नाव,

जालौन, कानपुर देहात, जे.पी. नगर, संभल, औरैया, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर एवं आगरा में भी गबन की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता।

माननीय सभापति : आप अपनी डिमांड बोलिए। What is your demand?

डॉ. यशवंत सिंह : महोदय, मेरी आपसे मांग है कि इस तरह के घोटाले पूरे उत्तर प्रदेश में हुए हैं, इसकी केंद्रीय एजेंसी के द्वारा उच्चस्तरीय जांच करायी जाए, ताकि हैल्थ घोटालों का पर्दाफाश किया जा सके, धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री शरद त्रिपाठी एवं कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. यशवंत सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कँवर सिंह तँवर (अमरोहा) : सभापति जी मैं इस सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र अमरोहा के दैनिक रेल यात्रियों की समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, पिछले वर्ष माननीय मंत्री जी ने हमारे अनुरोध पर मुरादाबाद-दिल्ली के बीच मेमू ट्रेन चलायी थी। इस ट्रेन के चलने से दैनिक रेल यात्रियों को काफी सुविधा मिली थी। इसके माध्यम से दैनिक यात्री कम समय में व कम खर्चे में आसानी से आ-जा रहे थे, परंतु यह मेमू ट्रेन मुश्किल से 15-20 दिन ही समय से चली। उसके बाद यह ट्रेन अपने निर्धारित समय से 3-4 घण्टे देरी से आने लगी। पिछले वर्ष दिसम्बर में इस ट्रेन को बन्द कर दिया गया, वह आज तक दोबारा चालू नहीं हुई है। जिसके कारण दैनिक रेल यात्रियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दैनिक यात्री समय पर अपने कार्यस्थल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। यदि इस मेमू ट्रेन को बन्द ही करना था तो फिर इसे दो-तीन महीने क्यों चलाया गया। मैंने इस बारे में कई पत्र लिखे हैं तथा कई बार डी.आर. व अन्य अधिकारियों से भी इस बारे में बात की। परंतु आज तक यह ट्रेन दोबारा शुरू नहीं की गई, जिसके कारण यात्रियों में भारी रोश है। मेरे संज्ञान में लाया गया है कि मंडल स्तर के अधिकारियों के निजी बस मालिकों से सांठगांठ के चलते पहले इस ट्रेन को लेट किया जाता था तथा अब इसे दोबारा चलाने में देरी की जा रही है।

मेरा आपसे निवेदन है तथा रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि इस मामले की जांच करा कर मेमू ट्रेन को दोबारा चलवाने की कृपा करें, धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री कँवर सिंह तँवर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। हमारी सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध है कि वह दिव्यांग, डिसेबल्ड लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान कराए, चाहे मेडिकल सुविधाएं हों, नौकरी देने की बात हो, या उनके लिए आर्टीफीशियल लिम्ब्स, इक्यूपमेंट के संबंध में हो। इसमें एक बहुत बड़ी अड़चन यह आ रही है कि जो दिव्यांग हैं, डिसेबल्ड हैं, उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है। दिल्ली में यदि देखा जाए तो केवल 28 प्रतिशत डिसेबल्ड व्यक्तियों को ही सर्टीफिकेट मिल पाता है।

जहां तक मानसिक स्तर पर जो दिव्यांग, डिसएबल्ड हैं, उनकी हालत और भी खराब है। इनमें 10 से 12 परसेंट लोगों को ही सर्टिफिकेट्स मिल पाते हैं। जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलते, तब तक ये लोग सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं और इन्हें नौकरी मिलने में भी दिक्कत होती है। आज हालत यह है कि दिल्ली में केवल एक ही जगह स्थित इंस्टीट्यूट में दिव्यांगों को सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, उसका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज है और यह दिलशाद गार्डन में स्थित है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसके अलावा अन्य जगहों पर या कई केन्द्रों पर दिव्यांगों को सर्टिफिकेट्स देने का प्रावधान किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा दिव्यांग सर्टिफिकेट्स ले सकें।

इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमैन्ट के द्वारा बड़े सराहनीय कार्य किये जा रहे हैं। गत तीन सालों में इसके द्वारा बहुत ज्यादा प्रगति हुई है और माननीय गेहलोत जी के द्वारा इसके लिए कार्य किया गया और माननीय प्रधान मंत्री जी की इस दिशा में विशेष कृपा रही है। अभी तक लाखों लोगों को सुविधाएं मिल चुकी हैं, लेकिन लाखों-करोड़ों लोग अभी भी बाकी हैं। धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री शरद त्रिपाठी तथा कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डा.उदित राज द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Now, I will try to accommodate a few more Members. But I would request you to complete your submissions within half a minute so that we can break for lunch at 1 o'clock.

श्रीमती रीती पाठक (सीधी) : सभापति महोदय, मैं आदरणीय प्रधान मंत्री तथा आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष आयाम प्रस्तुत करने के प्रयास किये हैं। आज मैं आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली का विषय सदन में रखने जा रही हूं। प्राचीन जीवन पद्धति में आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हमारे देश में ऋषि सुश्रुत, धनवंतरि और चरक जैसे

आयुर्वेद के ज्ञाता रहे हैं। जिनके कारण आयुर्वेद को मात्र चिकित्सा पद्धति नहीं, बल्कि हमारे जीवन संस्कृति का आधार माना जाता है। यह प्रकृति पर हमारे श्रद्धा और समन्वय का ही परिणाम रहा है कि आज हमारे देश में औषधियों और जड़ी-बूटियों का विशेष भंडार रहा है।

महोदय, हल्दी का उपयोग हम घरों में सामान्य रूप से करते आए हैं। उसके गुणों को समझकर कई देशों ने इसका पेटेन्ट करने का प्रयास किया है और सिर्फ हल्दी ही नहीं बल्कि तुलसी, परिजात, अदरक जैसी प्राकृतिक एंटीबायोटिक और स्वास्थ्यवर्धक औषधियां जो अपने गुणों के कारण हमारी दिनचर्या और खान-पान का हिस्सा रही हैं, जिनके कारण हम गम्भीर रोगों से निजात पाते हैं, उन्हें भी इस श्रेणी में लाने का प्रयास किया है।

माननीय सभापति : अब आप समाप्त कीजिए। मैंने पहले ही कहा है कि समय कम है। श्री विद्युत वरण महतो, आप बोलिये।

श्रीमती रीती पाठक : सभापति जी, मैं अपना विषय रख लूं। मैं चाहती हूं कि जिस तरह से एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली को हमारी सरकार ने बढ़ावा देने का प्रयास किया है, उसी तरह से आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के लिए सारे संसाधन उपलब्ध कराकर तथा पर्याप्त बजट की व्यवस्था करके इसे व्यवस्थित और स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए।

माननीय सभापति : श्री शरद त्रिपाठी, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल तथा श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्रीमती रीती पाठक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): सभापति महोदय, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में दंड, क्षत्र, माझी जाति एवं माल जातियां हैं, जो उपरोक्त तीनों राज्यों के बॉर्डर क्षेत्र में रहती हैं। इनकी आबादी लगभग 40 से 50 हजार है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सीमा के महज दस किलोमीटर के इलाके में ये लोग अनुसूचित जाति में आते हैं। जबकि झारखंड में ये लोग सामान्य जाति में आते हैं। मूलतः ये लोग गरीब, खेतिहर मजदूर हैं। ये लोग सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़े हुए हैं। इन लोगों को किसी भी तरह का सरकारी लाभ नहीं मिलता है। अभी हाल में ही इनका सर्वे किया गया है। इनका रहन-सहन अनुसूचित जाति से मिलता है। हाल के दिनों में झारखंड सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को रिक्मैंड करके भेजा है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि दंड, क्षत्र, माझी एवं माल जाति के लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने का निर्देश देने का कष्ट करे। धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल तथा श्री शरद त्रिपाठी को श्री विद्युत वरन महतो द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री गुरजीत सिंह औजला (अमृतसर): महोदय, आज यह आपसे मेरा पहला सम्बोधन है। मैं आपके माध्यम से हाउस को विनती करना चाहता हूँ कि मैं उस लोक सभा क्षेत्र (अमृतसर) से चुनकर आया हूँ और उसकी जो पोजिशन इस टाइम है, क्योंकि पहले वे मुगलों से लड़ते रहे, वर्ष 1965 और वर्ष 1971 की जंग हुई, आतंकवाद का साया अमृतसर के सभी लोगों ने अपने ऊपर मंढाया। इसी वजह से वहाँ की इंडस्ट्री तबाह हो गयी। वहाँ बहुत बड़ा काम था, वहाँ वूलन की इंडस्ट्री थी, राइस की इंडस्ट्री थी, टी का बहुत बड़ा व्यापार था और यह सब इंडस्ट्री तबाह हो गयी। माननीया श्रीमती इन्दिरा गाँधी जी ने वर्ष 1981 में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वहाँ बनाया, जिसकी वजह से अनेकों पंजाबी जो बाहर रहते हैं, उनकी एक आस्था श्री गुरू रामदास जी की धरती पर माथा टेकने और वहाँ आने की है। मैं विनती करना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ष 1981 का बना हुआ है, वर्ष 2004 से वर्ष 2007 तक वहाँ से सिंगापुर, न्यूयॉर्क, कनाडा और लन्दन के लिए फ्लाइट शुरू हुई, उसकी वजह से 5 लाख 96 हजार पैसेंजर वहाँ आया। जिसमें 5 लाख अन्तर्राष्ट्रीय पैसेंजर था और 96 हजार डोमेस्टिक पैसेंजर था। वर्ष 2012 तक यह आँकड़ा बढ़कर 15 लाख हो गया, लेकिन जो अन्तर्राष्ट्रीय पैसेंजर था, वह सिर्फ 5 लाख रह गया और 11 लाख डोमेस्टिक पैसेंजर था। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि सारी डायरेक्ट फ्लाइट्स कैन्सिल हो गईं।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से डिमांड है कि वह हमारा टूरिस्ट पैलेस है, वहाँ लव और कुश जी का जन्म हुआ है, वहाँ सीता माता जी गई हैं। सब लोग वहाँ आना चाहते हैं। गुरू नानक देव जी आखिरी समय में वहाँ रहे हैं। करतारपुर साहिब, जिसका केस अभी चल रहा है, हम भी माँगते हैं कि हमें वह रास्ता चाहिए। इन सबके लिए, सब पंजाबी वहाँ आना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें अमृतसर के लिए अन्तर्राष्ट्रीय डायरेक्ट फ्लाइट्स दी जायें। वहाँ का भौगोलिक तौर पर विकास हो सके। हमें अन्तर्राष्ट्रीय डायरेक्ट फ्लाइटें सिंगापुर, यूरोप और कनाड़ा के लिए चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत पंजाबी रहते हैं और वे सब गुरू रामदास की धरती पर नत-मस्तक होना चाहते हैं। यह मेरी आपके माध्यम से सिविल ऐविएशन मिनिस्टर से डिमांड है। धन्यवाद।

माननीय सभापति : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री गुरजीत सिंह औजला द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद) : महोदय, भारत सरकार के पोस्ट ऑफिस में लघु बचत योजनाएँ चलायी जाती हैं। इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए ज्यादातर महिला एजेंटों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

महिला एजेंट घर-घर जाकर महिलाओं को बचत के लिए प्रेरित करती हैं साथ ही डाकघरों को अधिक से अधिक धन इन योजनाओं के मार्फत निवेश करवा देती हैं।

डाकघरों में पहले से चल रही योजनाएँ, जैसे मासिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत पत्र, रेकरिंग डिपोजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र आदि में इन एजेंटों को जो-जो कमीशन दिया जाता था, वह या तो आधा कर दिया गया या पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। सरकार की जो नयी योजनाएँ आ रही हैं, उसमें एजेंट की भूमिका ही खत्म कर दी गयी है। जाहिर है कि कमीशन आधा होने या बिल्कुल समाप्त होने के बाद पोस्ट ऑफिस में इन योजनाओं के तहत निवेश होने वाले फंड पर बहुत असर पड़ा है। पहले से ही डाकघरों की स्थिति अच्छी नहीं थी और योजनाओं में कम निवेश प्राप्त होने से और भी खराब हो रही है।

मेरा माननीय प्रधान मंत्री जी और संचार मंत्री जी से निवेदन है कि महिला एवं समस्त एजेंटों के कमीशन को कम या समाप्त करने के निर्णय पर पुनः विचार करें एवं पहले के जैसा ही कमीशन का प्रतिशत रखें, ताकि महिला एजेंटों में काम करने की रूचि बनी रहे और अधिक से अधिक निवेश डाकघरों की योजनाओं को मिले।

माननीय सभापति : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री चन्द्रकांत खैरे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती हेमामालिनी (मथुरा) : महोदय, धन्यवाद। मेरा सब्जेक्ट देश के किसानों के बारे में है। किसान प्रधान मंत्री स्वाइल हेल्थ कार्ड स्कीम बनाई गई है, लेकिन उसका बराबर लाभ हमारे देश के किसान नहीं उठा पाते हैं। मैंने मथुरा क्षेत्र के किसानों के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को समझने की बहुत कोशिश की है। हमारे देश के बहुत सारे किसानों को इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं होने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है। वे अपने खेत की मिट्टी का सैम्पल स्वाइल टेस्टिंग सेन्टर ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर टेस्ट करने के बाद बराबर उनका रिजल्ट नहीं मिलता है। मेरा सुझाव यही है कि मोबाइल स्वाइल टेस्ट वैन उपलब्ध करायी जाये, जो वैन हर जिले में जाकर एक प्रॉपर वैल ट्रेंड स्टॉफ के साथ उनके खेत की मिट्टी को वहीं से लेकर वहीं टेस्ट कराकर देंगे तो यह किसानों के लिए बहुत अच्छा रहेगा।...(व्यवधान)

13.00 hours

किसानों को ब्लॉक लेवल पर टेक्नीकल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। किसानों को न्यू टेक्नोलॉजी पर आधारित फसलों के अधिक-से-अधिक डिमॉन्स्ट्रेशन कराने चाहिए। किसानों को समय पर सीड्स और

इंसेक्टीसाइड्स भी दिए जाने चाहिए, लेकिन वह समय पर नहीं दिए जाने की वज़ह से उनके खेतों में फसल का नुकसान हो जाता है।

माननीय सभापति : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री शरद त्रिपाठी, श्री बलभद्र माझी, डॉ. हिना विजयकुमार गावीत, श्री अरविंद सावंत एवं श्री श्रीरंग आप्पा बारणे को श्रीमती हेमामालिनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI A.H. KHAN CHOWDHURY (MALDAHA DAKSHIN): Hon. Chairman, Sir, I am thankful to you for allowing me to raise an important matter of public importance.

In Maldah and Murshidabad Districts, people are always affected by the erosion caused by Ganga, and that erosion used to be looked after very well by the Government. But now, for the last two years, the erosion control work has been stopped, with the result, people are suffering. They are losing their lands, houses and animals. The whole area is in a big mess.

So, I would urge upon the Department concerned that the erosion control work, which has been stopped, now, should be immediately restarted so that the people may not suffer this year. Thank you.

HON. CHAIRPERSON: Shri Md. Badaruddoza Khan is permitted to associate with the issue raised by Shri A.H. Khan Chowdhury.

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): सभापति महोदय, आज मैं आपका और सदन का ध्यान भारत देश में फैल रहे कैंसर रोग की तरफ दिलाना चाहूंगा। देश में कैंसर बहुत बड़ी मात्रा में फैल रहा है। हमारे गांव में छोटे-छोटे बच्चे और युवा गुटखा खा रहे हैं।

महोदय, आप थोड़ा समय दें।

माननीय सभापति : आपके पास तीस सेकेंड का समय है। आज की लिस्ट में आपका नाम नहीं है। फिर भी मैंने आपको बोलने के लिए कहा है। प्लीज़, इसका ध्यान रखिए।

श्री देवजी एम. पटेल : महोदय, धन्यवाद। लेकिन, यह कैंसर का इश्यू है।

महोदय, यहां अर्जुन जी बैठे हैं। भारत सरकार और ये लोग गुटखा पर टैक्स तो बहुत ज्यादा लगाते हैं। उसमें समस्या यह होती है कि उस पर टैक्स लगाने के बाद उससे जो पैसे आते हैं, उससे हॉस्पीटल्स खड़े होते हैं और उस पैसे से ऐड भी ये लोग देते हैं, लेकिन उससे कैंसर की रोकथाम नहीं हो रही है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से कहना है कि हमारे राजस्थान में अफीम पर बैन है। हम अफीम नहीं खा सकते, लेकिन हम अफीम उगाते हैं, क्योंकि वह मेडिसिन में काम आ रहा है। ये गुटखा और सिगरेट किसी मेडिसिन में काम नहीं आ रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस गुटखा और सिगरेट को अफीम की तरह ही बैन कर दिया जाए। जब वह बनेगा ही नहीं तो फिर उसका ऐड नहीं दिया जाएगा और उससे कैंसर होगा ही नहीं और इस तरह हम देश को और देश के धन बचाएंगे। मेरी यही मांग है कि इसके ऊपर सरकार ध्यान दे।

माननीय सभापति : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री बलभद्र माझी, श्री लखन लाल साहू, श्री अश्विनी कुमार चौबे, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, श्रीमती ज्योति धुर्वे, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह, श्री अरविंद सावंत, डॉ. हिना विजयकुमार गावीत, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे एवं डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे को श्री देवजी एम. पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री ताम्रध्वज साहू (दुर्ग) : सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य में मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र दुर्ग में खारून, शिवनाथ जैसी बड़ी नदियां बहती हैं। नदी की लम्बाई में अनेक गांव उसके तट पर बसे हुए हैं। बरसात के दिनों में बाढ़ से प्रतिवर्ष उसके तट का कटाव होता है। कई गांवों की स्थिति एक-दो सालों में नदी के कटाव के कारण नदी में समा जाने की हो गयी है। उसमें तटबंध कराया जाना आवश्यक हो गया है। राज्य सरकार केन्द्र सरकार से राशि आने पर स्वीकृति की बात कहती है। अतः मैं केन्द्र सरकार से निम्नांकित गांवों में नदी किनारे तटबंध (पीचिंग) के लिए राशि स्वीकृत करने की मांग करता हूं - शिवनाथ नदी पर तवलघोर, मंगलोर, तितुरघाट, सहगांव; खारून नदी पर सहगांव, झेंझरी, छातागढ़।

श्री गणेश सिंह : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का, देश का तथा इस सदन का, सबका ध्यान मध्य प्रदेश में चल रही 'नर्मदा सेवा यात्रा' के सफलतापूर्वक 100 दिन पूरा करने की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस यात्रा को 11 दिसम्बर को 'स्वच्छ नर्मदे, अविरल नर्मदे' को लेकर शुरू की थी, जिसे आम जनमानस ने जनांदोलन का रूप दे दिया।

अब तक इस यात्रा में धर्मगुरू दलाई लामा जी, पूज्य शंकराचार्य जी, श्री मोरारी बापू जी, स्वामी अवधेशानंद जी, श्री श्री रविशंकर जी, बाबा रामदेव जी, संत श्री सुधांशु महाराज जी, अनूप जलोटा जी, सद्गुरू जग्गी वासुदेव जी, सुश्री अनुराधा पौडवाल जी, साध्वी ऋतंभरा जी, अमिताभ बच्चन जी, लता

मंगेशकर जी जैसे बड़ी संख्या में सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले नामचीन लोगों ने वहां पर पहुंच कर इस यात्रा की प्रशंसा की।

माननीय सभापति : आपकी डिमांड क्या है?

श्री गणेश सिंह (सतना) : सभापति महोदय, 'नर्मदा सेवा यात्रा' इसलिए नहीं है कि वह सिर्फ मध्य प्रदेश के 16 जिलों में जाकर जन-जागरण अभियान करे, बल्कि देश की सारी नदियों के लिए इसी तरह की सेवा यात्रा शुरू हों। मेरे क्षेत्र में कुछ नदियां हैं, जैसे मंदाकिनी, तमस, समरावल इत्यादि। भारत सरकार इस पर एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाए और पूरी तरह से इन के लिए एक यात्रा शुरू करे।

माननीय सभापति : श्री भैरों प्रसाद मिश्र एवं कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री गणेश सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री भीमराव बी. पाटील (ज़हीराबाद) : सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं किसानों के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। अभी मार्च के अंतिम हफ्ते में हेवी स्टोन एवं रेन की वजह से 30 हजार हेक्टेयर के आस-पास पैडी का और 10 हजार हेक्टेयर के आस-पास मेज़ एवं ज्वार का फसल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस वजह से हमारे क्षेत्र के किसान बहुत ही चिंता में है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि प्रभावित किसानों को कंपसेशन दिया जाए। फार्मर्स ने इसके लिए प्रीमियम भी पे किए हैं। मेरा एक दूसरा छोटा सा सवाल है कि हमारे तेलंगाना में मिर्ची को कैश क्रॉप माना जाता है। विगत साल मिर्ची का रेट 12 से 15 हजार रूपये था, लेकिन इस साल 3500 रूपये से 4000 रूपये के बीच का रेट है। इसका भी एम.एस.पी. डिसाइड होना चाहिए। अगर आने वाले दिनों में किसानों को मिर्ची का रेट 7 से लेकर 8 हजार रूपये तक मिलेगा तो किसानों को दिलासा मिलेगा, क्योंकि वे बहुत ही चिंतित हैं। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से विनती करना चाहता हूं कि वे इन दोनों मामलों में दखल दें एवं हमारे क्षेत्र के किसानों की मदद करें।

श्रीमती रंजनबेन भट्ट (वडोदरा): सभापति महोदय, आपने मुझे अपने क्षेत्र की बात रखने के लिए समय दिया, इसलिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं।

अभी हमारे सांसद महोदय ने कैंसर की बारे में बात की है। कैंसर न केवल हमारे देश में ही, बल्कि पूरे विश्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में स्थान लिया है। एक आँकलन में आया है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ-साथ नियमित एवं संतुलित रूप से कैंसर संबंधित ट्रीटमेंट और रेडियाथैरेपी की सुविधाओं में भी निरंतर वृद्धि करनी पड़ती है।

मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि गुजरात सरकार के वित्तीय वर्ष 3015-16 के बजट में वडोदरा के एस.एस.जी. अस्पताल में टर्शियरी कैंसर केयर सेंटर स्थापित करने का प्रावधान था। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि मेरे वडोदरा क्षेत्र के एस.एस.जी. अस्पताल में टर्शियरी कैंसर केयर सेंटर की स्थापना की जाए। धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री देवजी एम. पटेल को श्रीमती रंजनबेन भट्ट द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सौमित्र खान (बिशनपुर) : सर, धन्यवाद। मेरा जो मांग है, वह यह है कि पश्चिम बंगाल को बार-बार पश्चिम बंगाल बोल कर पीछे कर दिया जाता है। सर, मैं बांग्ला भाषा में बोलना चाहता हूं।

HON. CHAIRPERSON : There is no translation because you have not given any prior notice. If you want to speak in Hindi, you can speak in Hindi.

… (*Interruptions*)

श्री सौमित्र खान : मेरी यह मांग है कि पश्चिम बंगाल राज्य के नाम से पश्चिम शब्द हटाकर सिर्फ बंगाल करा दीजिए। यह हमारे राज्य के लोगों एवं सभी सांसदों की डिमांड है कि इस राज्य का नाम बंगाल किया जाए।

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में इटारसी से जबलपुर के बीच में एक पैसेंजर ट्रेन चलती थी और श्री गणेश सिंह जी के क्षेत्र सतना से जबलपुर के बीच में भी एक पैसेंजर चलती थी, अब इन दोनों ट्रेनों को बंद करके एक नई एक्सप्रेस ट्रेन चलायी जा रही है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि एक्सप्रेस ट्रेन चलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह ट्रेन प्रत्येक उस स्टेशन पर खड़ी हो रही है, जहां पर पहले पैसेंजर ट्रेन खड़ी होती थी। यह ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से एक घंटा ज्यादा समय लेगी, पैसेंजर ट्रेन का किराया खत्म करके एक्सप्रेस ट्रेन का किराया लिया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से रेल मंत्रालय से विनती है कि जब इस पैसेंजर ट्रेन को एक्सप्रेस ट्रेन बनाया गया है, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि इसको दोबारा पैसेंजर ट्रेन किया जाए या भाड़ा पैसेंजर ट्रेन का ही लिया जाए। इससे गरीब आदमी को आने-जाने में माननीय प्रधान मंत्री के मंशानुसार राहत मिलेगी।

माननीय सभापति : श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्रीमती ज्योति धुर्वे और श्री गणेश सिंह को श्री उदय प्रताप सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। हमारा एक महत्वपूर्ण विषय है, हमारे मुम्बई में मध्य रेलवे का कार्यालय एवं कारशेड है, वहां पर मैकेनिक अप्रेंटिस को ट्रेंनिग दी जाती है। वहां पर एक छात्र निवास है, यह अंग्रेजों के जमाने की बिल्डिंग है, अब ऐसा लगता है कि यह कभी भी गिर सकती है। इसी क्षेत्र में 75 से अधिक झुग्गी-झोपड़ियां हैं, जो वर्ष 1995 से पहले की बनी हुई हैं। इस पुरानी बिल्डिंग के गिरने की डर से झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को वहां से निकालने की बात हो रही है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि रेलवे के जमीन पर जो ये 75 से अधिक झुग्गी-झोपड़ियां हैं, इनमें रहने वालों का पुनर्वास सही ढंग से जल्दी से जल्दी करने का प्रयास किया जाए।

माननीय सभापति : श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री अरविंद सावंत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री ओम बिरला (कोटा) : सभापति महोदय, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है, वह बी.पी.एल. परिवार, गरीब महिलाओं एवं विधवाओं के बच्चों को भी नहीं मिल पाती है। इसमें केंद्र एवं राज्य सरकार का अंशदान 50: 50 प्रतिशत का होता है। मेरी मांग है कि जिस तरीके से एस.सी. एवं एस.टी. के छात्रों को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है, उसी प्रकार से ओ.बी.सी. के बच्चों को भी उतर-मैट्रिक एवं मैट्रिक के लिए छात्रवृत्ति दी जाए, ताकि इस वर्ग के सभी बच्चे निर्बाध रूप से पढ़ाई कर सकें।

माननीय सभापति : श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री देवजी एम. पटेल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री राहुल कस्वां को श्री ओम बिरला द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): महोदय, भारत में बाढ़ और कटाव के कारण गरीब लोगों को धक्के खाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम को सेंट्रली स्पांसर्ड स्कीम में डाले। उत्तर-पूर्वांचल के लिए सेंट्रल-स्टेट का रेश्यो 90 प्रतिशत और 10 प्रतिशत होना चाहिए। धोनश्रीमुख कोलबारी लोलिती, जहां पर सेंट्रल वाटर कमीशन का क्लियरेंस आ चुका है। वहां पर राज्य सरकार को काम करना चाहिए। ढेमाजी, रूपोही, कलियाबोर और लखीमपुर में सरकारों को नया फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम मिलना चाहिए।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। यह होता भी है कि जब अपने को कुछ अवसर देने को मिलता है, तो लोग पहले अपने परिवार को कम देते हैं, दूसरों को ज्यादा देते हैं, लेकिन आपने हमारा ख्याल रखा है, इसके लिए हम पूरे मौहल्ले की तरफ से बहुत आभारी हैं।

मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि पूरे देश में मातृत्व लाभ के लिए, मैटेरनिटी बेनेफिट के लिए महिलाओं के बीच में आशा बहुओं के माध्यम से लगभग 8 लाख हमारी बहनें उन महिलाओं को प्रसव के पूर्व या तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर या डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल पर ले जाने का काम करती थीं और उनको एक डिलेवरी में 600 रुपये मानदेय मिलता था। इधर 102 और 108 की जो योजना, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन में और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में, जो इस तरह की गाड़ियां चालू हुईं, तो अब उनको वह पैसा मिल रहा है, क्योंकि वे एंबुलेंस से चली जाती हैं। ये आज भी राष्ट्रीय महत्व के सब कार्यक्रम कर रही हैं, चाहे पल्स पोलियो हो, टीकाकरण हो, पुष्टाहार हो या महिलाओं के बच्चों की सुरक्षा हो, उनकी मृत्युदर में भी कमी आई है। इनके मानदेय को कम से कम 3,000 रुपये किया जाए। इनका मानदेय 600 रुपये की जगह 3000 रुपये प्रति माह हो।

माननीय सभापति : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री शरद त्रिपाठी को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री छेदी पासवान (सासाराम) : महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महोदय, मेरे द्वारा बिहार के रोहताश जिला अंतर्गत डालमिया नगर उद्योग परिसर के निरीक्षण 12. 01. 2017 के क्रम में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि डालमिया नगर उद्योग परिसर में अवधिक वैगन मरम्मत कारखाना स्थापित करने का कार्य, वर्कशाप प्रोजेक्ट आर्गनाइजेशन, पटना को सौंपा गया है, किंतु इच्छाशक्ति के अभाव के कारण उक्त संस्थान द्वारा कारखाना स्थापित करने में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

अतः मेरा विशेष अनुरोध है कि सदन के माध्यम से संबंधित मंत्रालय को निर्देशित किया जाए, ताकि एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरा किया जा सके। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री छेदी पासवान द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती ज्योति धुर्वे (बैतूल) : सभापति महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ।

अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की आज के समय में जो शिक्षा दर है, वह 41.4 पर्सेंट है। इसमें सहेरिया और वैगा जनजाति की बेटियां हैं, उनका प्रतिशत, 15.9 प्रतिशत है। इस प्रतिशत को हमें बढ़ाने की आवश्यकता है।

मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करती हूं कि इनके प्रतिशत को बढ़ाया जाए और एक लक्ष्य को निर्धारित करते हुए, एक टार्गेट निर्धारित करते हुए इनके प्रतिशत को आने वाले समय में निश्चित ही बढ़ाया जाए।

माननीय सभापति : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती ज्योति धुर्वे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : महोदय, मैं आपका ध्यान माननीय पर्यटन मंत्री जी की ओर दिलाना चाहता हूं। आज सारा देश गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व मना रहा है। मेरे अंबाला लोक सभा क्षेत्र में बहुत से ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, जिनके अनछुए पहलुओं की ओर मैं आज आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

जिस तरह से पर्यटन मंत्री जी ने कुरूक्षेत्र जिले में कृष्णा सर्किट बनाया है, मेरी यह मांग है कि मेरे अंबाला लोक सभा में इसी तरह से गुरु गोविंद सिंह सर्किट बनाया जाए, ताकि ऐतिहासिक स्थलों का विकास हो सके। …(व्यवधान)

मैं सदन को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी भी खुद लोहगढ़ गए, जहां पर बन्दा बहादुर की पहली राजधानी थी। इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि मेरे लोक सभा क्षेत्र को भी कृष्णा सर्किट की तरह एक पर्यटन स्थल बनाया जाए।

माननीय सभापति : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री रत्न लाल कटारिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): The unilateral decisions taken by the SBI and other private banks to impose penalties on customers for not keeping minimum balance and excessive transactions is a new way to loot the common people in the country. The Government is saying that they have given instructions to SBI to withdraw the decision. But there is no clarity and there is no assurance either from the SBI or other private banks to withdraw this decision.

From 1st April, 2017, the State Bank of India is resuming to charge customers who do not maintain monthly account average balance in their savings

bank accounts. As per the new rules, the minimum monthly balance for savings bank account holders in metropolitan areas is Rs. 5,000; in urban areas, it is Rs. 3,000; in semi-urban areas, the amount is Rs. 2,000; and in the rural areas, the amount is Rs. 1,000.

The Government and the RBI must give immediate direction to the banks to withdraw this organized loot. There must be a strict direction before 1st April to withdraw these very controversial decisions.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कोयला मंत्रालय का ध्यान अपने क्षेत्र, खासकर बोकारो, करगली, कथारा, ढोरी क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जहां कोयला निकालने के बाद खदान को खाली रखा गया है। वहां कोयले की चोरी बढ़ रही है, उसमें मवेशी गिर रहे हैं, वाटर लैवल नीचे जा रहा है। अभी राजमहल में घटना घटी जहां 50 आदमी मर गए। अगर वहां कोयला है तो उसे निकाला जाए, अगर नहीं है तो उसे ऐश, ओबी या किसी और चीज से भरा जाए ताकि भविष्य में चोरी की घटना नहीं हो, राजस्व की हानि नहीं हो और कोल इंडिया को लाभ हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON : Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Ravindra Kumar Pandey.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): The Union Government has assigned the work of four laning stretches on various National Highways passing through Odisha to the National Highways Authority of India under the National Highways Development Project. Of which, the work of four laning of Biramitrapur-Rajamunda-Barkote and Cuttack-Angul-Sambalpur stretches on NH-23 and NH-42 respectively has not been awarded to the concessionaire by the NHAI so far despite repeated biddings during the last four years. Neither the Union Government nor NHAI has been taking responsibility of their repair and maintenance. With the result, these stretches are damaged to such extent where plying of vehicles has become dangerous and fatal.

I, therefore, urge upon the Union Government to impress upon the NHAI to award the work of four laning of these stretches and take the responsibility of their upkeep at the earliest to avoid fatal road accidents.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : सभापति महोदय, पहाड़ों का लगातार उत्खनन हो रहा है और जंगल वृक्ष विहीन होते जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण देश में लगातार सूखे और अकाल की स्थितियां निर्मित होती रहती हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस तरह पल्स पोलियो अभियान चलाया गया, स्वच्छता अभियान चलाया गया, वैसे ही पूरे देश में सघन वृक्षारोपण का अभियान चलाया जाए ताकि पर्यावरण संरक्षित रहे और जलवायु परिवर्तन के कारण देश में जो सूखे और अकाल की स्थिति निर्मित हो रही है, उस पर भी नियंत्रण पाया जा सके।

HON. CHAIRPERSON : Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Dr. Virendra Kumar.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, there has been an alarming spurt of Jihadi activities in our neighbouring country, Bangladesh. What has perturbed me is that the Bangladesh Government has warned the Indian Government that, being chased away by the security forces in Bangladesh, those JMB and HUJI affiliated terrorists have been entering into our country through West Bengal, Tripura and Assam. So, I would like to urge the Government that those neighbouring States should be sensitized on this issue.

श्री संतोष कुमार (पूर्णिया) : सभापति महोदय, मैं मक्का किसानों की समस्या उठाना चाहता हूं। देश में सर्वाधिक मक्का बिहार के सीमांचल पूर्णिया क्षेत्र में होता है। मक्का किसानों को सही बाजार नहीं मिल पाता। मक्का का समर्थन मूल्य कम से कम 2000 रुपये तय होना चाहिए, बाजार की व्यवस्था होनी चाहिए और भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार, माननीय कृषि मंत्री जी से मांग करता हूं कि मक्का के बारे में व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAG): The lake city Ajmer is a tourist attraction and a popular pilgrimage centre of Dargah Sharif, Sufi Saint Khwaja Muinuddin Chisti. It is estimated that thousands of pilgrims visit the holy shrine from all over India and abroad everyday and in time of Urs. During Urs, Ajmer is beyond its capacity and the surrounding areas of Dargah are stinky and a face-lift is needed.

There was an announcement of ten iconic religious places including Ajmer Dargah Sharif to be under the standard operating procedure for observing international standards of cleanliness.

Sir, my demand is that basic facilities should be given to people coming from all over India and from abroad.

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): सभापति महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत संत कबीर नगर में आमी नदी की प्रदूषण की समस्या को आपके माध्यम से कई बार उठा चुका हूं। आज आमी नदी की स्थिति यह हो गई है कि उसके पानी का उपयोग किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता है। आसपास की औद्योगिक इकाइयां नदी में आए दिन प्रदूषित कचरा गिरा रही हैं, जिससे वहां के लोगों का जीवनयापन दूभर हो गया है। मेरी सरकार से मांग है कि इस पर कठोर कार्रवाई की जाए।

HON. CHAIRPERSON : Shri Bhairon Prasad Mishra, Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Devendra Singh Bhole and Shri Jagdambika Pal are permitted to associate with the issue raised by Shri Sharad Tripathi.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, the entire workforce in Cochin Shipyard is on strike against disinvestment. The Government of India has decided and notified disinvestment of 25 per cent of the share and the workers are on strike. The Cochin Shipyard is having sufficient financial resources for the development. So, I urge upon the Government to withdraw the proceedings of disinvestment of Cochin Shipyard. Thank you very much, Sir.

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) : सभापति महोदय, आज देश में अशुद्ध पेयजल पीने से हजारों-लाखों लोगों को बीमारी हो जाती है। हजारों लोग इसकी चपेट में आते हैं और इससे सैकड़ों लोग मर जाते हैं।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि गांव और शहरों में बोरवेल और कुँओं से पानी पीते है, उससे सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। गांव और शहरों में भूगर्भ में टांका बनाया जाए और इसमें शुद्ध पेयजल दिया जाए। इससे गांव और शहरों में बहुत से लोग बीमारी से बच सकते हैं और जनहानि की कमी हो सकती है।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Naranbhai Kachhadia.

The House stands adjourned to meet again at 2.20 p.m.

13.22 hours

The Lok Sabha then adjourned till Twenty Minutes past Fourteen of the Clock.

<u>14.30 hours</u>

The Lok Sabha re-assembled at Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.

(Shri Hukmdeo Narayan Yadav *in the Chair*)

FOOTWEAR DESIGN AND DEVELOPMENT INSTITUTE BILL, 2017 ... Contd.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): I beg to move :

> "That the Bill to establish and declare the Footwear Design and Development Institute as an institution of national importance for the promotion and development of quality and excellence in education, research and training in all disciplines relating to footwear and leather products design and development and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration."

माननीय सभापति : मंत्री जी, क्या आपको बिल के संदर्भ में कुछ बोलना है?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN : Thank you, Sir.

As many of the hon. Members will be aware, the Footwear Design and Development Institute was established in 1986. The objective of this Institute was very clearly to expand the activities of the leather industry and give it the necessary impetus by providing an institution, which can give design and suggestions, and also build the capability among people who will be the essential skilled workforce for the leather industry.

The campuses were set up and, today, we have seven of them doing extremely well from the point of view of providing skills and a Diploma at the end of the course, and based on which you have students qualifying for design and development of leather and leather goods. It is not just footwear, but leather-based other accessories and professional wear that can be produced.

Now, this set of institutions, which are seven all across the country, have been doing exemplary work and the students have been given good opportunity and they have been recruited through campus recruitments for very good assignments in leather-related industry. The courses are wide and varied. They look at retail marketing capabilities; they look at technology development; and they look at tools and implements, which are required for production of leather-based commodities. The course has had a wide base as a result of which the course itself is considered to be a very comprehensive one.

Today, we are here to put it to the consideration of the hon. Members and, through you, I would like to state that the hon. Members consider providing institute of national importance stature for this set of institutions, which are at the moment in seven different places.

Together with it, there are more than 40 training centres, which are all over the country, which prepare trainers who can train students in different institutions about the art of treating leather and leather being used as a raw-material for production of certain goods whether they are footwear, jackets, wallets, belts or any other accessory. Together with the institution, we also have training centres, which have state-of-the-art facility in training trainers who can then go into the market and help in building capacities.

I would like to quickly draw the attention of the Members about its curricular capability. It was initially running courses by itself and later got affiliated to the Indira Gandhi National Open University.

Now, the institutions are present all over the country as I said. Only a national university could certify courses. However, although the Indira Gandhi National Open University was giving the degrees, these courses are *in situ* courses, in the sense that they are classroom-based courses in the campuses in which they are held. In 2012, for some reason, the Indira Gandhi National Open University

said that it could no longer provide the certification and the degrees for these students because they can only now do distance education and could not provide for classroom based courses, and without adequate notice, that certification process attached to the IGNOU was stopped.

The FDDI, at that time, keeping the developed exigency in mind, put a tender call to see if there would be any university which can affiliate the FDDI and, on the basis of the advertisement, shortlisted a set of universities. At the end of the day, Mewar University in Rajasthan agreed to get the FDDI associated and affiliated to itself and start providing the certification. Unfortunately, although this had happened in 2012, by 2014, the University Grants Commission came to see the development and said that it was completely untenable because as a university, Mewar, which was located in Rajasthan, could at best only deal with institutions which are located in Rajasthan and not certify courses which are being held in different institutions all over the country. Since then, there has been an attempt in 2014. Our Prime Minister placed a lot of emphasis on skill development and looked at the potential that this FDDI had. We did not want the students to suffer. From then, the attempt from the Prime Minister's Office and from us has been to see as to what will be the way in which we can get these students a certification from a proper university. We even tried looking at the prospects of getting them a deemed university status if that was workable. Having tried several of these, we have now realised that the only way in which the stature of the institution can be kept up and also the curriculum content could be maintained at the level, as it is, is completely self-financing set of courses.

The only way in which we thought the course content and the level at which this institution can function can be maintained is by seeking Parliament's approval to give it the stature of the institute of national importance. That is why we are here before you recognising the importance of skill component that this

institution offers not just through the existing seven, there are five of them more to come, new ones to come. Other than these campuses, there are centres through which skill development courses are being conducted, as I said, for the trainers based on the importance of skill development and job opportunity creation.

It is submitted to the consideration of the hon. Members that this Bill seeking Parliament's approval to give FDDI the stature of national importance is favourably considered by all the hon. Members and the matter is taken favourably. Thank you.

HON. CHAIRPERSON : Motion moved:

> "That the Bill to establish and declare the Footwear Design and Development Institute as an institution of national importance for the promotion and development of quality and excellence in education, research and training in all disciplines relating to footwear and leather products design and development and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration."

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : सभापति महोदय, आज मंत्री जी फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान विधेयक, 2017 लेकर आयी हैं। आप कह सकती हैं कि इससे हमारे देश में रोजगार बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को रोजगार मिलेगा, स्किल डेवेलपमेंट वालों को रोजगार मिलेगा, जिनके पास पहले से हुनर है, हमारे कारीगर हैं, हमारे बुनकर हैं, जूते बनाने वाले लोग हैं, कोल्हापुरी जूते बनाने वाले लोग हैं, वे अपना काम करते हैं, शायद आप उनको ऑर्गनाइज करके अच्छी तरह से और दो रुपए कमाने का साधन देंगे। बिल पढ़ने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसमें जो मंशा है, मंत्री जी की मंशा अच्छी हो सकती है लेकिन आपकी गवर्नमेंट की मंशा सही है और किस लिए है, क्योंकि एक तरफ आप इसे राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बिल के रूप में देख रहे हैं। दूसरी तरफ आपके मुख्य मंत्री के आवास में लैदर से बनी जो चीजें हैं, उन्हें हटाने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या आप देश में चमड़े से बनी चीजों की मार्केटिंग करेंगे? आज ज्यादातर बूचड़खानों को बंद किया जा रहा है। कानपुर में गंगा नदी के नाम पर छोटी-छोटी चमड़े की फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया है। आप एक तरफ शाकाहारी भारत को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ लैदर को प्रोजेक्ट करने की बात कह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सरकार क्या चाहती है? क्या सरकार चाहती है कि पूरा भारत शाकाहारी हो जाए? लैदर को पहनने की हमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन हमारे देश में लैदर व्यवसाय से जुड़े जो लोग हैं, क्या वे पाप कर रहे हैं? हम स्वयं

तो पाप नहीं करेंगे, तो क्या ज्यादा से ज्यादा चमड़ा इम्पोर्ट किया जाएगा? जैसा मंत्री महोदया कह रही थीं कि केवल फुटवियर ही नहीं, बल्कि डिजाइनर वॉलेट, बैल्ट, जैकेट आदि भी बनाई जाएंगे। मुझे लगता है कि सरकार को यह तय करना चाहिए कि वह चमड़ा व्यवसाय के साथ है या नहीं है या कहीं आपस में ही कोई विरोधाभास तो नहीं है। यह बहुत अहम बात है कि हम रॉ मैटीरियल कहां से लेंगे। अगर हम सारा रॉ मैटीरियल इम्पोर्ट करेंगे, तो कहीं इसमें षड्यंत्र तो नहीं है कि विदेशी कम्पनियों को ही प्रोजेक्ट करना है। कहीं विदेशी कम्पनियों के साथ तो कोई सांठ-गांठ तो नहीं है? क्या हम अपने देश के लैदर को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे और अपने चमड़ा उद्योग के कारीगरों को प्रोत्साहित करने का काम करेंगे?

महोदय, यह कहा गया कि छोटे-छोटे चमड़ा उद्योग को, इससे जुड़े स्किल डेवलपमेंट को, युवाओं को हम जोड़ेंगे, लेकिन नोटबंदी की वजह से छोटे लघु उद्योग जो चमड़े के जूते बनाते हैं, जो कारीगर हैं, बुनकर हैं, उनका काम ठप हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सरकार दोनों रास्ते लेकर कैसे चल सकती है।

महोदय, तीसरी बात यह है कि विदेशी फुटवियर का दबदबा हमारे देश में बहुत ज्यादा है और प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है। मुझे इस संबंध में कोई ठोस योजना नहीं दिखाई दे रही है। आपने डिजाइनर फुटवियर की बात कही है, जैसे मोज़री, जूती, खड़ाऊ, हमारे देश में ये सामान पंजाब, आगरा, कानपुर में बनता हैं, क्या इन राज्यों से भी आप बात करेंगे।

महोदय, मेरा एक प्रश्न यह है कि लैदर के साथ-साथ जो इको फ्रैंडली फुटवियर है, उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे और लोगों में कैसे जागरुकता फैलाई जाएगी। हमारे देश में फैबइंडिया, अनोखी, किलोट आदि स्टोर्स हैं, लेकिन बहुत अमीर लोग ही परचेज करते हैं और पहनते हैं। आप देख सकते हैं कि मेक्सिमम परसेंटेज पर इको फ्रैंडली चीजें नहीं जाती हैं, तो उनकी मार्केटिंग आप कैसे करेंगे? क्या आप सिर्फ लैदर को ही बढ़ावा देंगे या जैसे हमारी कोल्हापुरी जूती है, पंजाबी जूती है, राजस्थानी जूती है, मोज़री है, खड़ाऊ है, इनके लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे?

महोदय, फुटवियर एक बहुत बड़ा सैक्टर है और विदेशी कम्पनियां इसमें बहुत आगे हैं। यह एक बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर है। इस सैक्टर को हम कैसे आर्गेनाइज्ड करें, इस बारे में भी कोई विशेष प्लानिंग मुझे नज़र नहीं आ रही है। खादी ग्रामोद्योग हमारे सामने है, उसकी दशा किसी से छिपी नहीं है। आप मेट्रो सिटीज को देख सकते हैं। बिहार में दस-पन्द्रह साल से जो खादी ग्रामोद्योग बंद हैं, वे दोबारा खुल सकें, उसमें हम सफल नहीं हो पाए हैं। फुटवियर सेक्टर के द्वारा बहुत-से लोगों को लाभ दे सकते हैं बशर्ते इसे सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए। चमड़ा उत्पादकों को क्या सुविधाएं देंगे, ग्रामीण

अंचलों में जो छोटे-छोटे चमड़ा उत्पादक हैं एवं ग्रामीण क्षेत्र के जूता निर्माताओं को क्या-क्या छूट दी जाएगी। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के जूता निर्माताओं के लिए मार्केटिंग की क्या व्यवस्था करेगी और उनके सामानों के निर्यात का वातावरण कैसे बनाएगी। पुश्तैनी कारीगरों, बुनकरों के साथ मैं मधुबनी पेंटिंग्स के कलाकारों को जरूर जोड़ना चाहूँगी। अभी ट्रेनों में इसके कुछ पिक्चर्स मिल जाते हैं या इम्पोरियम में कुछ साड़ियों में दिखते हैं।

बहुत-से फुटवेयर्स ऐसे हैं, जिनमें डिजाइनिंग होती हैं, खासकर विदेशी ग्राहक हमारी ट्रेडिशनल कला की ओर बहुत आकर्ख़ित होते हैं। क्या मधुबनी पेंटिंग्स को भी आप फुटवियर्स में यूज़ करेंगे?

एमाज़ोन एक कंपनी है, जिसके द्वारा ऑनलाइन मार्केटिंग होती है, उस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत-सी विदेशी कंपनियाँ एमाज़ोन के द्वारा विदेशों में हमारे महान लोगों की तस्वीरें, यहाँ तक कि हमारे देवी-देवताओं की तस्वीरों को भी फुटवियर में यूज़ करते हैं। इस संबंध में श्रीमती सुषमा स्वराज जी का एक बार स्टेटमेंट भी आया था। उन पर गांधी जी के स्टैम्प लगाये जाते हैं, भारत के फ्लैग का स्टैम्प लगाया जाता है, यहाँ तक कि बहुत-से देवी-देवताओं की तस्वीरों को भी यूज़ किया जाता है।

मेरा कहना है कि इंडिया में नहीं, बल्कि हमारे महान लोगों की तस्वीरें विदेशों में यूज़ करके वे अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, तो इस विधेयक में कौन-सा कानून है, जो उसे रोक पाएगा।

आपने गवर्निंग काउंसिल में 15 मेम्बर्स और चेयरपर्सन के रूप में किसी इंडस्ट्रियलिस्ट या किसी साइंटिस्ट को रखने की बात इसमें कही है। मेरा कहना है कि इसका दुरुपयोग होगा। जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, उनकी मोनोपोली चलेगी। आपके बिल का मुख्य उद्देश्य, जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा बेरोज़गार हैं, कुशल कारीगर हैं, पुश्तैनी हुनरमंद हैं, को लाभ पहुंचाना है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस मोनोपोली से उनको कोई भी लाभ मिल पाएगा। इसलिए मेरे ख्याल से, चेयरपर्सन की सीट पर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं रखना चाहिए।

फुटवियर की प्राइस पर हम लोगों को बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आज एक नॉर्मल फुटवियर, जो देखने में थोड़े अच्छे लगते हैं, वे आठ सौ से नौ सौ रुपये तक के हैं। वे भी टिकाऊ नहीं होते हैं। वे दो-तीन महीनों में ही टूट जाते हैं। इसलिए इसके प्राइस को कंट्रोल करना जरूरी है।

यदि हमारी कंट्री का प्रोडक्ट होगा, होम प्रोडक्ट होगा, तो उसकी प्राइस और क्वालिटी पर ध्यान देना होगा। आज क्वालिटी मेनटेन करना बहुत जरूरी है। यह भी ध्यान रखना होगा कि ग्रामीण बेरोज़गारों को, जिनके पास हुनर होते हुए भी काम नहीं है, उनको इससे लाभ मिले।

आपने कौशल विकास की बात तो की है, लेकिन उसमें क्लियर नहीं है कि कौशल विकास से प्रशिक्षित लोगों को इसके द्वारा काम कैसे मिलेगा। इसका कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं दिया गया है।

आज के बच्चे नाइकी, एडिडास, प्यूमा आदि विदेशी ब्रांड्स की बात करते हैं। इसलिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम अपने कंट्री के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कैसे करेंगे। यह बहुत जरूरी है। हम लोग जब शूज़, चप्पल, लेदर जैकेट, वॉलेट, बेल्ट आदि खरीदने जाते हैं, तो हर बच्चा, जिसके पास पैसे कम भी होते हैं, तो भी वह ब्रांडेड सामान ही लेना चाहता है, जिनमें मैक्सिमम विदेशी कंपनियाँ होती हैं। इसलिए चुनौती सिर्फ यही नहीं है कि हम सिर्फ कह दें कि स्वदेशी अपनाओ। मुझे नहीं लगता है कि जब तक हम क्वालिटी मेनटेन नहीं करेंगे, तब तक हमारा कस्टमर उन चीज़ों को खरीदेगा, जिनका आप प्रचार कर रहे हैं।

पेप्सी और कोक हमारे बाढ़ के दियारा इलाके में भी मिल जाता है, लेकिन शिकंजी, सत्तू और लस्सी, जो हैल्थ वाइज बहुत अच्छे ड्रिंक्स है, वे नहीं मिलते हैं। हमारी मार्केटिंग बहुत पुअर है। हम अपनी हैल्दी चीजों का प्रचार नहीं कर पाते हैं। जैसे पंजाबी जूते की बात हो या कोल्हापुरी चप्पल की बात हो, हम उन्हें खरीदते हैं, लेकिन हम उन्हें रेग्युलर नहीं पहन सकते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उनसे हमारा पैर कट रहा है। That is not comfortable. विदेशी मार्केट इस बात का बहुत ख्याल रखता है कि first comfort, then designing. मुझे लगता है कि हमें डिजाइनिंग के साथ ही कमफर्ट पर भी ध्यान देना चाहिए। यह बहुत जरूरी है और आज ग्राहक भी यह चाहता है कि उसकी चॉयस सुंदर दिखने के साथ-साथ कमफर्टेबल भी हो।

महोदय, आज गरीब व्यक्ति इंडियन प्रोडक्ट जैसे जूते-चप्पलें इसलिए खरीदता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। वह इन्हें इसलिए खरीदने को मजबूर है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। ऐसे व्यक्ति के पास जब पैसा आता है, तो वह अपना होम-मेड प्रोडक्ट इसलिए नहीं खरीदता है, क्योंकि उस प्रोडक्ट की क्वॉलिटी अच्छी नहीं है और वह टिकाऊ नहीं है। यह बहुत जरूरी है कि हम क्वॉलिटी को भी मेंटेन करें।

महोदय, इस विधेयक के संबंध में मैं दूसरी बात यह कहूँगी कि इसमें जो इंस्टीट्यूट्स खोले जा रहे हैं, उनमें महिलाओं को जोड़ने का कोई आधार मुझे नहीं दिख रहा है। आज स्किल इंडिया के तहत गाँवों की जोड़ने की बात करते हैं। मैं कहूँगी कि आपको इसमें सैल्फ हैल्प ग्रुप्स को भी किसी तरीके से जोड़ना चाहिए। मैं यहाँ थाइलैंड का एग्जाम्पल दूँगी। वहाँ नाइकी और एडिडास के शूज बनते हैं। वहाँ की ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उनसे इन शूज की सिलाई का काम कराया जाता है। क्या आपके

विधेयक में ऐसी कोई स्कीम होगी जिसमें इस तरह के प्रोडक्ट्स के कामों में थाइलैंड की तर्ज पर हमारे यहाँ की महिलाओं को रोजगार मिल सके? इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा।

महोदय, मैं अब सस्ते और नरम चमड़े के संबंध में कहना चाहूँगी कि हमारे प्रदेशों में अलग-अलग तरह के चमड़े मिलते हैं। कुछ जगहों पर सॉफ्ट चमड़ा मिलता है और कहीं पर हार्ड चमड़ा मिलता है। कहीं चमड़े की प्रीमियम क्वॉलिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं और कहीं चमड़े की थोड़ी लो क्वॉलिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं। मुझे लगता है कि हमें प्रदेशों को उनमें मिलने वाले चमड़े की क्वॉलिटी पर बाँटना चाहिए। जहाँ जिस प्रकार की क्वॉलिटी का चमड़ा है, उसके अनुसार इस काम का प्रशिक्षण वहाँ दिया जाना चाहिए। यदि किसी प्रदेश में लो और किसी प्रदेश में प्रीमियम क्वॉलिटी का चमड़ा है, तो वहाँ मिलेट्री शूज अलग प्रदेश में बनें और मजदूर के शूज अलग प्रदेश में बनें। इसी प्रकार ऑफिस वियर शूज अलग प्रदेश में बनें। मैं यह कहना चाहूँगी कि आप इसे गंभीरता से देखें।

महोदय, कर्मचारियों की पेंशन के बारे में कोई स्पेसिफिक आंसर मिला है। इस विषय पर मेरा यह कहना है कि उसकी सिर्फ खानापूर्ति न हो। हर किसी को उसका हक मिलना चाहिए। एफ.डी.डी.आई. सन् 1986 में इस्टैब्लिश हुआ था। मैं कहूँगी कि आज भी एफ.डी.डी.आई. के आठों कैंपस के स्टूडैंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इसे अभी तक वैलिड डिग्री नहीं माना गया है। मैं यह पूछना चाहूँगी कि इस डिग्री को वैलिड कब किया जाएगा?

माननीय सभापतिः अब आप कन्क्लूड कीजिए।

श्रीमती रंजीत रंजनः महोदय, मैं कन्क्लूड कर रही हूँ। एडमिशन का क्रायटेरिया भी अच्छी तरह क्लियर नहीं है। कौन से ऐसे सेफगार्ड हैं, जिनसे यह गारंटी मिलेगी कि गरीब का बच्चा भी एडमिशन ले पाएगा। इन इंस्टीट्यूट्स की फीस बहुत ज्यादा है। आपने प्रति सेमेस्टर की फीस 56 हजार रुपए तय की है। होस्टल की फीस 18 हजार रुपए रखी गई है। आपने यह बताया है कि इसमें आरक्षित कोटा अलग होगा, लेकिन उस कोटे की फीस क्या होगी, यह आपने नहीं बताया है। इसमें मैं एक बात और जोड़ूँगी कि यह जरूरी नहीं है कि जनरल कोटे वाले सभी लोग प्रति सेमेस्टर 56 हजार रुपए की फीस देने लायक होंगे। आप ग्रामीण इलाकों के बारे में कह रहे हैं। ग्रामीण इलाकों के केवल रिजर्वेशन प्राप्त लोग ही गरीब नहीं होते हैं, वहाँ जनरल कोटे के लोग भी गरीब होते हैं। यदि आपके विधेयक का मकसद गरीब युवा और महिलाओं को रोजगार देना है, तो मुझे लगता है कि आपको इस फीस में कटौती करनी पड़ेगी। मिनिस्टर साहब मैं फिर कहूँगी कि आपका बिल अच्छा है, लेकिन आप यह जरूर सोचिएगा कि आपकी सरकार की मंशा लैदर से

बनी चीजों को प्रोत्साहित करने की है। आपकी सरकार में ही बहुत बड़ी रूकावट है। यदि सरकार की कथनी और करनी में फर्क हो, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको इसे तय करना पड़ेगा। ऐसा न हो कि ...*

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : सभापति महोदय, लोक सभा के पटल पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी द्वारा 14 मार्च, 2017 को रखे गए फुटवियर डिज़ाइन एण्ड डेवलपमेंट बिल, 2017 का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरी विपक्ष की सांसद मित्र ने जब अपना भाषण प्रारंभ किया तो लगभग प्रारंभ में उन्होंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया और कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने इनका पूरा भाषण बहुत गंभीरता व ध्यान से सुना। मुझे लगता है कि उनको यह बिल समझ में नहीं आया है और मुझे लगता है कि उन्होंने इस बिल को ठीक से समझने का प्रयास भी नहीं किया था।...(व्यवधान)

श्रीमती रंजीत रंजनः आपने सही कहा, मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि आपकी कथनी और करनी में फर्क है।

माननीय सभापतिः शेखावत जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : इन्होंने जितने सारे कमेंट इस बिल को लेकर किए हैं। मुझे लगता है कि मैं अपनी बात रखूंगा, उसमें सारी टिप्पणियों के जवाब इनकों यहां मिल जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर माननीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, भारत सरकार का और साथ ही साथ भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। ऐसे लाखों लाख श्रमिक व इनके परिवार, उनके बच्चे जो इस महत्वपूर्ण उद्योग में लगे हैं, जो उद्योग न केवल भारत में महत्वपूर्ण है, अपितु पूरे वैश्विक बाजार में बहुत महत्व रखता है, ऐसे उद्योग में काम करने वाले एवं संभावनाएं रखने वाले उद्योग में, ऐसे निर्यात और रोजगारोन्मुखी उद्योग में, जिसकी असीम संभावनाएं विश्व भर में हैं, जिसका बाजार लगभग 8 लाख करोड़ रुपये प्रतिवर्ख़ का है, ऐसे बाज़ार में भारत की प्रबल संभावनाओं को प्रगाण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यह बिल प्रस्तुत किया है।

महोदय, भारत में, जैसा माननीय मंत्री महोदया जी ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि भारत भर में लगभग पिछले दो दशक से ऐसे 7 इन्स्टीट्यूट काम कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि किस तरह से ये संस्थान पिछले 20 वर्षों में चमड़े और चमड़े से बने उत्पादों के निर्माण के क्षेत्र में किस

* Expunged as odered by the Chair

तरह से युवकों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा देने की दिशा में का काम रहे हैं। फुटवियर डिज़ाइन एण्ड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जिनका जिक्र माननीय मंत्री महोदया जी ने किया, वर्ष 1986 में प्रारंभ हुए थे। जब ये इंस्टीट्यूट प्रारंभ हुए, तब आरंभ के समय इन संस्थानों में, जो नोएडा, फुर्सतगंज, चेन्नई, कोलकाता, छिन्दवाड़ा, रोहतक और मेरे शहर जोधपुर में स्थापित हुए थे। इन्होंने इस क्षेत्र में फुटवियर डिज़ाइनिंग एण्ड प्रोडक्ट मार्केटिंग में, क्रिएटिव डिज़ाइनिंग, कैड और कैम ऐसेसरीज़ डिज़ाइनिंग में एवं लैदर गुड्स एण्ड ऐक्सेसरीज़ डिज़ाइनिंग में बी.बी.ए., एम.बी.ए., बी.एस.सी. इस तरह के डिप्लोमाज़ और डिग्री देने की दिशा में काम किया।

15.00 hours

यह केवल जूते से सम्बद्ध नहीं है, अपितु फैशन और लाइफस्टाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए इस विषय में जिस तरह से पिछले बीस वर्षों में हजारो-हजार विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।

मेरी मित्र अभी चर्चा के दौरान आशंका व्यक्त कर रही थीं, मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि पिछले बीस वर्षों में इस क्षेत्र में जो रोजगारोन्मुखी शिक्षा इन-कैम्पस दी गई। जैसा माननीय मंत्री महोदया ने कहा कि इंडस्ट्री स्पांसर्ड प्रोग्राम के माध्यम से यदि मैं आंकड़ों की चर्चा करूं तो पिछले दो वर्षों में, जब से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, 1 लाख 45 हजार बच्चों को इन संस्थानों में डैवलप किये हुए करीकुलम के माध्यम से शिक्षा मिली है। यदि मैं केवल इन कैम्पस स्टूडैंट्स की चर्चा करूं तो पिछले बीस वर्षों में जितने विद्यार्थी इन संस्थानों से पढ़कर निकले हैं, उनमें से 65 प्रतिशत से ज्यादा विद्यार्थी नॉन-मैट्रो सिटीज से, छोटे-छोटे गांवों और शहरों से आते हैं। अतः आपकी यह आशंका बिल्कुल निर्मूल है और इसीलिए मैंने कहा कि शायद आपने विषय को समझने का प्रयास नहीं किया। ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : सभापति जी, इनको जो बोलना है, वह बोलने दो, श्रीमती रंजीता रंजन ने बिल को वैलकम किया और उनके कहने का जो मकसद था, वह उन्होंने सदन के सामने रखा। आपको जो कहना है, कहिये। उसे छोड़कर आप बार-बार इन्हें क्यों कह रहे हैं। मिनिस्टर इसका जवाब देंगी, क्या आप इन्हें पूरा जवाब दे रहे हैं?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः सभापति महोदय, जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा कि मुझे लगा कि शायद उन्हें समझ में नहीं आया, इसलिए मैं विस्तार से उनको समझाने का प्रयास कर रहा था। शायद मेरी ही कुछ नासमझी होगी कि उनकी नासमझी को मैं समझ नहीं पाया।

माननीय सभापतिः आप अपनी बात कहिये।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः देश भर में अभी सात संस्थान काम कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से माननीय मंत्री महोदया का अभिनंदन करना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में पांच और नये संस्थान प्रारम्भ करने की दिशा में उन्होंने निर्णय लिया है। जो इस वर्ष 2017 से काम करना प्रारंभ करेंगे। पिछले इतने वर्षों से जो संस्थान काम कर रहे हैं, इन संस्थानों के बारे में यदि मैं केवल जूते के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, यदि मैं डिजाइन और लाइफस्टाइल इंडस्ट्री के दूसरे प्रोडक्ट्स को एक तरफ रख दूं, तो इन संस्थानों ने हमारे भारत की पुलिस के लिए, जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डैवलपमैन्ट है, उसके मानकों के आधार पर जिस तरह के जूतों की आवश्यकता देश के पुलिसकर्मियों को थी, हमने इन इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से उस डिजाइन को डैवलप किया। आज मैं खुशी के साथ कह सकता हूं कि देश के 12 प्रदेशों की पुलिस फोर्स इन इंस्टीट्यूट्स के द्वारा डैवलप किये हुए जूते पहनकर अपना काम करती है। मैं केवल पुलिस के बारे में ही चर्चा नहीं कर रहा हूं। एयर फोर्स, जो भारत की सेना का एक अभिन्न अंग है, आज इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स भी इन्हीं संस्थानों में निर्मित और डिजाइन किए हुए शूज को काम में ले रहे हैं। एम.टी.एन.एल., इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी इनका उपयोग किया जा रहा है।

मेरी साथी गरीबों के बारे में चिंता व्यक्त कर रही थीं। मैं बताना चाहता हूं कि देश भर में जो तेंदू पत्ता बीनने वाले लोग हैं, वे बहुत गरीब लोग हैं। उन लोगों के लिए एक लो कॉस्ट जूता इन संस्थानों से डिजाइन हुआ था और लगभग 1 लाख 25 हजार पेयर्स ऑफ शूज उन तेंदू पत्ता बीनने वाले लोगों के द्वारा उपयोग किये जा रहे हैं।

महोदय, यह अत्यंत डायनेमिक क्षेत्र है, बहुआयामी क्षेत्र है और जो लैदर गुड्स का इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री को केवल जूते की तरफ से हटाकर कोल्हापुरी जूते और पंजाबी जूतियों के क्षेत्र में बढ़ाकर लाइफस्टाइल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा क्षेत्र दुनिया भर में है, यदि इसे असीम संभावनाओं वाले क्षेत्र में हमें ले जाना है तो अभी सात संस्थान काम कर रहे हैं और इनमें पांच और नये संस्थान जुड़ने वाले हैं। क्योंकि एक सैंट्रल रेगुलेटरी अथारिटी नहीं होने के कारण, एक ऐसी संस्था नहीं होने के कारण से जो इन सारे संस्थानों में एक करिकुलम डिजाइन कर सके। जो इन सारी संस्थाओं के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण कर सके, जो इन सारे संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों को मान्यता प्रदान कर सके, ऐसी एक संस्था नहीं होने के कारण से इस असीम संभावनाओं वाले क्षेत्र में काम कर रहे इंस्टीट्यूट्स के सामने परेशानी आ रही है।

अभी एक परेशानी की चर्चा माननीया मंत्री महोदया ने हम सबके सामने की कि वर्ष 1986 में स्थापित होने के बाद में जो ये संस्थान डिप्लोमा देते थे, उन डिप्लोमाज को (इग्नू) इन्दिरा गाँधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा एक करार, जो वर्ष 2010 में हुआ था, उसके द्वारा सर्टिफाई किया जाता था।

कालान्तर में जिस तरह एक टेक्निकल रीजन के कारण से यकायक इग्नू ने जब यह सुविधा बन्द की, उसके बाद में जिस तरह की परिस्थिति इन संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के सामने आयी, अनेक प्रयास किये गये, मैं उनकी वैधानिकता और उस समय की सरकार की मंशा पर प्रश्न नहीं खड़ा करना चाहता, लेकिन उस समय में जिस तरीके से मेवाड़ यूनिवर्सिटी के साथ करार किया गया और बाद में जिस करार को यूजीसी ने अवैधानिक घोषित किया, उसके बाद में वर्ष 2012-13 से लेकर वर्ष 2015-16 तक के बैच के छात्रों के सामने एक संकट खड़ा हो गया था। उस संकट के समाधान की भी आवश्यकता थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, अभिनन्दन करना चाहता हूँ, साधुवाद करना चाहता हूँ माननीय मंत्री महोदया का कि मेरे शहर में पढ़ने वाले और मेरे शहर जैसे सात अन्य संस्थानों में पढ़ने वाले लगभग 3,709 विद्यार्थियों के अंधकारमय भविष्य को वापस उजाले की ओर ले जाने का काम इस बिल के माध्यम से हमारी सरकार ने और हमारी माननीया मंत्री निर्मला जी ने किया है।

महोदय, भारत की जो लैदर इंडस्ट्री है, जो चमड़ा और जूता उद्योग है, निश्चित रूप से यह रोजगारोन्मुखी उद्योग है और इसमें 25 लाख लोग काम करते हैं। 25 लाख लोगों को रोजगार देने की संभावना वाला जो यह उद्योग है, इसमें लगभग-लगभग 30 प्रतिशत महिलाएँ हैं और अत्यंत पिछड़े, गरीब, कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर तबके से आने वाले लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। यदि हम इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की दक्षता को बढ़ायें, हम उनकी स्किल का डेवलपमेंट करें और जैसा हमारी सरकार ने निर्णय किया, मैंने अभी आपके सामने जो बात कही कि एक लाख 45 हजार बच्चों को हमने पिछले दो साल में इन संस्थानों के माध्यम से डेवलप किये हुए करिक्युलम से पढ़ाया है। उनकी स्किल को इन्हैंस किया है और महोदय, मैं अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि उस स्किल इन्हैंसमेंट के कारण आज उनमें से एक लाख 37 हजार बच्चों को रोजगार मिला है। जो कैम्पस में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो वहाँ से कैम्पस एजुकेशन लेने वाले बच्चे हैं, उनका 100 परसेंट कैम्पस प्लेसमेंट हो रहा है।

महोदय, ऐसे महत्वपूर्ण संस्थानों को यदि नेशनल इम्पॉर्टेंस का दर्जा दिया जाये और इस बिल के माध्यम से जो नेशनल इम्पॉर्टेंस का दर्जा देने का काम किया जा रहा है, मैं उसका स्वागत करता हूँ, समर्थन करता हूँ।

महोदय, जब देश के सबसे ज्यादा निर्यात करने की संभावनाओं वाली दस इंडस्ट्रीज को आइडेन्टिफाई किया गया, उन दस में से एक इंडस्ट्री यह लैदर इंडस्ट्री भी है। यह जो डिजाइन और डेवलपमेंट की बात है, जिस बात की रूपरेखा इस बिल में की गई है, यदि हम अपनी मैनपावर को दक्ष करते हैं, प्रवीण करते हैं, तो जैसा मैंने कहा कि यह आठ लाख करोड़ रुपये की आज इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में चाइना आज सबसे बड़ा प्लेयर है, दूसरे नम्बर पर भारत आता है। इस आठ लाख करोड़ रुपये की

इंडस्ट्री में यदि हम अपना निर्यात देखते हैं, क्योंकि जितना मैन्युफैक्चरिंग हम अपने देश में कर रहे हैं, उसका 95 परसेंट हिस्सा हमारी इनडिजिनियस, हमारे देश की खपत में काम आता है। हम केवल 2.2 बिलियन का ही निर्यात कर पा रहे हैं। इस 126 बिलियन की इंडस्ट्री में केवल 2.2 परसेंट निर्यात की हमारी क्षमता है। यदि इसको बढ़ाना है तो असीम संभावनाओं वाला यह क्षेत्र है। जिस तरह से सारे आर्थिक विश्लेषण करने वाले संस्थानों ने जो दस क्षेत्र इस देश के लिये हैं, जहाँ अत्यंत संभावनाएँ हैं, निर्यात की संभावनायें हैं, उन्हें जब चिन्हित किया, उसमें जैसा मैंने कहा कि इस एक क्षेत्र को भी चिन्हित किया है।

महोदय, इस क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावनायें विश्व भर में हैं। यदि हमें उन संभावनाओं का दोहन करना है और आने वाले समय में हमारी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है तो हमें इस क्षेत्र में और तेजी से काम करने की आवश्यकता है।

महोदय, जैसा मैंने कहा, क्योंकि एक रेग्युलेटरी संस्थान नहीं होने के कारण से इन संस्थानों के सामने जो दिक्कत आ रही थी और दूसरा, बीच के समय में विद्यार्थियों को डिग्री देने में जो समस्या आ रही थी, इन दोनों का इस बिल के माध्यम से समाधान होगा।

माननीय सभापति महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदया ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से विचार-विमर्श करने की चर्चा की, तो उसका समाधान निकालने के लिए पहले इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने की भी चर्चा हुई थी। मैं माननीय मंत्री महोदया का स्वागत करना चाहता हूं कि न केवल इन्होंने उसे डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने की बात पर विराम लगाया, अपितु इसे सेन्टर ऑफ एक्सेलेंस और इंस्टीच्यूट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेन्स बनाने का यह बिल हम सब के सामने प्रस्तुत किया है।

इस बिल में इस संस्थान को जिस तरह से परिचालित किया जाएगा, यदि मेरी मित्र ने इसे पढ़ा होता तो उसमें इस बात का पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है कि इसमें किस तरह की व्यवस्था की गयी है और मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया को एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि इंटरनेशनल स्टैण्डर्ड के एक सेन्टर ऑफ एक्सेलेंस के लिए जिस तरह की आवश्यकता है, इंडस्ट्री के इन्पुट के लिए जिस तरह की आवश्यकता है, जिस तरह से इस क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञों की राय की आवश्यकता है, उन सबको समाहित करते हुए इसकी गवर्निंग काउंसिल बनाने का निर्णय इस बिल के माध्यम से उन्होंने किया है। इस बिल में जो प्रावधान किए गए हैं, जिस तरह से इन संस्थानों का परिचालन होगा, हमारी सरकार की जो नीति है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस हो, तो यदि आप इस बिल को एक बार पढ़ें तो इस बिल में आप निश्चित रूप से पाएंगे कि इसमें जो नियम और उपबंध बनाए गए हैं, उनमें इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। अपने इंस्टीच्यूट को इंडस्ट्री के विशेषज्ञों के माध्यम से, वैश्विक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, निर्यात की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें परिचालन की

स्वायत्तता देकर प्रॉपर गवर्नेंस के साथ ऐसे इंस्टीच्यूट खड़े हों, ऐसे इंस्टीच्यूट काम करें, इस दिशा में हमने यह कदम उठाया है।

माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने कहा, दुनिया की जो ऑर्गेनाइज्ड शू इंडस्ट्री है, ऑर्गेनाइज्ड लेदर इंडस्ट्री है, उसमें केवल शू इंडस्ट्री की बात करूं तो 126 बिलियन यू.एस. डॉलर्स का उसका मार्केट है। यह जो 126 बिलियन यू.एस. डॉलर्स का मार्केट है, इसमें हम केवल 2.2% निर्यात कर पाते हैं।

उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ अभी निर्णय लिए हैं, मेरी मित्र अभी उसकी चर्चा कर रही थीं। उन्होंने केवल अवैध बूचड़खानों पर रोक लगाई है। दुनिया भर में जितने कैटल्स हैं, उसका 22% गाय और भैंस हमारे देश में हैं, 11% भेड़ और बकरियां हमारे देश में हैं। जो वैधानिक तरीके से काटे जाने वाले जानवर हैं, उनके माध्यम से जो चमड़ा हमें मिलता है और जिस तरीके से एक रॉ मैटेरियल की उपलब्धता हमारे पास है, उसमें अगर हम अपने लोगों को तकनीकी रूप से दक्ष करें, यदि हम अपनी डिज़ाइनिंग सेंस को डेवलप करें तो हमें बहुत लाभ होगा। हम ऐसे देश के निवासी हैं।

अभी मेरी मित्र चर्चा में पंजाबी जूतियों की बात कर रही थीं। मैं जोधपुर से आता हूं। हमारे जोधपुर में जूती बनाई जाती है और जोधपुर के कई कारीगरों को उसके लिए पद्म पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। हमारे यहां स्किल की कमी नहीं थी, हमारे यहां किसी भी तरह की तकनीकी प्रवीणता की कमी नहीं थी। पीढ़ी-परम्परा से हमारे कारीगर इस तरह की दक्षता सीखते थे, लेकिन दुर्भाग्य से, जो बीच का समय था, अंग्रेजों का और उसके बाद अंग्रेजियत की मानसिकता रखने वालों का जो काल था, उस काल में जिस तरह से तकनीक का ह्रास हुआ, उसके कारण से जो हमारे पारम्परिक श्रमिक थे, वे इन कामों से दूर हुए। उस दुष्परिणाम को दूर करते हुए इसकी संभावना के क्षेत्र में दक्षता के साथ अपने युवकों को खड़ा रखने के लिए हम यह बिल लाए हैं।

अभी वर्तमान में यदि मैं विश्व के परिदृश्य की चर्चा करूं तो भारत में हम जितनी जोड़ी जूते बनाते हैं और भारत की जितनी आबादी है, उसके अनुपात में यदि इस बात की तुलना करूं तो भारत का प्रत्येक आदमी लगभग 1.1 जोड़ी जूते साल भर में खपत करता है।

माननीय सभापति महोदय, आप और मैं, दोनों ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। हम लोग एक चमरौधे का जूता खरीदा करते थे और कई-कई सालों तक उसे चलाया करते थे। हम प्रति वर्ष प्रति पेयर औसतन 1.1 जूते का उपभोग करते हैं। यदि मैं विकसित देशों की चर्चा करूं, यदि मैं चीन की बात करूं तो यह औसत लगभग 3 और 4 जोड़ी जूते का आता है। यदि मैं और भी विकसित देशों, जैसे अमेरिका की, यू.के. की और यूरोपियन देशों की बात करूं तो यह औसत 6 और 7 जोड़ी जूते का आता है। केवल नाइकी, जो एक जूता बनाने वाली कंपनी है, उसमें साढ़े तीन लाख लोग काम करते हैं। यदि उसमें मैं भारतीयों का

प्रतिशत ढूंढने जाऊं तो वह बहुत कम होता है। वह इसीलिए होता है, क्योंकि उस तरह की तकनीकी दक्षता, जिस तरह की उस इंडस्ट्री में आवश्यक है, जो ग्लोबल स्टैंडड्र्स हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडड्र्स हैं, उस तरह की तकनीकी दक्षता की अभी हमें आवश्यकता है।

जो सीएजीआर की स्टडीज हैं, उनके अनुसार भारत यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। हम विकासशील देश के रास्ते से विकसित देश की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। वर्ष 2030 तक भारत सुपर पॉवर्स में सम्मिलित होगा, इस बात की संभावनाएं पूरा विश्व व्यक्त कर रहा है। जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं, उसके हिसाब से आने वाले दस सालों में भारत की प्रति व्यक्ति, प्रति वर्ष जूते की खपत बढ़कर, अभी जो 1.1 जोड़ा प्रति वर्ष है, वह बढ़कर 4 जोड़ा प्रति वर्ष होने वाली है। हमारी जो अपनी आवश्यकतायें हैं, उनकी पूर्ति के साथ-साथ, जो विश्व भर की बढ़ने वाली खपत है, उन सबमें हमारे लोग दक्षता के साथ काम कर सकें।

यदि मैं आंकड़ों की बात करूं, तो चाइना आज दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। दुनिया के 65 प्रतिशत जूता उद्योग पर चाइना की पकड़ है। दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के बाद भी अगर मैं वोल्यूम की बात करूं, तो 65 प्रतिशत विश्व के जूते चाइना निर्माण करता है। अगर मैं वैल्यू की बात करूं, जो आज हमारे लिए आवश्यकता का बिंदु है, उसके हिसाब से केवल 13 पर्सेंट वैल्यू के जूते या फुटवेयर चाइना एक्सपोर्ट कर पाता है। हमको वैल्यू की तरफ जाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम जो काम करें, उसमें जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट, यह प्रिंसिपल उन्होंने दिया है कि इस दिशा में काम करें। जीरो डिफेक्ट में, हम इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाएं कि देश भर में, दुनिया भर में हमारे प्रोडक्ट्स श्रेष्ठ प्रोडक्ट्स के रूप में पहचाने जाएं।

हम उस देश के निवासी हैं, ढाका में जो मलमल बनती थी, उसकी काउंट जितनी होती थी, उतनी काउंट का कपड़ा आज तक नहीं बन पाया। हम उस देश के निवासी हैं, जो लौह स्तम्भ कुतुब मीनार के सामने खड़ा किया गया, उस लौह स्तम्भ के ऊपर आज 600- 700 वर्ष बीत जाने के बाद में भी जंग नहीं लगा है, उसकी मेटलर्जी को डिफाइन नहीं किया जा सका है। उस देश में हम इस तरह के जीरो डिफेक्ट के प्रोडक्ट्स वापस बनाना शुरू करें, ताकि विश्व भर में, इस मार्केट में हम अपना शेयर और ज्यादा बढ़ा सकें। जीरो इफेक्ट की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है।

अत्यन्त श्रद्धा के साथ में मैं पुनीत, पतित, पावनी गंगा को प्रणाम करते हुए इस सदन में कहना चाहता हूं कि अभी मेरी मित्र चर्चा कर रही थीं कि गंगा के नाम पर इंडस्ट्री को हरैस किया जा रहा है। हम जीरो इफेक्ट की बात करने वाले लोग हैं। अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ के कारण से, जिस तरह से उद्योग धंधे विकसित करने के कारण से आज चाइना में जिस तरह का कष्ट हुआ है, जिस तरह से पर्यावरण को क्षति

हुई है, हम पर्यावरण को भी क्षति होने नहीं दें, जीरो इफेक्ट हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ का पर्यावरण के ऊपर आए और हम अपने देश की इस इंडस्ट्री को और ज्यादा प्रमोट कर सकें और ज्यादा आगे बढ़ा सकें।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहना चाहूंगा कि इस बिल के बाद जिस तरह से एक सेंट्रल अथारिटी डेवलप होगी और सेंट्रल अथारिटी डेवलप होने के बाद में इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में जिस तरह से काम करने वाले लोगों को और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में नए लोग जुड़ सकें, उस दिशा में जो फायदे होंगे, मैं उनकी चर्चा करते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा।

इस बिल के माध्यम से यह जो फुटवियर एंड लैदर प्रोडक्ट्स डिजाइन एंड डेवलपमेंट की एजुकेशन है, इसको एक आल्टरनेटिव कैरियर के रूप में अपनाने के लिए हमारे विद्यार्थी प्रेरित होंगे। हमारी जो फैकल्टी है, वह भी इसको एक अल्टरनेटिव कैरियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित होगी। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि हमारी मित्र, जो अभी बात कर रही थीं, इनके क्षेत्र के भी कुछ युवक हमारे यहां के संस्थानों में आएं और संस्थानों में आकर इस प्रकार की रोजगारोन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें। एक हॉलिस्टिक मैनर में शिक्षा प्राप्त करें, ताकि वे डिजाइन और डेवलपमेंट के क्षेत्र में, लैदर गुड्स की इस लाइफ स्टाइल इंडस्ट्री के क्षेत्र में, लैदर गुड्स की इस संभावनाओं की इंडस्ट्री के क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करें। मैं इनका स्वागत करूंगा कि इनके क्षेत्र के विद्यार्थी भी हमारे यहां के विद्या संस्थानों में आएं।

आज इंटरनेशनल और नेशनल इंपार्टेंस के इंस्टीट्यूट बनाने की चर्चा माननीय मंत्री जी ने की है और यह बिल हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसके माध्यम से और अधिक संस्थान खुलें। हम नीड्स के प्रति रिस्पांसिव होते हुए इंडस्ट्री में डायनामिज़्म और अभी हम क्वांटिटेटिव दिशा में काम कर रहे हैं, उसे क्वालिटेटिव दिशा में आगे ले जा सकें।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का इस महत्वपूर्ण बिल पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

DR. MAMTAZ SANGHAMITA (BARDHMAN DURGAPUR): Sir, I thank you for giving me permission to speak on this Bill. I welcome the Footwear Design and Development Institute Bill, 2017. I am very glad with this initiative of the ever-like Minister to give authentication to such an Institution so far as degrees and diplomas are concerned.

Footwear, other leather and allied materials make bags, wallets, briefcases, accessories used in automobiles, furniture, interior decoration are widely used in modern life. These are widely traded commodities globally. The first keyword in the Bill is 'design'. The design, material and make tell about status, style, position and profession of a person and establishment. Therefore, it is very important. Proper fitting, as already narrated by my colleague, design and sole material and made to fit is essential to keep gait, figure, orthopaedic requirement and so on.

Cinderella was identified by shoes. So, they are people's identity also. In a saddest story in the history of Bengal and India, Nawab Sirajuddulah while fleeing in a boat from Bhagwangola, he was in disguise but because he could not part with his shoes, the spy boat man identified him. He was captured and the British got entry to India.

Presently, trend of leather interior furniture, fashion dresses and articles have increased. The scope of footwear and leather designing is becoming popular all over the world. On the health sector, besides designing for orthopaedic uses in different shapes, shoes prevents some contaminated disease. It is a very simple disease but it is dangerous. It is called hook worm and other worm infestation. It is caused due to open defecation, which is a major cause of anaemia in our rural population. The worm goes *via* foot sole to blood. In pre-toilet era under NRHM programme, Tamil Nadu, West Bengal and many other States supplied *hawai* chappals to villagers and BPL category public to prevent them from this disease. This simple solution of safeguarding foot from soils and dirt was also narrated

long back in "Juta Abiskar" (Discovery of Shoe) satire poem of Rabindranath Tagrore.

The second key point is 'development' which means research and innovation of newer models, research and invention of newer alternatives as it is very much necessary in the present context of our political situation. Indian leather and allied industry has scope of growth in terms of local consumption as well as global export. In global perspective, China is number one; Italy in second and India is in the fifth position. In matters of raw material, local consumption as well as export, in China everything is good and that is why it is in first position. India also has enormous scope of improving leather industry because we can get the materials. But for some reason or the other, it may be stopped in near future. India is shifting from mere raw material to value added exports also. Local consumption is also increasing. There is every scope for this leather industry to flourish and it is very valuable for Indian economy. But I do not know how much we can do in the present situation. India shares about 12.2 per cent of global export and in coming years it will be much more if we try and do not put any barriers in the production of raw materials. Major share of export goes to US, then UK (12.24%) and then Germany. In export, footwear contributes about 47 per cent, in accessories it contributes about 23 per cent and in finished products, its contribution is about 18 per cent and in garments it is 9 per cent of the total exports. But at this juncture, the footwear export is little less. The per capita footwear use has also increased. In India, Kolkata holds second position in India in production as well as exports. Twenty-five per cent of tanning is done in Kolkata and fifty per cent of finished leather goods of India are exported from Kolkata.

Footwear and leather industry plays a vital role in Indian economy. Besides export, this industry is mostly labour intensive and it has huge scope for youth employment, especially when they will be skilled labour, under supervision of qualified administrators. In leather industry, there are quite a good number of women folk who are, as has already been mentioned by Shrimati Ranjit Ranjan,

mostly in the unorganised sector. They do the basic work at home. They may be women as also men. Previously, in Kolkata, there were many Chinese workmen who were very good but now they have all left. They help in finished product preparation. So, this is an industry which has immense scope for women empowerment. I do not know how much will the establishment of this Institute help in doing that. I will come to that later. That is why there is a question about the present institution whether it is an institution of national importance or not. Yes, this could be, but with some policy changes.

<u>15.28 hours</u> (Shri Anandrao Adsul *in the Chair*)

This Bill is very relevant in this context. It deals with an establishment of an institution for education, research and innovation with modern techniques as regards footwear and other leather products. Clause one is regarding title of the Bill. I wonder why it only has the name `footwear'. There are other allied subjects also. I would like to know whether instead of `footwear' alone, other articles like leather and other allied articles will be incorporated in the Title of the Bill. The Bill is regarding establishment of an educational institution to uplift the footwear and leather industry to a national and international standard. We are hoping for more and more.

The directive body, as has been said, will have a Governing Council with Chairman, Managing Director and such persons who are all footwear and leather technology experts. I also agree with Shrimati Ranjit Ranjan that why should industrialists be there in the Governing Council? It is because that may create a problem and it might get directed the other way round and instead of youth employment, it might enrich the pocket of some other people. The Bill deals with formation, running, remuneration, tenure and status of the Council. Of course, the central controlling authority will be Govt. of India. Study and working courses will be determined and decided by the Council. The courses are about designing, making, research and other things. But this leather institution under LDC was

already in existence but they have no power to confer a degree or diploma to authenticate their expert knowledge. Through this Bill, we are trying to give some degrees.

My question is, what the hell will it do giving diploma degrees to these fellows? Where will they be employed exactly? It is not clear in my mind. Maybe, the hon. Minister will guide me on this point.

Our worry is about actually what is needed. The Centre should be involved with the Skill Development Centers so that smaller productions and smaller tanning institutions will employ skilled persons resulting in more growth.

Relation among the branches is not clear. There are several branches. What is the relationship between inter-branches? How will you recruit students and how will you recruit teachers? What is the qualification of the teachers? These are not clear in this Bill. How will they be able to bear the tuition fees? What about promotion of skilled workers through these institutions?

We want to establish small factories or big factories. You know that in Kolkata or Kolhapur there were factories. Bata Shoe Company and Khadims are famous all over the country. How can this be utilized and how will man power be given to them through this Bill? These are my questions.

15.32 hours

MOTION RE: 32ND REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि यह सभा 29 मार्च, 2017 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के 32वें प्रतिवेदन से सहमत हो।"

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> "That this House do agree with the Thirty-second Report of the Committee on Private Members Bills and Resolutions presented to the House on the 29th March, 2017."

The motion was adopted.

15.33 hours

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION

Steps to ensure welfare of Employees Provident Fund Pensioners....Contd.

HON. CHAIRPERSON: The House will now take up Private Members Resolution regarding the steps to ensure welfare of Employees Provident Fund pensioners.

Shri Ajay Mishra Teni may speak now.

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : सभापति महोदय, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा 11 दिसम्बर, 2015 को कर्मचारी भविष्य निधि एवं पेंशनभोगियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के बारे में जो संकल्प प्रस्तुत किया गया था, मैंने इसके बारे में इससे पूर्व सभा में अपने विचार व्यक्त किए थे। उनकी चिन्ताओं पर मैं कोई प्रश्नचिन्ह नहीं उठाता हूं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार पहले से ही लोगों को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने, कर्मचारियों की भविष्य निधि, उनके भविष्य एवं कल्याण के बारे में चिन्तित है। इसके लिए बहुत सी योजनाएं सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी हैं, जिनका जिक्र मैंने पिछली बार किया था। प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना आदि बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी हैं। निश्चित रूप से गरीबी उन्मूलन और गरीबों को आर्थिक सुरक्षा देना भारत सरकार की प्राथमिकता है। मौजूदा सरकार के विषय में, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस सरकार ने जब से काम संभाला है, तब से गरीबी दूर करने के लिए और सभी को शिक्षा मिले, चिकित्सा मिले और आर्थिक सुरक्षा मिले, इस दिशा में काम कर रही है। सबके पास रोजगार हो और भविष्य के लिए उनके पास पर्याप्त धन हो, ऐसी सारी व्यवस्थाओं के प्रति यह सरकार चिंतित है और उसके लिए लगातार काम कर रही है। अगर मैं यह कहूं कि हमारी सरकार ने एक लक्ष्य लेकर काम प्रारम्भ किया है तो वर्ष 2024-25 तक हमारी सरकार ने एक लक्ष्य तय किया है कि 8 से 9 करोड़ ग्रामीण परिवारों को, लगभग 40 करोड़ लोगों को विभिन्न आजीविकाएं शुरु करके गरीबी को खत्म करने का काम यह सरकार करने वाली है। हमने ग्रामीण रोजगार और मानव विकास के लिए बहुत से आयाम स्थापित किये हैं जिसमें क्षमता विकास के माध्यम से गरीबों की संस्थाओं का सशक्तीकरण, वित्तीय और आजीविका सहायता सेवाओं को बढ़ावा देना, ग्रामीण आबादी को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, मानव विकास की गुणवत्ता में सुधार करना इत्यादि हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिनके माध्यम से हम 2024-25 तक इस देश के 40 करोड़ गरीब लोगों को समाज की मुख्य धारा में ले आना चाहते हैं और उसके लिए जो हमने कार्यक्रम प्रारम्भ किये हैं, उनको हम निरन्तर 6 से 8 वर्ष तक मार्गदर्शी सहायता भी प्रदान करेंगे और केवल पूंजीगत

सब्सिडी न देकर, पूंजी का निरन्तर निवेश, बचत ऋणों का पारस्परिक आदान-प्रदान और बैंकों से ऋण, ऐसी सारी सुविधाएं देकर कृषि और गैर-कृषि कौशलों पर आधारित तथा स्व-रोजगार आजीविकाओं को बढ़ावा दिये जाने का काम यह सरकार करेगी।

दीर्घकालिक सहायता के लिए गरीबों की अपनी संस्थाओं और संघों का विकास करना ऐसी बहुत सारी नीतियां हमारी सरकार ने बनाई हैं, जिनके माध्यम से हम गरीबों को कर्ज के बोझ से छुटकारा दिलाने का काम, उनको खाद्य असुरक्षा की जो समस्या आती है, उसको दूर करने का काम, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और प्रवास जैसी असुरक्षाओं से भी निपटना हमारे उद्देश्य हैं। जैसे हमारी सरकार ने तय किया है और आप सभी जानते हैं कि आवास को लेकर भी हमारी सरकार बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है। सबको आवास प्रदान करने का लक्ष्य हमने 2022 तक के लिए लिया है और 2022 तक हम 6 करोड़ से ज्यादा घर बनाकर ऐसे लोगों को देने का काम कर रहे हैं।

उसके अलावा अगर हम यह बात करें कि उनकी आमदनी कैसे बढ़ें तो उसके लिए हमने कृषि और गैर-कृषि आधारित व्यवसाय भी प्रारम्भ करने का काम किया है, जिसमें कृषि,पशु-पालन, वानिकी, गैर-इमारती वन उत्पाद, गैर-कृषि जैसी नयी आजीविकाओं के साथ अन्य आजीविकाएं जो गांवों में संभव हैं, उनको भी हम लोग बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। जब से हमारी सरकार बनी है, नये उभरते हुए बाजारों में लघु-उद्यमों, स्व-रोजगार, कौशल-आधारित रोजगार, अभी कौशल विकास के लिए हम लोगों ने एक नया मंत्रालय बनाया है। हमारी सरकार ने कौशल विकास मंत्रालय बनाकर उसको सभी मंत्रालयों से जोड़ा। उसके पीछे यह उद्देश्य था कि सभी मंत्रालयों में हम लोग स्किल्ड डवलपमेंट का काम करें और स्किल्ड डवलपमेंट के माध्यम से ऐसे लोग जो समाज की मुख्य धारा में आने से पिछड़ गये हैं, असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको हम संगठित क्षेत्र में लाएं और यदि संगठित क्षेत्र में न भी ला पाएं तो असंगठित क्षेत्र में भी वे अपने कामकाज की क्षमता और योग्यता के आधार पर अच्छी कमाई कर सकें। ऐसा प्रयास हमारी सरकार का है। उसमें निरन्तर काम हो रहा है।

मैं यहां सदन में बताना चाहता हूं कि परसों, दो तारीख को भारत सरकार एक बहुत बड़े पैमाने पर कौशल विकास के केन्द्रों को प्रारम्भ करने जा रही है। 2 तारीख को 14 राज्यों के 34 कौशल केन्द्रों का उद्घाटन होने जा रहा है जिसे सीधे-सीधे राष्ट्रपति जी सम्बोधित करने वाले हैं। ये बहुत बड़े काम हैं जिनके माध्यम से हमारे लाखों नौजवानों को रोजगार और आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध होगी। ये सारे काम भारत सरकार निरन्तर कर रही है और इसका उद्देश्य यह है कि हम यह चाहते हैं कि हमारे जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर तबका है, वह समाज की मुख्यधारा में आ सके और आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सके।

अगर मैं वर्ष 2015-16 की भारत सरकार की प्रमुख उपलब्धियों के बारे में बात करूं तो मैं बताना चाहूंगा कि 29 लाख परिवारों को हम लोगों ने स्वयं-सहायता-समूहों के माध्यम से ढाई लाख स्वयं-सहायता-समूह बनाकर उनको संगठित किया है। जो 12 लाख परिवारों को जोड़ने का हमारा लक्ष्य था, लेकिन अब 29 लाख तक हम पहुंचे हैं, जो 245 प्रतिशत अधिक है। यह भारत सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।

एक लाख स्वयं-सहायता समूहों को 142 करोड़ की आर.एफ. हमने दी है, जिसके माध्यम से हम लोगों ने 65000 स्वयं सहायता समूहों को 19000 करोड़ के ऋण भी हमने दिये हैं। यानी जो हमने सब्सिडी दी, उसके साथ-साथ 19000 करोड़ रुपये के ऋण भी दिये गये हैं। नौजवानों और महिलाओं के लिए भी हमारी सरकार बहुत चिन्तित है। 34 लाख महिला किसानों को भी ऐसी सहायता दी गई है।

उसके अलावा मैं सभापति जी को यह बताना चाहता हूं कि आपने विभिन्न जिले, जो पिछड़े हुए हैं, उनको चिन्हित करके, उनके लिए विशेष पैकेज भी दिये हैं। ऐसे ही, पूर्वोत्तर का जो हमारा क्षेत्र है, उस क्षेत्र के बारे में भी मैं कल भी इस सदन में सुन रहा था। हमारे कुछ साथी चर्चा कर रहे थे कि विकास की अवधारणा में पूर्वोत्तर के राज्य पिछड़ गये थे, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार जब से बनी है, हमने अपनी सरकार में पूर्वोत्तर के राज्यों को प्राथमिकता पर रखा है। उस प्राथमिकता का असर तीन साल के सरकार के कामकाज में दिखने लगा है। आज हम देख रहे हैं कि पूर्वोत्तर के राज्यों में स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ी हैं, सड़कें बढ़ी हैं, रेल की लाइनें निरन्तर बढ़ रही हैं और उसके साथ-साथ वहां के लोग देश की मुख्यधारा में आकर राजनैतिक और सामाजिक रूप से अपनी भूमिका कर रहे हैं। ...(व्यवधान) आप चिन्ता मत करिए। मैं आपकी आलोचना नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आपको तथ्यों से अवगत जरूर कराना चाहता हूं। ...(व्यवधान)

माननीय सभापतिः माननीय सदस्य, हमारा एक स्पेसिफिक विषय है- एम्पलाईज वैलफेयर ऑफ दि प्रोविडेंट फंड, (पेंशन)। पहले 22 मिनट बाकी चीजें आप यहां बोल चुके हैं। यह विषय ही पकड़कर बोलना है तो बोलिए। यह आज का स्पेसिफिक विषय है।

श्री अजय मिश्रा टेनीः माननीय सभापति जी, उन्होंने यह बात कही, इसीलिए मैंने यह कहा है। ...(व्यवधान) पेंशन के बारे में मैं बोल रहा हूं, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि पेंशन की जरूरत इसीलिए पड़ी कि देश का समग्र विकास नहीं हुआ। आज जो चिन्ता प्रेमचन्द्रन जी ने की, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन्होंने 6-7 बातें उठाई, जिनका मैंने अपने पिछले भाषण में दो चीजों का जवाब दिया था। जो 27000 करोड़ रुपये का एक फंड इस समय हमारे पास उपलब्ध है, उसको आवास में लगाने की बात उन्होंने कही थी। भारत सरकार पहले ही वह आवास कर्मचारियों को उपलब्ध कराने के लिए योजना बना चुकी है।

उन्होंने 3000 रुपये कम से कम पेंशन की बात कही थी। निश्चित रूप से भारत सरकार के मंत्रिमंडल ने 1000 रुपया न्यूनतम करने का काम किया है। यहां पर माननीय मंत्री जी भी उपस्थित हैं।

मैं यहां पर एक बात कहना चाहूंगा कि वर्ष 2004 में यह पेंशन जो बंद की गई, इसके विषय में भी बात होनी चाहिए। वर्ष 2004 के बाद जो हमारे कर्मचारी आए, उनकी पेंशन को बंद कर दिया गया और मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अगर फिर से पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाए जिससे निश्चित रूप से हमारे देश के लोगों को एक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। इस बात को माननीय प्रेमचन्द्रन जी को कहना चाहिए था, लेकिन हमारी सरकार इसके विषय में चिन्तित है और मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध भी कर रहा हूं।

मैं सभापति जी से एक बात जरुर कहना चाहूंगा, आपको हो सकता है कि यह बात थोड़ा विषय से हटकर लगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो हमारे साथी ने कहा, हमारी जानकारियां फैक्ट्स के विषय में भी होनी चाहिए। जब हमारे देश को आजादी मिली, अगर उस समय हमने विकास के एक ऐसे ढ़ांचे को अपनाया होता जो लोगों को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने का काम करता तो निश्चित रूप से हमें भविष्य में पेंशन के लिए इतना चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं होती। उस समय जो मॉडल उपलब्ध थे, उस समय गांधी जी का एक मॉडल था, जो ग्राम विकास के मॉडल पर आधारित था। सुभाष जी का एक मॉडल था, जो देश के विकास के लिए था, लेकिन पंडित दीनदयाल जी ने मानव विकास का एक मॉडल दिया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह बात अभी थोड़ा सा विषय से हटकर लग सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें इसको जोड़ना आवश्यक है कि हम लोगों के सतत विकास के लक्ष्यों पर कल चर्चा हो रही थी। मैं उसमें कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया इस बात के लिए ही चिन्तित है कि लोगों को लगता है कि लोग असुरक्षित हैं और आर्थिक रूप से असुरक्षा के कारण वे अपने भोजन और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके पास धन नहीं है। हमने वर्ष 2015 के सतत् विकास वर्ष में जो लक्ष्य तय किया है और वर्ष 2014 के मिलेनियम गोल्स में भी यह तय किया गया था कि गरीबी के सभी रूपों का अंत होना चाहिए। यह एक बड़ा लक्ष्य है। जब सभी स्वस्थ हों और सभी शिक्षित हों तभी गरीबी का पूर्ण रूप से उन्मूलन संभव है।

मैं यह गर्व के साथ कह सकता हूं, मैं पुरानी सरकारों की आलोचना नहीं करना चाहता हूं लेकिन जब पूरी दुनिया ने इस पर बहस की है तब पं. दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद का जो सिद्धांत है, उसमें उन्होंने कहा था कि वास्तव में, सतत् विकास एक जन केन्द्रित समझौता है, यानी जब तक एक-एक व्यक्ति का विकास नहीं होगा, तब तक पूरी दुनिया का विकास संभव नहीं है।

अभी मैंने जो बात कही है कि विकास के हमारे जो लक्ष्य तय हैं, उनमें गरीबी उन्मूलन का जो पहला लक्ष्य है, वह तभी पूरा होगा जब स्वास्थ्य और शिक्षा का लक्ष्य पूरा होगा। मैं यह निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि वर्ष 2014 के बाद हमारी सरकार आयी है, उसने यह प्रयास किया है। गरीबों को प्राथमिकता के आधार पर गरीबी दूर करने के लिए भी जो भी आवश्यक उपक्रम थे, वे सारे उन्होंने प्रारंभ किये हैं।

संयोग से हमारे स्वास्थ्य मत्री जी यहां बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी ने तीन साल में 'इंद्रधनुष योजना', 'जननी सुरक्षा योजना', गर्भस्थ शिशुओं के लिए, बच्चों के अल्पकालिक मृत्यु को रोकने के लिए, कुपोषण को रोकने के लिए अभी वह नयी स्वास्थ्य नीति लेकर आये हैं। इन सभी के पीछे केवल यही उद्देश्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध करायें। जब लोग स्वस्थ होंगे, तभी वे काम करने योग्य होंगे, वे शिक्षालय और विद्यालय में जाने के योग्य होंगे। जब वे इस तरह के काम करेंगे तो वे निश्चित रूप से अपने रोजगार को ठीक ढंग से चला पायेंगे, अपनी कमाई ठीक ढंग से कर सकेंगे, उनकी आमदनी ठीक होगी। चाहे वे जो काम करते हों, वे खेती करते हों या अन्य काम करते हों, ऐसे सभी कामों को वे भरपूर क्षमता से कर पायंगे तो वे आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे और उनकी जेब में भी पैसा होगा। ऐसे लोग शिक्षित हों, यह भी हमारी सरकार की प्राथमिकता है। भारत सरकार सतत् विकास लक्ष्य के साथ कदम से कदम मिला कर चल रही है। हमने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बहुत सारे काम किये हैं, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में हमारे शिक्षा मंत्री प्रकाश जावडेकर जी, वह यहां नहीं हैं, लेकिन आप सब जानते हैं, आप सदन के प्रमुख सदस्य हैं। सभापति महोदय, आप विद्वान हैं, आप रोज देखते हैं कि कई सारे बिल्स आये, कई सारे सुधार हुए। हम लोग प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि सारी चीजें ठीक हों और लोग शिक्षित हों।

हम लोग देखते थे कि महिलाओं को पूरा सम्मान नहीं मिल रहा है। महिलाओं की सामाजिक कार्यक्रमों में जितनी भागीदारी होनी चाहिए थी, वह नहीं थी। हमारी सरकार ने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए बहुत बड़े-बड़े कार्यक्रम चलाये हैं। प्रधान मंत्री जी ने पहली योजना 'बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ' चलायी। आज तीन साल के बाद हम लोग निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हिन्दुस्तान की महिलाओं का सशक्तीकरण हुआ है। तीन साल के बाद महिलाओं की स्थिति में बड़ा बदलाव हिन्दुस्तान में देखने को मिल रहा है। यह अच्छे भविष्य की ओर बढ़ने की दिशा में एक संकेत है। इन सारी बातों के पीछे एक उद्देश्य है कि हम लोगों को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध करा सकें। जैसा कि आपने कहा है कि भविष्य निधि के विषय में बात होनी चाहिए। हमारे देश में कर्मचारियों का एक बड़ा तबका है। यहां संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के लोग हैं। दोनों लोग यह चाहते हैं कि जब हमारा शरीर कमजोर हो, हम काम करने के लायक न रहें तो

पेंशन के रूप में हमारे पास एक आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। इसके लिए सभी लोग प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे देश में वर्ष 2004 के बाद पेंशन योजना समाप्त की गयी है, उससे हमारे देश के कर्मचारियों में आक्रोश था। हम लोग यह चाहते थे कि वर्ष 2004 के बाद पेंशन जो योजनायें बंद कर दी गयी थीं, उन पेंशन योजनाओं को फिर से प्रारंभ किया जाये।

उसके साथ-साथ अगर हम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की बात करें, इस बारे में हमारे मंत्री जी अपने उत्तर में विस्तार से बताएंगे। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन असंगठित क्षेत्र के लोगों को भी पेंशन मिल सके, उसके लिए अटल पेंशन योजना के माध्यम से बहुत बड़ी योजना बनाई है और उसका असर भी दिखने लगा है। हमारे जो मजदूर बागवानी में, खेती आदि असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी पेंशन योजना और आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के पास एक बहुत बड़ी योजना है और भारत सरकार उस पर काम कर रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किये हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है। पहले जब सरकारें इस विषय में काम नहीं कर रही थीं, तब निश्चित रूप से इनकी आवश्यकता रही होगी, लेकिन जब से मोदी सरकार ने काम करना प्रारम्भ किया है, हम कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में हमने बहुत तत्परता के साथ काम किया है। प्राइवेट नौकरियों के बारे में बात करें या आर्थिक रूप से देश को सुदृढ़ बनाने की बात करें, हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। जब हमारा देश आर्थिक रूप से सुरक्षित होगा, तो हमारे देश के लोगों की औसत आमदनी भी बढ़ेगी और उनका जो सुरक्षित फंड होता है, वह भी बढ़ेगा, जिससे आने वाले समय में उन्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

महोदय, कल जीएसटी बिल पास किया गया है। देखने में यह बिल सामान्य लगता है, लेकिन जहां आर्थिक कारणों की बात आएगी, उसे ध्यान में रखते हुए जीएसटी का बहुत महत्व है। इस समय पूरी दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और दुनिया के केवल 40 प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जो अपने आप में समर्थ हैं और 60 प्रतिशत लोग बेहद गरीब हैं, अशिक्षित हैं और उनके पास पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। हिंदुस्तान एक बड़ा देश है और पहले से ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और शिक्षित है। इस कारण हमारे देश ने पहले से ही ऐसी योजनाएं बनाई हैं और पूरी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया है। हमारा देश आर्थिक रूप से सुरक्षित और मजबूत हो, इसके लिए जीएसटी बिल की परिकल्पना की थी। चूंकि हमारा देश बहुत बड़ा है और संघीय ढांचे का देश है, जिसमें सभी राज्यों को अपने यहां कानून बनाने का अधिकार है और टैक्स वसूलने का भी अधिकार है। इस वजह से देश में टैक्स की एक ऐसी व्यवस्था बन गई थी, जिसने अव्यवस्था का रूप ले लिया था। इसलिए जीएसटी जैसे कानून की आवश्यकता थी। जीएसटी बिल

के लिए वर्ष 2006-07 में प्रयास प्रारम्भ हुआ था, वह दस साल बाद पास हुआ और उसे पास करने में जो समस्याएं थीं, उन्हें हमने दूर किया।

माननीय सभापतिः आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अजय मिश्रा टेनीः महोदय, मैं केवल एक या दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।

जीएसटी बिल को पास करने के पीछे एक उद्देश्य था कि सारे टैक्सों को संगठित करके एक रूप में रखा जाए और टैक्सों का इस तरह से बंटवारा किया जाए, जिससे मध्यम वर्ग पर उसका दबाव नहीं पड़े, लेकिन उच्च वर्ग के लोगों की आमदनी अधिक है, उनसे अधिक टैक्स वसूला जाए और जो लग्ज़री चीजें हैं, उनके लिए भी टैक्स वसूला जाए। हमारे देश का जो गरीब और मध्यम तबका है, उसे हम आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध करा सकें, इसके लिए इस बिल में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। मैं सारी चीजों के विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि भविष्य निधि और लोगों की आर्थिक सुरक्षा के लिए जीएसटी बिल एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।

महोदय, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता के बहुत-से कार्यक्रम हमारी सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। देश के बुजुर्ग या ऐसे लोग जो अपने रोजगार नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भी हमारी सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के माध्यम से दो करोड़ बाईस लाख लोगों को पेंशन देने का काम किया गया है। तीन करोड़ पैंसठ लाख लोगों को हमने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के माध्यम से राशि दी है।

विकलांगता पेंशन योजना के माध्यम से भी 11 लाख विकलांग लोगों को भारत सरकार ने पेंशन दिया गया है। इसके साथ ही, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार के लगभग सभी मंत्रालयों ने बहुत अच्छा काम किया है। श्री थावरचंद गहलोत जी, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, ने भी बड़े-बड़े काम किये हैं, वे सबकी नज़र में हैं। जहाँ पूरे देश में विकलांग लोगों को पेंशन उपलब्ध कराने का काम किया गया है, वहीं उन लोगों को विभिन्न प्रकार के विकलांगता-उपकरण भी उपलब्ध कराये गये हैं। इसलिए मैं अन्य बातों पर नहीं जाऊँगा, लेकिन माननीय मंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि वर्ष 2004 के बाद पुरानी पेंशन प्रणाली को बंद कर दिया गया था, उसको शुरू करने का काम करें। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा जो संकल्प यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, वह आज की दृष्टि से असंगत है, असहज है और उसकी कोई आवश्यकता इस समय नहीं है, क्योंकि सरकार पहले से ही बहुत-से कार्यक्रमों को लेकर चल रही है। लोग आर्थिक रूप से सुरक्षित हों, इसके लिए सरकार बहुत-से काम कर रही है।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूँगा। इस विषय पर ज्यादा बोलने की मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन जब मैंने इस संकल्प को पढ़ा तो इसमें क्रम संख्या-2 पर लिखा गया है- 'कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन के लाभार्थियों का सेवानिवृत्ति के ठीक पहले 12 महीने के औसत वेतन के आधार पर पेंशन प्रदान करना।'

क्रम संख्या-4 पर लिखा है- 'कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के अधीन न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर तीन हजार रुपये प्रति माह करना।'

क्रम संख्या-5 पर लिखा है-'लगभग पाँच हजार करोड़ रुपये की अदावकृत भविष्य निधि राशि का उपयोग करके पेंशनभोगियों के लिए अवकाश योजना सहित कल्याण योजना लागू करना।'

क्रम संख्या-7 पर लिखा है-'कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 का विभिन्न क्षेत्रों तक विस्तार करना।'

ये कुछ बातें हैं, जिनको देखकर मेरी इच्छा हुई कि मैं इस पर कुछ अपनी बातें रखूँ। मैं गांव का आदमी हूँ, किसान हूँ। जब कभी ऐसी कोई बात आती है, तो मैं उसमें खोजता हूँ कि उसमें मेरे लिए कुछ गुंजाइश है या नहीं। जहाँ मेरे लिए गुंजाइश नहीं रहती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई उपाय लगे कि गांव के गरीब किसान के लिए भी कोई गुंजाइश हो।

आज कई प्रकार के पेंशन हैं। जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं, उनके लिए तो कानून हैं। पहले से कई कानून थे, उनमें श्री बंडारू दत्तात्रेय जी ने और कई अच्छे-अच्छे कानून लाकर सुधार किया है, जिससे कर्मचारियों को पेंशन और अन्य सुविधाओं में अधिक से अधिक लाभ और सुरक्षा मिलेगी।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धावस्था पेंशन है, बीपीएल पेंशन है, विधवाओं के लिए पेंशन है, विकलांगों के लिए पेंशन है। इस प्रकार से अलग-अलग ढंग से सभी के लिए पेंशन है। लेकिन मैं देखता हूँ तो उस माला में किसान और खेतिहर मजदूर के लिए कहीं पर पेंशन और भविष्य निधि की बात नहीं होती है। आखिर भविष्य निधि तो सभी को चाहिए। विधायक पेंशन है, सांसद पेंशन है, विकलांग पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, मजदूर पेंशन है और संगठित क्षेत्रों में सभी के लिए पेंशन है। लेकिन, गांव में काम करने वाले किसान और खेतिहर मजदूरों, जिनमें सर्वाधिक दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं, के लिए कोई पेंशन नहीं है। आप उनको निर्धन कहें, पिछड़ा कहें, दलित कहें, सभी में वही है। उनको अलग-अलग ढंग से पेंशन भले ही मिलती हो, लेकिन किसान और खेतिहर मजदूर के नाम पर उनको पेंशन नहीं मिलती है।

सभापति जी, भविष्य निधि का क्या मतलब होता है। भविष्य के लिए कोई ऐसा कोर्स बने, ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। बुढ़ापे में अपने मकान में रहे और रोटी, कपड़ा मिल सके, दवा मिल सके, किसी पर आश्रित न रहे, इसलिए भविष्य निधि की बात की जाती है।

16.00 hours

सरकारी नौकरी में लोगों को वेतन मिलता है, जिसमें से हर महीने कुछ राशि ई.पी.एफ. फंड के लिए कटती है। उसमें कारखानेदारों या सरकार की तरफ से भी राशि मिलाई जाती है। जब वे रिटायर होते हैं, तो उन्हें वह राशि में पूरा जोड़-जोड़कर दिया जाता है। मैं किसान हूँ। बचपन से ही मैं अपने माँ-बाप के साथ खेत में मेहनत करता हूँ।

महोदय, एक योजना चली थी - अर्निंग एंड लर्निंग। हम तो बचपन से ही अर्निंग भी करते हैं और लर्निंग भी करते हैं। अपने माँ-बाप के साथ खेत पर जाकर गाय, भैंस और बकरी चराते हैं। हम खेत के बाकी काम भी करते हैं। हम समय निकालकर स्कूल में जाकर पढ़ते हैं और शाम को वापस आकर अपने जानवरों के दाना-पानी की व्यवस्था करते हैं। शाम को जब समय मिला, तब किताब लेकर बैठे और पढ़ाई की। आखिर वह किसान भी तो काम करता है। मैं यह पूछना चाहूँगा कि उसका कोई भविष्य है या नहीं है? मेरे दिमाग में अक्सर यह बात आती है कि उसका भी तो भविष्य है।

महोदय, मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि वह बहुआयामी दृष्टि से सोच रही है कि समाज में सब लोग सुरक्षित हों। जन-धन योजना किसलिए बनाई गई। इस योजना के तहत एक रुपया महीने पर लोगों का बीमा कराया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि समाज का सब से कमजोर और निर्बल व्यक्ति भी एक रुपया दे सके जिससे उसको दो लाख रुपए सुरक्षित रूप से मिल सके। योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के बड़े-बड़े अफसर पढ़े-लिखे और विद्वान लोग हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वे अपने दिमाग से कोई ऐसी ही स्कीम हमारे लिए भी निकालें। वे कोई ऐसी स्कीम लेकर आएँ जिससे किसान की भी कुछ राशि कटकर जमा होती रहे और 60 साल की आयु के बाद बुढ़ापे में उसे भी किसान और भूमिहर मजदूर होने के नाते पेंशन के रूप में कुछ पैसा मिल सके। प्रेमचन्द्रन जी कहते हैं कि मजदूर के लिए 3,000 रुपए सुनिश्चित होने चाहिए। नीचे के फोर्थ ग्रेड मजदूरों के लिए यह लागू किया जा सकता है। जो क्लास वन और क्लास टू के मजदूर हैं, उनके लिए प्रति माह 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जाए। आखिर उन मजदूरों के लिए भी कोई इस तरह की व्यवस्था सोची जानी चाहिए।

महोदय, मैं बंडारू दत्तात्रेय जी के बारे में कहता हूँ। वे भी गरीबी से निकलकर आए हैं। इस सदन में वे एक दिन कह रहे थे कि कैसे वे स्कूल से पढ़कर अपनी माँ के साथ सामान बेचने के काम में मदद करने के लिए जाते थे। वे बता रहे थे कि वे घंटे - दो घंटे के लिए वह काम करते थे। इस काम के लिए भी वे अपना दिमाग लगाकर सोचें और अपने मंत्रालय के बड़े-बड़े अधिकारियों को कहें। मैं मानता हूँ कि उन अधिकारियों के पास बुद्धि है, वे सरकार चलाते हैं, लेकिन जब आप उनको निर्देश देंगे, तभी तो वे कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि इस देश में अंकशास्त्री विषधर के समान हैं। आप जैसा बीन

बजाएंगे, वैसा ही वे नाचेंगे। यदि आप बीन बजाना ही नहीं जानते हैं, तो आप उन्हें क्या नचा पाएंगे। आप बीन में यह राग बजाइए कि आपके अधिकारी किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए भी कोई ऐसी योजना बनाएं, जैसी संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बनी हुई हैं। हर नागरिक के भविष्य के बारे में सोचना सरकार का काम है। संविधान ने कहा है कि उसकी नजर में हिन्दुस्तान के सभी लोग बराबर हैं, लेकिन जब मैं मूल्यांकन करता हूँ, तो पाता हूँ कि हमारी बराबरी कहीं नहीं है। आप भी इसी समाज से आते हैं। आपको भी बचपन में कुछ भोगना पड़ा होगा।

'जाके पैर न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पराई।'

जिसने कभी खुद परेशानी का सामना न किया हो, वह किसी और की परेशानी कैसे जानेगा।

मैं इसलिए सदन में इस बात को रख रहा हूँ जिससे कि यह सदन सुने, देश सुने, सरकार सुने, प्रशासनिक तंत्र के अधिकारी सुनें, इस देश के विद्वान सुनें और योजनाएँ बनाने वाने नीति आयोग के अधिकारी सुनें। क्या ये सब लोग मेरे दुखड़े को नहीं सुन सकते? क्या ये लोग मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते? हम 60 बरस की आयु तक हल चलाते हैं। आधा पेट खाते हैं, आधा तन कपड़े पहनते हैं, जमीन पर सोते हैं और बीमार पड़ते हैं। जब हमारे पेट में दर्द होता है, तो हम किसी वनस्पति से काढ़ा बनाकर पी लेते हैं, क्योंकि दवा खरीद कर खाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता है। 60 बरस के बाद किसान जब काम के लायक नहीं रहता है तो उसकी कैसी दुर्गति होती है समाज के अन्दर, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सबको पेंशन नहीं मिलती है, क्योंकि बी.पी.एल. वालों को मिलती है। सारे किसान बी.पी.एल. की लिस्ट में नहीं हैं। हमारे बिहार में 10-15 या 20 साल पहले ऐसी लिस्ट बनी कि जिनमें पक्के मकान, मोटरसाइकिल, गाय, भैंस और धनवान सम्पन्न लोग बी.पी.एल. की लिस्ट में हैं, लेकिन वह निर्धन, निर्बल, गरीब, जिसके पास न घर है, न मकान है वह बी.पी.एल. लिस्ट में नहीं है।

हम जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो 10-20 लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि एम.पी. साहब आप हमारा घर देखिए, हमारा नाम बी.पी.एल. की लिस्ट में नहीं है। हम तो उनकी बात सुनकर उसे सुधार नहीं सकते। इसलिए मैं तो संसद में यह भी प्रार्थना करूंगा कि उस बी.पी.एल. लिस्ट को समाप्त करवा दीजिए और नए सिरे से बी.पी.एल. लिस्ट को बनावाइए या आपने जो आर्थिक व सामाजिक स्तर पर जनगणना करायी है, उसके आंकड़े के आधार पर नए सिरे से बी.पी.एल. वाले लोगों को निर्धारित कीजिए। यदि पेंशन देते हैं तो मैं प्रेमचन्द्रन जी से आग्रह करूंगा, चूंकि ये लोग तो यूनियन वाले हैं, जो वामपंथी विचारधारा वाले देश में या भारतीय जनता पार्टी में भी जो मजदूर संघ वाले हैं। वे तो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले मज़दूरों के साथ काम करते हैं, असंगठित क्षेत्र में वे नहीं जाते हैं। वे हमारे

दर्द को क्या जानेंगे। यूनियन वाले लड़ते हैं, क्योंकि वे संगठित क्षेत्र से हैं, उनका अपना यूनियन है, वे आंदोलन करते हैं और सबसे बड़ी बात कि जब वे जुलूस निकालते हैं तो कहते हैं कि 'चाहे जो मजबूरी हो, मेरी मांगे पूरी हो' हम वह भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम कहेंगे कि ' चाहे जो मजबूरी हो, मेरी मांगे पूरी हों' हम स्वयं भूखे रह जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए तो मजबूरी है।

महोदय, अगर किसान को खेती के अलावा कोई अन्य रोजगार मिल जाए। अगर उनसे इतना ही कह दिया जाए कि 3,000 रुपया प्रतिमाह देंगे, आप खेती छोड़ दीजिए तो सब खेत छोड़कर 3,000 रुपये प्रतिमाह पर नौकरी कर लेंगे, क्योंकि उनके सामने मजबूरी है। उनके पास कोई अन्य धंधा नहीं है। अगर उसके सामने दूसरा पेशा या धंधा करने का विकल्प हो तो वह दूसरा धंधा कर लेता। मजबूरी में वह खेती में रहता है, किसानी-मजदूरी करता है। उनके लिए भी इन्होंने कुछ न कुछ होना चाहिए।

इन्होंने मकान की बात की, मैं मकान के लिए प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने प्रधान मंत्री आवास योजना चलायी। वह लोगों को 1,30,000 रुपये मकान बनाने के लिए दे रहे हैं, ताकि हम आदमी के पास अपना आवास हो। एक आशा जगी कि प्रेमचन्द्रन जी कि जो पी.एफ. फण्ड पाने वाले हैं, उनके लिए आवास बनवा रहे थे। भारत सरकार ने सोचा कि पी.एफ. वाले आवास लेंगे तो ये पी.एफ न पाने वाले क्या लेंगे तो उनके लिए प्रधान मंत्री आवास योजना बना दी गई। यह एक बड़ी चीज हुई है इसे सर्वहिताय में और समग्रता में सोचने की आवश्यकता है। 3,000 रुपये प्रतिमाह मजदूर के लिए हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यह जिस मजदूर की बात कर रहे हैं, उनमें 90 प्रतिशत मजदूर पसीना बहाने वाले हैं। महोदय, मजदूर दो तरह के होते हैं, एक पसीना बहाने वाले हैं और एक कलम चलाने वाले हैं। पसीने वाले पसीना बहाते हैं और कलम वाले कलम चलाते हैं, ए.सी. में बैठते हैं, ठण्डे मौसम मे गर्म ए.सी., गर्म मौसम में ठण्डे वाले ए.सी. में बैठते हैं, लेकिन वे भी पेंशन पाते हैं। हम तो गर्मी में तपते हैं, ठण्डे मौसम में सिकुड़ते हैं और बरसात में भीगते हैं। हम गीला कपड़ा लेकर जमीन पर सोते हैं। हमें न मजदूर मानते हैं, न कोई कर्मचारी मानते हैं, जबकि सबसे ज्यादा कर्म करने वाले हम ही हैं। हम निःस्वार्थ भाव से और गीता के भाव से निष्काम कर्म करते हैं। हमें कुछ मिले न मिले पर अनाज पैदा करना है, देश के लोगों को खिलाना है, हम तो राष्ट्र की सेवा करते हैं, भारत माता की पूजा करते हैं। जब खेती करने जाते हैं तो सबसे पहले बीज डालने के बाद दोनों हाथों से धरती को छूते हैं। आले की तरह मिटटी को माथे पर लगाते हैं और कहते हैं कि धरती माँ हमारी इज्जत रख लेना। हम तो धरती को माता समझते हैं, स्वाइल नहीं समझते हैं। अंग्रेजी में लोग इसको स्वाइल कहते हैं। हम उसको माता मान कर पूजा करते हैं। उनकी सब संतान हैं, इसलिए उनकी संतान सुखी हो, भरपेट अन्न मिले, चेहरे पर लाली हो, इसलिए रात-दिन कमाते हैं। फिर

जब हम भी बूढ़े हो जाएं तो बुढ़ापे में हम भी तो आराम से रहें। हमें भी दवा के लिए अपने बेटे-बहू के ऊपर आश्रित न होना पड़े। दत्तात्रेय जी, अगर आप इन किसानों को तीन-चार हजार रुपये पेंशन दे दें तो गरीब के बेटे-बहू उनकी भगवान के जैसी पूजा करेंगे और कहेंगे कि ये बूढ़ा-बुढ़िया सौ वर्षों तक जिंदा रहें, जिससे कि हमारे बच्चों का भी काम चल जाए। उनको भगवान के जैसा पालकर जिंदा रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे, ताकि वे बचे रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि इन्हें जो ये तीन-चार हजार रुपये मिलेंगे तो हमारे बच्चों को भी इनसे कुछ खाने-पीने को मिल जायेगा। कभी केला, कभी कोई अन्य फल चखने के लिए मिल जायेगा। आखिर उस ओर भी ध्यान जाना चाहिए।

महोदय, मैंने इनके प्रस्ताव को पढ़ा तो मेरे मन में आया कि चलो हिंदुस्तान की बड़ी पंचायत है और इस पर एक तरफा बात हो रही है। आप गरीबों को पेशन दीजिए, उनकी पेंशन पर मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आखिर में छूट रहा था तो मैंने सोचा कि इस बड़ी पंचायत में कुछ अपना भी दर्द सुना दूं, ताकि लोग सुन लें, आप मुझ पर भी ध्यान दो। क्योंकि इस देश में दो वर्ग बने हैं, एक वर्ग पसीने वाला है और दूसरा वर्ग है पैसे वाला। पसीने वाला भूखा है और पैसे वाला लूटता है। मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, आप मुझे धन्यवाद मत दीजिए, नरेन्द्र मोदी जी को दीजिए। उन्होंने पैसे वाले का पैसा छीना और पसीने वाले तक पैसा पहुंचाया और जब वह पैसे वाले का पैसा छीन रहे थे तो कुछ वामपंथी भी कह रहे थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? कल जब अरूण जेटली जी यहां थे तो फाइनेंस बिल पर राज्य सभा का कोई संशोधन था, मैं उनसे पूछ रहा था तो बड़े-बड़े वामपंथी लोग, उसकी विचारधारा वाले, प्रोग्रेसिव लोग भी उनसे सवाल पूछ रहे थे। मैं अंदर से भगवान से पूछ रहा था कि हे भगवान, ये प्रोग्रेसिव हैं या डिस्ट्रक्टिव हैं। ये गरीब की बात कर रहे हैं या पूंजीपति की बात कर रहे हैं। आखिर हम उनके लिए भी सोचें, जो अछूते हैं। प्रेमचंद्रन जी, मैं जानता हूं कि आपके मन में कर्मचारियों के लिए प्रेरणा है, दया है, सहानुभूति है कि वे सुखी हों। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब आप तृतीय श्रेणी कर्मचारी या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बारे में सोचते हैं तो उनमें भी सबसे ज्यादा पिछड़े और दलित समाज के बच्चे हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो पसीना बहाने वाला किसान और मजदूर हैं, आपने भी खेत में काम किया है, क्या कभी उनके बारे में सोचा? किसी ने नहीं सोचा।

महोदय, आखिर हमारे लिए जनधन योजना आई तो आप पी.एफ. कहिये, लेकिन हमारे लिए पी.एफ. से भी बड़ा पी.एफ. कहिये, मैं तीन बार कहूंगा कि वह पी.पी.पी.एफ है। इसलिए कि हमारा एक रूपया भी लिये बिना बैंक खाता खुल गया। पहले कोई जाता था तो बैंक वाला घुसने नहीं देता था। आखिर दृष्टि मुड़ रही है। इसलिए मैं कहूंगा कि दृष्टि, दिशा और संकल्प, 'जो दर्शन करना चाहिए तो दर्पन माजत

रहिये, दर्पन में लागा काई तो दरश कहां से पाई।' आपने अच्छी बात उठाई है, भारत सरकार का ध्यान इस ओर जायेगा। मैं एक छोटा सा पत्र लिख देता हूं। अगर बात मार्के की होती है तो प्रधान मंत्री जी उस पर नोटिस लेते हैं।

मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। देश में पद्म पुरस्कार दिये जाते हैं। मैंने प्रधान मंत्री जी को लिखा था कि कुछ ऊपर वाले लॉबी वाले हैं, उनके लॉबिंग करने वाले पुरस्कार लूट लेते हैं और हम जो गरीब लोग हैं, हमारा लाबिंग करने वाला कोई नहीं है। इसलिए हममे प्रतिभा और योग्यता होते हुए भी हम छूट जाते थे। तब प्रधान मंत्री जी ने तुरंत कहा कि इस बार लोग ऑनलाइन पद्म पुरस्कार के लिए आवेदन करें। जब ऑनलाइन किया तो कई हजार लोगों ने आवेदन किया और जिस दिन सिलीगुड़ी के गरीब मुसलमान करीम साहब, चाय बागान में मजदूरी करने वाले आदमी को हिंदुस्तान में पद्म पुरस्कार दिया है तो नरेन्द्र मोदी जी अपनी दृष्टि बता रहे हैं कि भारत की सरकार की नजर हिंदुस्तान के अंतिम मानव पर है। ऐसा पहले कभी क्यों नहीं हुआ। महोदय, सागर, मध्य प्रदेश में एक पुरानी महिला यादव डाक्टर है, विशेषज्ञ है, जब उनके पास पद्म पुरस्कार के लिए गया तो उनको कितनी प्रसन्नता हुई होगी। मैं उदाहरण दे रहा हूं। मैंने जो कहा कि जो दर्शन करना चाहिए तो दर्पन माजत रहिये, यह दृष्टि है, यह किसकी दृष्टि है, यह दृष्टि प्रधान मंत्री जी की है, जो एक नम्बर की कुर्सी पर हैं। और उनकी दृष्टि नीचे है, इसलिए नीचे है, क्योंकि वह बिना पेंशन वाली माँ के पेट से जन्म लेकर आया है। वह ईपीएफ वाली माँ के पेट से जन्म नहीं लिया है, उसने गरीबनी माँ के पेट से जन्म लिया है और इसलिए उसे गरीब के बारे में दर्द है। इन मजदूरों के लिए भी दर्द है, बंडारू दत्तात्रेय जी ने इनके लिए कई तरह के कानून बनाये हैं और कई में संशोधन किया है।

मैं अपना भाषण ज्यादा लम्बा नहीं करूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि प्रेमचन्द्रन जी, जब आप बोलेंगे, आपका नाम प्रेमचन्द्रन है, तो जरा प्रेम से किसान, मजदूर के भी गीत कभी गा लिया करो। केवल संगठित मजदूरों के गीत मत गाओ, एकतरफा मत रहिए, कभी-कभी अपने गीत में मेरी धुन भी मिला दिया करो। कभी-कभी अपने गीत में मेरी गरीबी और मजबूरी को लय और स्वर बना दिया करो, जिससे कि हमको भी लगे कि अब कुछ लोग गाने वाले आये हैं। आपने इनको दिया कि कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 का विभिन्न अन्य क्षेत्रों तक विस्तार, मैं इसीलिए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, कि आपने माँग की है कि अन्य क्षेत्रों तक विस्तार। अन्य क्षेत्र माने जो असंगठित लोग हैं, जिनका कोई लेखा-जोखा नहीं है। मैं माँग करूँगा कि यह जो मनरेगा है, मनरेगा का जो पैसा है, उस पैसे को मजदूर को मजदूरी में देते हैं, आप मनरेगा के पैसे से ही किसान के मजदूर की पेंशन में डाल दीजिए। कम से कम इससे कल्याण तो होगा कि

बुढ़ापे में भी हमको दो रोटी मिलेगी और अच्छे से मकान में रह सकेंगे। इसलिए मैं बोलने के लिए उठा हूँ। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए इस सदन से प्रार्थना करूँगा, इस देश के प्रशासनिक अधिकारियों से भी प्रार्थना करूँगा, नीति आयोग से भी प्रार्थना करूँगा, हिन्दुस्तान के गाँव, गरीब, किसान और जो समाज के लोग आज लोक सभा चैनल देख रहे होंगे, पढ़े-लिखे बुद्धिजीवियों से कहूँगा कि मेरी बात को अगर सुनिए तो आप जहाँ कहीं भी हों, गाँव में हों, अपनी आवाज देते रहो, डॉ0 लोहिया ने हमें सिखाया था कि हुक्मचन्द खेत में हल चलाते रहो, हाथ रहें हल की मूठ पर, लेकिन तुम्हारी नजर रहे लालकिले पर, क्योंकि उसी लालकिले से सब कुछ मिलेगा और तुम्हारा कदम हर दिन बढ़े कि हम लालकिले पर जायेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति है ना, मूर्ति के हाथ में संविधान है, वे संसद की तरफ ऐसे अंगुली उठाये हुए हैं।

मैं एक बार अपने तीन-चार एमएलऐज साथियों के साथ आया था, जनवाणी दिवस पर आया था। पटेल चौक पर राज नारायण जी की टाँगें तोड़ दीं, आजाद फर्नांडीज की समूची हड्डी चूर कर दीं थीं, आज भी वह भुक्तभोगी लाचार अवस्था में भोग रहा है। उसमें मैं आया था। हमारे एम.पी.,एम.एल.ए. लोग साथ आये, चलो लोक सभा देखें। मैंने कहा कि देखो यह मूर्ति कुछ कह रही है तो सब लोगों ने कहा कि अरे, पागल हो गये हो। यह पत्थर की मूर्ति क्या कहेगी, मैंने कहा तुम नहीं सुनते हो, मैं सुन रहा हूँ। उन्होंने कहा बोलो क्या सुनते हो, मैंने कहा यह मूर्ति कह रही है, ऐ हिन्दुस्तान के गरीबों पिछड़ों, दलितों, श्रमजीवियों, मैं तुम्हारे लिए संविधान में बहुत अधिकार लिखकर जा रहा हूँ, लेकिन जब तक इस पार्लियामेंट पर कब्जा नहीं करोगे, तब तक तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। एक और मूर्ति खड़ी है इस संसद में, उसके बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन वह मूर्ति कह रही है। संयोग से जब भारत की संसद माने वह एक नम्बर की जो कुर्सी है, वह कुर्सी, वह एक नम्बर की कुर्सी, जिस पर नरेन्द्र मोदी आकर बैठे हैं, तो वह किताब में जो पिटारा लिखा हुआ था, वह भानुमति का पिटारा बन के बन्द था, अब पन्ना-पन्ना खुल रहा है। उसके अनुसार जो भी मुझको मिले, मुझे तो बहुत चाहिए, लेकिन भारत के साधन को, सम्पत्ति को ध्यान में रखते हुए जो पहले गाड़ी चलती थी, पहले ट्रेन में इंजन कैसे चलता था, गाँव का कच्चा माल लाया, शहर में पहुँचाया, शहर का पक्का माल ले गया, सरसों पैदा किये हम, गया कानपुर, पहलवान छाप, हाथी छाप, गणेश छाप तेल पैराकर के टिन में बन्द होकर गया और उसका नफा उसने खाया। अब उसको भी बदला जा रहा है। इस पर समग्रता में कभी चिन्तन करने का काम कीजिए। समग्रता माने क्या, समग्रता में चिन्तन कीजिए कि किसको मिल रहा है, कहाँ जा रहा है। 'उज्ज्वला' योजना जो चलाई गयी, उसके अंतर्गत 95% पिछड़े और दलित समाज के लोग हैं। उन गरीबों को इसका लाभ मिल रहा है।

जैसे डॉक्टर लोहिया ने कभी इन्दिरा गांधी जी को कहा था कि अगर आप हिन्दुस्तान के गांवों में शौचालयों का प्रबंध करवा दें, सभी महिलाओं को खुले में शौच जाने से आप रोक लें तो मैं पांच सालों तक आपकी सरकार की कोई आलोचना नहीं करूंगा। उसी तरह मैं हिन्दुस्तान के सभी वामपंथियों से यह कहूंगा कि उसी तरह यह 'उज्ज्वला' योजना है। सभी वामपंथियों को यह कहना चाहिए कि आपने 'उज्ज्वला' योजना बनाई और उससे हिन्दुस्तान के 95 प्रतिशत गरीब, मज़दूर, पिछड़े और दलित लोगों को लाभ मिल रहा है। मैंने इसे इसलिए सुनाया है कि बंडारू दत्तात्रेय जी हमारे साथी रहे हैं। ये भी पिछड़े समाज के हैं, गरीबी से निकल कर आए हैं। बंडारू जी, आपके अफसर लोग भी गैलरी में बैठ कर मेरी बात सुन रहे हैं। आप अपने मंत्रालय में जाकर मेरी बात पर कोई कमेटी बनाकर चिंतन करें और ख़ूब बढ़िया से एक प्रस्ताव बनाकर प्रधान मंत्री जो को भेजिएगा। प्रधान मंत्री जी भी मेरी बात जरूर सुन रहे होंगे और वे उस पर जरूर विचार करेंगे कि मैं पार्लियामेंट में ऐसा बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं तो उस पर प्रधान मंत्री जी गंभीरता से चिंतन करेंगे।

बंडारू जी, आप ऐसा प्रस्ताव बनाकर प्रधान मंत्री जी के पास पेश कीजिए। मुझे विश्वास है कि मेरी भावना के अनुकूल आप अपनी बुद्धिमत्ता, योग्यता, क्षमता के साथ अगर कोई प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करेंगे तो प्रधान मंत्री जी उसे जरूर मंज़ूर करेंगे। लाखों ट्रेन के डिब्बों से, ट्रकों से लूट-लूट कर लोग पैसे खा गए, यह देश ने सब देखा और इस देश ने सब भोगा है। अगर एकाध ट्रक रुपये गांवों, गरीबों, किसानों के पेंशन में चले जाएंगे तो जाने दीजिए न, कई ट्रक रुपये तो बड़े लोग लूट कर खा गए। एकाध ट्रक हमारे पेट में भी जाने दीजिए। थोड़ा-थोड़ा प्रसाद दे दीजिए। आजकल दुर्गा माता का नवरात्रा चल रहा है। अपने खजाने से थोड़ा-थोड़ा प्रसाद हमारे घर भी पहुंचा दीजिए। हमारे बच्चे भी आपका नाम लेंगे, आपकी जय-जयकार, जिंदाबाद करेंगे। वे अभी कर रहे हैं, लेकिन तब वे और थोड़ी मज़बूती से करेंगे। आकाश तक हमारी आवाज़ गूंजेगी।

धन्यवाद।

DR. MAMTAZ SANGHAMITA (BARDHMAN DURGAPUR): Thank you, Chairman, Sir, for giving me the opportunity to speak on this Bill.

I will start from the last point of the Resolution. My previous honoured colleague has said that the Employees' Pension Scheme, 1995 should be extended to some other places and it should not only be restricted to the unorganized sector. It should be there, but before that there are various other places where even the

Government employees or Government-related employees do not get pension. One such place is the Post Office where the casual workers over there do hard work, but they have not got any pension scheme to be offered to them.

Similarly, I would like to mention about the unorganized sector like the zari workers in West Bengal. There are plenty of women folk who are working day and night doing zari work and making sarees, dresses and suits. They are also workers who are earning minimum wages. The *beedi* workers have also not got any pension scheme. There should be some provision for them also.

Of course, as regards the penultimate point of the Resolution, which states that : "Revise the whole Employees' Pension Scheme, 1995 on the basis of past experience", we all know that every 10-12 years the situation changes including the monetary conditions. Why should the pension scheme be all along having age-old things? It should be revised in a certain period of time. This is my point.

16.24 hours (Shri Hukmdeo Narayan Yadav *in the Chair*)

As such, pension is a welfare policy. So, there should be provision of minimum pension, which should be suitable and that also should be revised every 10 years, 15 years or 20 years. I am agreeing with the Resolution as taken by Shri Premachandran ji.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I do not know whether it has come to the notice of Madam that during the course of the discussion of this Private Member's Resolution, the hon. Minister and the PF Organisation have given two years weightage. I am very thankful to the Minister and the Government. Last week, on 23rd, when this Resolution was taken up for discussion, on the same day the Government issued an order and the PF Commissioner also issued an order by which those who are having salary more than the ceiling limit are entitled to pay the rest of the amount of the contribution and are entitled for full pension. Two orders have been issued and they come within the purview of my Resolution which has already been discussed in this House.

Yesterday, the PF Trust Board had a meeting in which very fundamental decisions have been taken. It is to my knowledge that some decisions have been taken. I would like to know from the hon. Minister whether this is also in the Resolution because when we are discussing the PF Resolution and Employees' Pension Scheme Resolution, some decisions are taken. Would the Minister like to clarify whether any decision has been taken in respect of extending the ESI benefit to the PF pensioners as well as extending the Scheme to some other set of workers like ASHA workers and some other sectors? It will be good for the discussion.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): Sir, this much clarification I can give. As Shri Premachandran ji raised these two important issues. I had clarified one issue which he recently asked in Parliament. We have positively responded.

Now, regarding the pensioners, we are going to give pensioners benefit under the ESIC to those who are retired pensioners as ESIC is giving its retired IPs. We are also providing all medical services to the retired pensioners.

DR. MAMTAZ SANGHAMITA : Another point is 'medical benefits'. As the hon. Minister has already said, he has decided to do that. So, I welcome it and thank the hon. Minister.

SHRI BANDARU DATTATREYA: 58 lakh pensioners will be benefited.

DR. MAMTAZ SANGHAMITA : There is another point. The insured payment of full pension is given to the pensioner as per Employees' Pension Scheme 1995 after realization of full amount of commuted pension from the pensioners. I am also agreeing with that. The increase in minimum pension up to Rs. 3000 should not be stuck to Rs. 3000 only. It should have a provision to increase it from time to time as it requires.

Regarding housing facility, it should be for the lower level pensioners. They should be provided with the housing facility. Pensioners above certain limits, like somebody is getting a pension of Rs. 20,000 or Rs. 30,000, that means he

already has got some provision and he can make the house. What about those with an income of Rs. 3,000, Rs. 5,000 or Rs. 6,000? There should be a scheme for providing housing facilities to them. So far as restoring the benefit of commutation and return of capital to the Employees' Provident Fund are concerned, I think they are genuine claims, which the Minister should look into. Thank you.

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मुझे यह सूचित करना है कि इस संकल्प पर चर्चा के लिए आबंटित सात घंटे का समय लगभग पूरा हो चुका है। चूंकि चर्चा में भाग लेने के लिए दस माननीय सदस्य और बचे हैं, इसलिए हमें इस संकल्प पर आगे चर्चा के लिए समय बढ़ाना पड़ेगा। यदि माननीय सदस्य सहमत हैं, तो संकल्प पर आगे चर्चा के लिए दो घंटे का समय बढ़ाया जा सकता है।

कई माननीय सदस्य : ठीक है।

माननीय सभापति : दो घंटे का समय बढ़ाया गया।

श्री आनंदराव अडसुल (अमरावती): सभापति महोदय, मैं आपका आभार इसलिए मान रहा हूं कि आपने मुझे वहां से यहां तक रिलीव किया और बोलने का अवसर भी प्रदान किया।

हमारे साथी प्रेमचंद्रन जी एक बहुत महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन लाए हैं। इसकी जितनी सराहना करें उतनी कम है। मैंने आपका भाषण भी सुना। पूरे सदन ने उसकी प्रशंसा की। आज मुझे लगा कि आप भाषण कर रहे हैं और मैं भी वहां बैठा सुन रहा था। मैं एक क्षेत्र में काम कर चुका हूं और आज भी कर रहा हूं। मैंने खुद बैंक में 25 साल तक सर्विस की है। बाद में चुनाव लड़ा और पांच टर्म से इस लोक सभा में बैठा हूं। मैं आपके विषय से सहमत हूं।

मैं सदन के सामने कुछ बिन्दु रखना चाहता हूं। गवर्नमैंट सर्विस अलग होती है, प्राइवेट सैक्टर की सर्विस अलग होती है। गवर्नमैंट सर्वैंट्स को पहले से पैंशन मिलती है। प्राइवेट सैक्टर में प्रॉविडैंट फंड के साथ-साथ ग्रेच्युटी भी मिलती है। पहले किसी व्यक्ति ने जितने साल सर्विस की, उसके एक महीने में 14 दिन की सैलरी रखते थे और उसकी लिमिट साढ़े तीन लाख रुपये रखी गई थी। हमारे आदरणीय श्रम मंत्री जी ने उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया और अभी शायद हम 20 लाख रुपये की तरफ जा रहे हैं। साथ ही 1971 में एक फैमिली पैंशन स्कीम भी आई थी ताकि प्राइवेट सैक्टर में काम करने वाले लोगों को भी रिटायरमैंट के बाद थोड़ा लाभ मिल सके। उसमें इम्प्लाइज़ का कंट्रिब्युशन सिर्फ 10 रुपये रखा गया था। सन् 1995 में जनरल पैंशन स्कीम आई। आपने बार-बार उल्लेख किया कि संगठित वर्ग अपनी मांगों के लिए संघर्ष करता है और उन्हें पूरी करवाता है। असंगठित वर्ग को भी लाभ मिले, इसलिए 1995 में जनरल पैंशन स्कीम लाई गई। उसमें 8 प्रतिशत से साढ़े 12 प्रतिशत तक प्रॉविडैंट फंड का डिडक्शन इम्प्लाइज़ की

सैलरी से होता था और उतना ही कंट्रिब्युशन इम्प्लॉयर का होता था। जब पैंशन की बात आई, तो उसमें से साढ़े चार प्रतिशत इम्प्लाइज़ का कॉरपस बनाकर रिटायरमैंट के बाद उन्हें पैंशन के तौर पर मिलेगा, उसमें यह एक भूमिका थी।

कुछ जगह संघर्ष के बाद थर्ड पेन्शन बेनिफिट का लाभ कुछ संस्थानों ने लिया। कॉरपोरेट सेक्टर हो या अन्य प्राइवेट सेक्ट हो, स्टेट बैंक इसका उत्तम उदाहरण है, उसके बाद रिजर्व बैंक आफ इंडिया है, शेष पब्लिक सेक्टर बैंक की भी यही मांग है। हर कोई पेंशन चाहता है क्योंकि अनुभव ऐसा होता है जब आदमी सेवानिवृत्त होता है, उसे पीएफ मिलती है, ग्रेच्युएटी मिलती है, घर में बच्चों और लड़कियों के साथ अच्छे रिलेशन होते हैं। अगर उसने घर नहीं बनाया है तो घर बनाने का प्रयास होता है, पूरा पैसा खर्च करता है। अगर घर में हम पैसा नहीं देते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। मैंने एक सीरियल देखा, एक इम्पलाई रिटायर होता है, घर में जाने पर उसका सम्मान होता है, उस सम्मान के कारण जितना भी पीएफ या गेच्युएटी का पैसा होता है उसे वह खर्च कर देता है, बाद में, आहिस्ते-आहिस्ते वह पैसा देने के काबिल नहीं रहता है, मैं सीरियल की बात कर रहा हूं लेकिन हकीकत भी यही है, उसकी बहू कहती है कि आप बाहर जा रहे हैं हमारे कपड़े लॉन्ड्री में दिए हुए हैं उस कपड़े को लेते आना, यह उसकी वैल्यू होती है। भविष्य निर्माण निधि, सेवा निवृत्ति के बाद पैसा कहां रखें और उसके ऊपर आने वाले इंट्रेस्ट से गुजारा करें।

कानून में यह प्रावधान किया गया कि अगर घर के लिए पैसा चाहिए, बीमारी के लिए पैसा चाहिए या लड़के-लड़की की एजुकेशन या शादी के लिए पैसे चाहिए तो आप प्रोविडेन्ट फंड से पैसा निकाल सकते हैं। मिडिल क्लास के लिए हमेशा इसकी जरूरत होती है, प्रोविडेंट फंड से पैसे निकाले जाते हैं और हाथ में पैसे कम होते हैं। जब हम सरकारी कर्मचारी की ओर देखते हैं,एक प्राइमरी टीचर भी गांव का आज 25-30 हजार रुपये से ज्यादा पेंशन लेता है इसलिए प्रेमचन्द्रन जी ने यहां इसका उल्लेख किया है।

हमारी सेवा का आखिरी वर्ष बारह महीने की सैलरी का एवरेज निकाल कर उसे पेंशन दी जाती है, यही प्रथा गवर्नमेंट में भी है। अगर असंगठित क्षेत्र की सैलरी कम है तो कम से उनको तीन हजार रुपये पेंशन देना चाहिए, इसकी भूमिका स्पष्ट है। अनक्लेम्ड प्रोविडेंट फंड 27 हजार करोड़ रुपये है, उसमें जो सेवा निवृत्त कर्मचारी हैं, जिनको जरूरत है उसके लिए खर्च करें, यह उनकी मांग है। हर बिन्दु सामने रखने का कारण है, आप किसान को छोड़ दें, असंगठित इम्पलाईज, संगठित इम्पलाइज, सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला इम्पलाइज को अच्छा पेंशन मिले। वर्ष 1995 का जनरल पेंशन स्कीम में क्या हुआ, दो-तीन साल के बाद सेवा निवृत्त हो, उसका कॉर्पस बहुत कम था और उनका मानहानि हो गया, उनको 400 और 500 रुपये पेंशन मिले लग गए। लोग उसकी उपेक्षा करने लग गए, कितने आए, तीन सौ रुपये, चार सौ रुपये, लेकिन एक रिटायर्ड प्राइमरी टीचर्स को 25 हजार रुपये मिल रहे हैं, आप बैंक में

काम रहे थे, इससे वह दुखी होने लगा, घर वाले जितना सम्मान देते थे उतना नहीं देने लगे, दूसरी तरफ आमदनी का कोई स्रोत नहीं और पेंशन 250-300 रुपये मिलता है। सरकार ने अमेंडमेंट लाया, आदरणीय बंडारू जी ने इसे मिनिमम एक हजार रुपये कर दिया। लेकिन वह व्यवस्था हमारे संगठित इम्पलाइज के लिए थी। आज सरकार उस दिशा में काम कर रही है कि हम कोई अच्छी पेंशन व्यवस्था दे पाएं। अभी जो यह कॉर्पस बनता है जैसा मैंने पहले बताया, उसमें साढ़े चार प्रतिशत पैसे हमारे इम्पलाइज के होते हैं, उनके प्रॉविडेंट फण्ड से कट जाते हैं, लेकिन उसे 1000 रुपये बनाने के लिए सरकार ने एक अन्य प्रयास किया। अपनी ओर से सरकार ने इसमें 1.6 प्रतिशत पैसा डाला, इसलिए वह कम से कम 1000 रुपये की पेंशन बन सकी।

हमारे साथी प्रेमचन्द्रन जी ने यहां जिस पेंशन स्कीम का उल्लेख किया है, उसका नाम है - इम्पलाइज वेलफेयर प्रॉविडेंट फण्ड पेंशन। इसके लिए प्रॉविडेंट फण्ड से पैसा कटेगा। अभी सरकार यह निर्णय ले चुकी है, उस पर अमल भी हो चुका है कि अगर कोई कर्मचारी 90 दिन भी किसी स्थापन में काम करे तो उसका भी प्रॉविडेंट फण्ड कटना चाहिए। इस पेंशन स्कीम का लाभ उसे भी मिलेगा। इसलिए यह जायज मांग है कि चाहे संगठित क्षेत्र हो या असंगठित क्षेत्र हो, उन सभी को अपनी निवृत्ति के बाद कुछ आर्थिक लाभ मिले, कुछ अच्छा लाभ मिले, यही इसकी भूमिका है। इसकी मैं सराहना करता हूं, सपोर्ट भी करता हूं। मैं सरकार से विनती करता हूं कि आप इस वेलफेयर फण्ड से आवास दें या न दें, सरकार की बाकी योजनाओं से आवास मिलेगा, अगर सही तरह से बीपीएल लिस्ट बनती है तो उनको भी लाभ मिलेगा। सरकार इस पर निर्णय ले और इस रिजोल्यूशन को अपनी तरफ से पास करे, जिससे पूरे देश में हमारे जितने भी संगठित एवं असंगठित कामगार हैं, उनको इसका लाभ मिले। यही अपेक्षा करते हुए, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।

श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा) : सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

माननीय सदस्य श्री प्रेमचन्द्रन जी द्वारा लाए गए संकल्प पर चर्चा हो रही है। मैं उनकी भावना की कद्र करता हूं। जिस भाव के तहत इस संकल्प को सदन में लाया गया है, उसका सम्मान करते हुए, उसके व्यावहारिक पक्ष पर, उसके कार्यान्वयन पर और उसकी व्यापकता पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

<u>16.43 hours</u> (Shri Anandrao Adsul *in the Chair*)

सभापति महोदय, कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए खड़ी की गयी है। आजादी के बाद ही हमारे देश ने, इस सदन ने और हम सभी ने यह महसूस किया था कि देश के अंदर काम करने वाले कर्मचारियों में भविष्य के प्रति जो असुरक्षा का भाव था या उनका भविष्य सुरक्षित रहे, उनका बुढ़ापा सुरक्षित रहे, काम करने के बाद जब वे सेवानिवृत्त होते हैं तो उनके सामने आर्थिक संकट नहीं आए, पारिवारिक एवं सामाजिक संकट नहीं आएं, इसके लिए यह व्यवस्था खड़ी की गयी थी। सबसे पहले यह व्यवस्था एक अध्यादेश के रूप में प्रारम्भ हुई थी और बाद में वर्ष 1951 में इसे अधिनियम का रूप दिया गया, कानून का रूप दिया गया। एक प्रकार से एक व्यवस्था चल गई, लेकिन तब यह व्यवस्था सिर्फ कार्यरत कर्मचारियों के बारे में जो कहीं न कहीं सरकारी कर्मी थे, संगठित कर्मचारी थे, उनके बारे में ही इसकी धारणा सीमित थी।

<u>16.45 hours</u> (Shri K.H. Muniyappa *in the Chair*)

समय के बदलाव, युग के परिवर्तन के साथ इसके दायरे में भी बढ़ोत्तरी होनी प्रारम्भ हुई है। धीरे-धीरे इसका क्षेत्र व्यापक होता चला गया और अधिक से अधिक लोग कैसे इसमें समाहित हों, इस पर चिन्तन-मंथन भी प्रारम्भ हुआ।

मैं समझता हूं कि यह जो अधिनियम बनाया गया था। उसमें भविष्य के प्रति आर्थिक रुप से सहायक सिद्ध होना, ऐसी व्यवस्था देश के अंदर खड़ी हो, इसकी एक धारणा थी। इसी संकल्प में अभी आदरणीय हुक्मदेव जी बोल रहे थे, इसमें कई बिन्दुओं पर उन्होंने चर्चा की- जिनमें कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995, जिसमें न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह करना और अंतिम संकल्प कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 का अन्य क्षेत्रों तक विस्तार था।

यह जो अंतिम बिन्दु है, इसके आधार पर इसकी व्यापकता बढ़ जाती है। मैं समझता हूं कि बदले हुए समय में, हमारे आदर्श और चिन्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि देश के विचारों पर

युगानूकूल विचार होना चाहिए। कई ऐसे विदेश के भी विचार हैं, उन पर देशानुकूल विचार करना चाहिए औऱ आवश्यक परिवर्तन करना चाहिए। इसको ध्यान में रखकर हम समझते हैं कि आज जो नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है, यह इसकी व्यापकता की ओर धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है।

मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस पेंशन स्कीम पर विचार करने के लिए भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, जिसमें हमारे सी.पी.आई. के ही लीडर थे, सांसद थे- एस. सुधाकर रेड्डी साहब और वह स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री लेबर कमेटी के चेयरमैन थे। जब वह चेयरमैन के रूप में इस कमेटी की रिपोर्ट दे रहे थे, तब विभिन्न श्रमिक संगठनों के द्वारा उस समय से ही 3000 रुपये की मांग थी, लेकिन उस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी, उसमें उन्होंने न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये निर्धारित करने की अनुशंसा की थी।

चूंकि वह पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी, आर्थिक रूप से कैसे कम से कम बोझ हो, इस पर सरकार विचार करती है। शायद जब यह निर्णय हुआ कि 1000 रुपये पेंशन देनी है तो उस कमेटी की रिपोर्ट उसका मूल आधार बनी। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय में परिवर्तन हो रहा है, देश भर के तमाम मजदूर संगठन चाहे वे किसी भी राजनैतिक धारा से प्रभावित हों या गैर राजनीतिक विचारधारा के हों, हमने जो महसूस किया और जो लोग महसूस करते हैं कि यह पेंशन की राशि बढ़नी चाहिए। संकल्प में 3000 रुपये की बात आई है। सरकार का इस पर चिंतन-मंथन चल रहा है, 3000 रुपये से भी आगे जाकर शायद 5000 रुपये तक जाने की बात चल रही है। सच्चाई यही है कि जो कर्मचारी अपने जीवन का यौवन काल, क्रीम ऑफ दि लाइफ सेवा के भाव से सरकारी कार्यों में लगाता है, अब कितने सेवा भाव से वह लगाता है, क्योंकि आज के युग में वातावरण बदल गया है और उसके बारे में धारणा भी बदल गई है।

मैं यह मानता हूं कि सामाजिक धन वेतन के रूप में प्राप्त करके सरकारी कार्य करने का, क्योंकि सरकार का धन समाज का धन है, भाव यही होना चाहिए कि सरकार अपने-आप में कोई टकसाल नहीं है जहां से पैसे बांटे जायें। सामाजिक जीवन की जो आर्थिक संरचना है उससे जो आर्थिक चक्र चलता है, उसमें से सरकार के पास जो पैसा आता है, वह समाज का पैसा है। हमारे कर्मचारियों को उस पैसे से भुगतान होता है, उसके बदले उसके जीवन के महत्वपूर्ण भाग का सेवा लिया गया है तो उसका भविष्य अंधकारमय न हो।

सभापति महोदय, मैं अपने चौथे बिंदु के बारे में कहना चाहता हूं जिसकी चर्चा सभी वक्ताओं ने की है। हम विद्यालय में भारत का संविधान पढ़ते थे। उस समय एक बात हमारे ध्यान में आती थी कि भारत को संविधान के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है, अर्थात यह एक ऐसा राज्य है, जहां देशवासियों के साथ कोई नफा-नुकसान के तराजू पर जनकल्याण की भावना नहीं होगी, बल्कि राज्य का यह कर्तव्य बनेगा कि इस देश के लोगों के जीवन कल्याण के लिए एक कल्याणकारी राज्य के रूप में यहां

की सरकार काम करेगी। यह संकल्प हमने अपने संविधान में व्यक्त किया है। जब हम लोक सभा या विधान सभा में चुन कर आते हैं तो हम सभी इस संवैधानिक संकल्प को स्वीकार करते हैं। हर जगह हम जनप्रतिनिधि के नाते संविधान की कस्में खाते हैं। जब हम कसम खाते हैं तो स्वतः वह बात आनी चाहिए कि हम यह बात स्वीकार करते हैं कि हम लोक कल्याणकारी राज्य संचालित करने में सहयोग की भूमिका निभायेंगे। आज उस भूमिका को व्यापक रूप में देखने के लिए, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा, यह भविष्य के प्रति आश्वस्त करने वाला भाग है।

जब सामाजिक असुरक्षा की भावना पारिवारिक जीवन में नहीं थी, तब लोग इसकी आवश्यकता महसूस नहीं करते थे, लेकिन जैसे-जैसे समाज आत्म केन्द्रित होता चला गया, वैसे-वैसे लोगों के जीवन में असुरक्षा की भावना सामने आने लगी। मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूं, हमारे इमरजैंसी काल में बहुत ही काबिल प्रोफेसर बिमला चन्द्र शर्मा, रांची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, वह हमारे अध्यक्ष भी थे। जब हम उनके घरों में जाते थे तो बड़ा पारिवारिक स्नेह मिलता था। वह और उनकी पत्नी बड़े ही पुत्र भाव से हमको खिलाते-पिलाते और प्यार करते थे, समाज के लिए हमें कुछ करना है, यह सिखाते थे। कुछ दिन पहले मैं अपने घर में अखबार पढ़ रहा था, मैं भूल गया था कि बिमला चंद्र शर्मा जीवित हैं या उनका निधन हो गया, लेकिन मैंने अखबार में देखा कि कुछ लोग ऐसे भी जीने को मजबूर हैं। यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर अपने जीवन भर की कमाई से मकान बनाया था। उनके दो बेटे, एक डॉक्टर और एक इंजीनियर थे। दोनों बहुएं पढ़ी-लिखी थीं। अखबार में लिखा था कि घर में ऐसी स्थिति आई कि वे घर से निकल कर वृद्धा आश्रम चले गए हैं। उनकी तमन्ना रहती है कि कोई उनसे मिलने के लिए आए, लेकिन कोई नहीं आता। उस समाचार को पढ़ने के बाद मैं बहुत दुखी हुआ। मुझे लगा कि सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाला, जिन्होंने कभी ट्यूशन नहीं दी, बल्कि कालेज समय के बाद हम लोगों को सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा देने का काम करते थे, उनकी आज यह दशा थी। उस दिन यह महसूस हुआ कि इतने पढ़े-लिखे व्यक्ति के साथ और जबकि उनके बच्चे भी काफी उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए थे, वे मूर्ख नहीं थे, इतने पढ़े-लिखे बच्चे ने अपने पिता को, जिन्हें बीस हजार रुपए पेंशन मिलती होगी, उनके ही बनाए घर से निकाल दिया। मैं कई बार सोचता हूं कि जो लोग पैसा जमा नहीं करते हैं, वे बुढ़ापे में अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे। हुक्मदेव जी बोल रहे थे कि किसान भविष्य निधि नहीं रखता है, यह सच्चाई है। किसान जो भी कमाता है अपने बाल-बच्चों की पढ़ाई में लगा देता है। उसके जीवन की सुरक्षा के बारे में कौन सोचेगा, इसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की थी। मैं इस विषय को उलझाना नहीं चाहते हूं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि आज सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने की हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है।

महोदय, मैं एक और दृष्टांत बताना चाहता हूं। मैं पण्डित दीनदयाल जी की एक किताब पढ़ रहा था। उन्हें कई कार्यकर्ताओं ने पूछा कि प्रशासन में भ्रष्टाचार है, राजनीतिज्ञों में भी भ्रष्टाचार मिलता है, जहां देखते हैं, वहीं निराशा हाथ लगती है, ऐसी हालत में किस प्रेरणा से हिंदुस्तान के लिए या समाज के लिए काम करें। मैं पण्डित जी के उत्तर को उद्धृत करना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कि क्या तुमने 70 वर्ष के वृद्ध को अपने रिक्शे पर बैठाकर दो-दो या तीन-तीन नौजवानों को खींचते हुए नहीं देखा है? क्या तुमने जूठे पत्तलों पर कुत्तों को और इंसान के बच्चों को एक साथ झपटते हुए नहीं देखा है? मैंने बचपन में कई सामाजिक कार्यक्रमों में ऐसे दृश्य देखे हैं। शादी या दूसरे कार्यक्रमों में भोज के समय ऐसे दृश्य देखे हैं। पण्डित जी ने कहा कि जब तक ये हालात हमारे देश में हैं, तब तक तुम्हें कहीं से भी प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं है, ये हालात तुम्हें प्रेरणा देने के लिए काफी हैं। तुम इन हालात को खत्म करो और प्रेरणा लो कि हम इन हालात को खत्म करेंगे।

महोदय, मैं प्रेमचन्द्रन जी की भावनाओं का सम्मान करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने ऐसी विवशता भरी जिंदगी में एक आशा का संचार करने के लिए कदम उठाना प्रारम्भ किया है। हम राजनीतिक वेदना से नहीं, सामाजिक वेदना से समाज के ऐसे असहाय लोगों के प्रति अपनी मानवता को जिंदा रखने के लिए, अपने अंदर इंसानियत को जिंदा रखने के लिए, देश में कल्याणकारी राज्य की भावना को, संकल्प को जीवित रखना चाहते हैं कि देश में सभी लोगों के बारे में विचार हो। भविष्य निधि इसलिए है कि कभी भी कोई आपात स्थिति आ सकती है, तब भविष्य निधि काम आएगी। किसी के सामने भी आपात स्थिति आ सकती है। मैं सांसद हूं, विधायक रहा हूं और मंत्री भी रहा हूं।

17.00 hours

मैं देखता हूँ कि रोज़ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। गरीब लोग एक्सीडेंट के शिकार होते हैं, जिसके कारण उनका ब्रेन हेमरेज होता है, नर्व प्रौब्लम होता है, न्यूरो प्रौब्लम होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने इसके लिए प्रधानमंत्री असाध्य रोग सहायता राशि की पहले से व्यवस्था की है। राज्य सरकारों में भी ऐसी व्यवस्था है। हमारे राज्य में इसके लिए ढाई लाख रुपये तक सहायता देने का प्रावधान है, लेकिन उसके लिए बहुत-से प्रोसेस हैं।

आपात परिस्थितयों में गरीबों को राशि कैसे दी जाए, क्या हम लोग इस पर विचार नहीं कर सकते हैं कि हर जिले के अस्पताल में कुछ पैसे सुरक्षित रखे जाएं और संवेदनशील जनप्रतिनिधियों को उसकी जिम्मेवारी दी जाए, ताकि आपात अवस्था में उनको राशि उपलब्ध करायी जा सके, ताकि उनकी जीवन-रक्षा की जा सके। आज आपात अवस्था तो पूरे देश में व्याप्त है।

मैंने आपको उस प्रोफेसर की कहानी सुनाई। मैं स्वयं एक किसान परिवार का बेटा हूँ। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सदन इस विषय को एक संवेदनशील मुद्दे के रूप में ले। यह मजबूरी नहीं, बल्कि एक दायित्व है, इसे जरूर लेना चाहिए। लेकिन, हम सिर्फ औपचारिकता का निर्वाह नहीं करेंगे, बल्कि एक सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए हम लोगों ने आज वृद्धावस्था पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका नाम पहले इंदिरा गांधी आवास योजना था, दिव्यांग पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना आदि हैं। ये सभी गरीबी की अवस्थाएँ हैं, जीवन की एक आपात स्थिति है। उसी प्रकार से संपूर्ण हिन्दुस्तान में, मनुष्य ही नहीं, बल्कि पशु-पक्षियों को, जीव मात्र को इस सृष्टि को नियंत्रित करके संतुलित रखने वाले तमाम लोगों को जो संरक्षण देने का काम करते हैं, वे किसान भाई हैं। हमें उनके जीवन की सुरक्षा के बारे में भी जरूर विचार करना चाहिए। यह एक ऐसी बाध्यता हो कि जैसे आम आदमी पेंशन, जीवन बीमा पेंशन और अटल पेंशन योजना है, उसी प्रकार से हम देश के समस्त नागरिकों के भविष्य की चिन्ता करें और देश को उन्नत बनाने की ओर आगे बढ़ें, ऐसा भाव रखें। लोगों को निकम्मा भी न बनाएं। कानून का सहारा देकर उनको निकम्मा भी नहीं बनाना चाहिए, ताकि वे यह न सोंचे कि हमें तो पैसे मिल रहे हैं। प्रेरणा के साथ संरक्षण हो और बीमा योजना का स्कीम बने, यही मेरी भावना है।

वंदे मातरम्।

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : सभापति महोदय, सम्माननीय सदस्य श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी ने इम्प्लाइज़ प्रोविडेंट फण्ड के बारे में प्राइवेट मेम्बर बिल प्रस्तुत किया है, उसके बारे में मैं अपने विचार प्रकट करने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ।

श्री प्रेमचन्द्रन जी का मैं अभिनन्दन करूँगा, उन्होंने एक अच्छा मूव किया है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। स्वागत इसलिए करता हूँ, क्योंकि आपको पूरा भरोसा है कि मोदी जी की सरकार ही इस काम को पूरा कर सकती है। इसलिए केरल से दिल्ली तक जो-जो सरकारें रहीं, उन सरकारों को आपके लाल भावटा के लोगों ने आजादी के बाद हर समय सपोर्ट किया। लेकिन, इतने लम्बे समय के बाद भी कामगारों का जितना कल्याण होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ।

प्रेमचन्द्रन जी जैसे एक जागरुक सांसद, जो हर विषय पर अपने विचार प्रकट करते हैं, को लगा होगा कि यह सही समय है, नरेन्द्र मोदी जी के ध्यान में यह मुद्दा लाया जाए तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में कामगारों का कल्याण होगा। आपके द्वारा यह बिल मूव करने का दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि इसके मंत्री श्री बंडारू दत्तात्रेय जी भी बहुत डाउनट्रॉडन से ऊपर आए हैं। वे स्वयं एक कामगार थे। एक

कामगार को ही दूसरे कामगार की व्यथा अच्छी तरह से समझ में आती है। यदि बंडारू दत्तात्रेय जी एक प्रस्ताव लेकर देश के प्रधान मंत्री जी के पास जाएंगे, तो प्रधान मंत्री जी बहुत ही कम समय में उनके प्रस्ताव को स्वीकृति दे देंगे। यह आपके मन की ही भावना नहीं, हमारे जैसे लोगों के मन की भावना भी है।

महोदय, मैंने आज 5.30 बजे की फ्लाइट से मुंबई जाने के लिए टिकट बुक कर रखा था, लेकिन जब मुझे इस विषय के बारे में पता चला तो मैंने भी अपने आप को इस चर्चा में शामिल करने का निर्णय लिया और इसलिए मैं यहाँ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं भी एक चतुर्थ श्रेणी कामगार का बेटा हूँ। मैं स्कूल के दिनों से ही आधा दिन पढ़ाई और आधा दिन काम कर के इस पार्लियामेंट तक पहुँचा हूँ। मैं एक मिनट के लिए विषय से अलग जाना चाहूँगा। परसों बाल मजदूरी के संबंध में जो बिल चल रहा था, उस पर भी बोलने की मेरी बहुत इच्छा थी। उस पर मैं सब के विपरीत बोलने वाला था। मैं इसलिए सब के विपरीत बोलने वाला था, क्योंकि मैं इस सभागृह के माध्यम से पूरे देश के सभी लोगों के दिमाग में एक बात पहुँचाना चाहता था। सरकार किसी की भी हो, सरकार के लोग विदेशी नीतियों को देखते हैं। चाहे वह यूनाइटेड नेशंस ऑर्गनाइजेशन हो या ब्रिक्स सम्मेलन हो, सरकार के लोग इन सभी जगहों की अच्छी-अच्छी बातों के बारे में सोचते हैं। यदि हमारा देश इन सभी बातों को एक्सेप्ट करेगा, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे।

महोदय, मैं बहुत सहजता से यह बात बताने का प्रयास करता हूँ। 14 साल तक के बच्चों से काम करवाने को रोकने के लिए नियम बनाना एक अच्छा मूव है। यह एक प्रोग्रेसिव मूव है। क्या कभी हम यह सोचते हैं कि यदि बंडारू दत्तात्रेय जी के जमाने में या मेरे जमाने में यदि यह नियम आया होता, तो शायद हम इस पार्लियामेंट तक नहीं पहुँच पाते। आज देश में करोड़ों बच्चे ऐसे हैं, जिनके माँ-बाप के पास उनको खाना खिलाने की व्यवस्था नहीं है। उन्हें नौकरियाँ नहीं मिलती हैं, इसलिए वे लोग भीख माँगने का काम करते हैं। ये करोड़ों बच्चे भीख में माँगे गए पैसे से सिनेमा देखते हैं और चरसी बन जाते हैं और एक अलग मोड़ पर उनका पूरा जीवन चला जाता है। मैं परसों यह बात बोलने का प्रयास करने वाला था। क्यों न हम इस प्रकार की व्यवस्था करें कि ये बच्चे 10 सालों तक जिनके पास काम करें, वे लोग उनसे थोड़ा काम भी करवा लें और उन्हें एजुकेशन भी दिलवाएँ। इससे इन बच्चों का भविष्य सुधर सकता है। हमें इस प्रकार की सोच के साथ आने वाले दिनों में आगे बढ़ना पड़ेगा। भारत एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ बहुत सी समस्याएँ हैं। यदि सबके मन में यह बात है कि अन्य देशों के अनुसार हम अपने देश में कायदे बनाकर हमारे यहाँ के लोगों के जीवन को अलग मोड़ दे पाएंगे, तो इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि मेरे मन में यह बात नहीं है। इससे बहुत से बच्चों का जीवन बिगड़ेगा। इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा।

महोदय, मैं मुंबई शहर से आता हूँ। वहाँ के अनऑर्गनाइज्ड सैक्टर के विकास के लिए एक बहुत बड़ी धनराशि वहाँ की राज्य सरकार के पास भी उपलब्ध है और मुंबई महानगर पालिका के पास भी

उपलब्ध है। माननीय अटल जी की सरकार में अनऑर्गनाइज्ड सैक्टर के फायदे के लिए कायदे बनाए गए थे। इन कायदों को बनाने के लिए पैसा जमा होने लगा था, परंतु उस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक नहीं हुआ है।

महोदय, मैं इस बिल के माध्यम से आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ और प्रेमचन्द्रन जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके कारण हमें अपनी बात बोलने में सुविधा हुई। मुंबई महानगर पालिका और राज्य सरकार के पास बड़े पैमाने पर पैसा उपलब्ध है। मैं कॉरपोरेशन से आया हूँ। मैं स्टेट असेंबली में दस साल था। वहाँ पर भी मैंने देखा कि एक विधायक को दस-दस सालों तक एक विषय के ऊपर लड़ना-झगड़ना पड़ता है। इसके बाद उस विषय पर कायदे बनते हैं, लेकिन इन कायदों के इंप्लीमेंटेशन में बहुत समय लग जाता है।

महोदय, जिन लोगों ने अपने श्रम का पैसा इसमें जमा किया है, उनको यह पैसा अब नहीं मिलने वाला है। वह तो जा चुका है। बिल बनने तक और उसके इंप्लीमेंट होने तक उन लोगों के पल्ले कुछ नहीं पड़ना है। उन लोगों ने पैसा तो भर दिया, लेकिन रिटर्न में उन्हें कुछ नहीं मिलना है। मैं कहना चाहूँगा कि देश में आने वाले समय में जो कायदा बनेगा, उसे एक साल के अंदर इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। इसके बारे में भी हमें आने वाले दिनों में सोचना पड़ेगा। मैं चाहूँगा कि अनऑर्गनाइज्ड सैक्टर के लिए कायदे बनाने के विषय में और गंभीरता से सोचा जाए। अनऑर्गनाइज्ड सैक्टर में काम करने वाले लोगों का पैसा जमा हो, जो कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद मिल सके। जो लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करते हैं, वे इस काम को करते हुए कभी-कभी बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर जाते हैं। उन लोगों को भी कोई नहीं पूछता है। ऐसी किसी घटना में हम जैसे जन-प्रतिनिधि वहाँ जाकर बिल्डिंग डेवलपर से बात करते हैं और उन लोगों की मदद करते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो पैसा जमा किया जाता है, वह उन्हें जल्दी नहीं मिलता है।

प्रेमचन्द्रन जी ने जो 3 हजार रुपये के बारे में बात की तो मैं उसके बारे में प्रधान मंत्री जी और बंडारू दत्तात्रेय जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। पार्लियामेंट के हॉल में पहली मीटिंग में प्रधान मंत्री जी ने भाषण दिया था कि जो लोग पेंशन लेने आते हैं, उनको गाड़ी-भाड़े का भी पैसा नहीं मिलता है, इतना कम पैसा उन दिनों में मिलता था। प्रधान मंत्री जी ने उसको सीधे हजार रुपये कर दिया है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि हजार रुपये कोई बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो राशि सैकड़ों में थी, उसको हजार रुपये तक पहुंचाने का काम प्रधान मंत्री जी ने किया। प्रेमचन्द्रन जी ने 3,000 रुपये की बात की और मेरे पूर्व एक सांसद ने 5,000 रुपये की जो बात की, वही मेरे मन में भी थी। उन्होंने 5,000 की बात कही, इसलिए मैं उसे बढ़ाकर 7,000 रुपये की मांग करने का प्रयास नहीं करूंगा। मैं 5,000 रुपये तक ही अपनी बात सीमित रखूंगा, क्योंकि सरकार के पास पैसे कहां से आते हैं, उसका निपटारा कैसे होता है, मुझे इसकी पूरी

जानकारी है। हम कभी-कभी लुभावने भाषण कर देते हैं, बड़ी-बड़ी बातें कर देते हैं। लोग तो आशा पर ही जागते हैं कि उनको यह मिलने वाला है, लेकिन उनको भाषण सुनने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। प्रेमचन्द्रन जी 3,000 रुपये से 5,000 रुपये तक, जब यह इंप्लीमेंट होगा, तब 3,000 रुपये और 5,000 रुपये की कितनी वैल्यू होगी यह न मुझे पता है, न ही आपको पता है। मुझे विश्वास है कि बंडारू दत्तात्रेय जी व प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2019 के चुनाव तक जब हम जाएंगे, तब इसका कोई न कोई रास्ता निकलेगा। इस बात की उम्मीद और आशा मेरे मन में है। यदि यह 3,000 रुपये से 5,000 रुपये तक होगा तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी।

रेसीडेंस के बारे में मैं अपनी भावनाओं को इस प्रकार से प्रकट करना चाहूंगा, क्योंकि सरकार ने वर्ष 2022 तक सभी को घर देने की बात कही है। वर्ष 2022 तक घर देने का जो संकल्प है या सरकार की जो सोच है। पहले चरण में जब मैंने मुम्बई जैसे शहर में प्रयास किया, क्योंकि हम तो शहर के लोग हैं, शहर की ही बात करेंगे और उनके विषय को लेकर ही लड़ेंगे। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स आईं, सारी रूरल-अर्बन ग्रामीण भागों के लिए है। वह पैसा पहले एक लाख फिर डेढ़ लाख अब दो लाख हो गया। आने वाले दिनों में सरकार दो लाख को 3 टका ब्याज में ही उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने वाली है। मैंने एक चिट्ठी प्रधान मंत्री जी को लिखी। उसके उत्तर में यह था कि 3 प्रतिशत लोन में दो लाख रुपये की व्यवस्था करेंगे। 2-3 लाख रुपये में गाँवों में घर बन जाते हैं, लेकिन शहरों में नहीं बनते हैं। चाहे वह मुम्बई शहर हो या देश का कोई भी कॉस्मोपौलिटन शहर हो, वहां दो लाख रुपये में घर नहीं बनता है। कोई बहुत ही भाग्यवान होगा, जिसका घर पहले प्रयास में बन के तैयार हो गया होगा। महानगरपालिका उनको परमीशन नहीं देती, उसका घर दो-तीन बार टूटे बगैर नहीं बनता है, चाहे वह दिल्ली, मुम्बई, पुणे, कोलकाता हो या मद्रास हो, जहां पर भी शहरी इलाके में घर बनाते हैं, किसी का भी घर नहीं बनता है। इसलिए हमें शहर के लोगों के लिए भी अलग स्कीम बनानी पड़ेगी। मैं सरकार से बहुत ज्यादा पैसों की मांग भी नहीं करूंगा और सरकार को ये सारी चीज़ें करनी चाहिए यह भी नहीं चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि लोगों को 30-40 साल के लिए कम ब्याज पर लोन मिले। लोगों के पैसों से ही लोगों का घर बने। इसके लिए हमें कायदा तो बनाना पड़ेगा। We are the law making body. सरकार सब कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर सरकार यह सब नहीं कर पाएगी, इस वजह से हम चुप रहें यह अच्छी बात नहीं है। लोगों के पैसों से ही लोगों का घर बने, लेकिन वे आसानी से लोन ले पाएं, इसकी व्यवस्था भी हमें करनी पड़ेगी।

सभापति महोदय, आज जो लोग सरकारी दरबार में काम करते हैं उनकी पगार भी अच्छी है। चाहे वे स्टेट गवर्नमेंट, महानगरपालिका या सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हों, प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी

अच्छी पगार मिलती है, किंतु अनऑर्गनाइज़ सेक्टर में काम करने वाले लोगों में तो 10,000 रुपये में भी काम करने वाले हैं, 15,000 रुपये में भी काम करने वाले हैं। वे 15,000 रुपये में क्या खाएंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे और घर कैसे बनाएंगे। वे जीवन में घर नहीं बना सकते। सरकार को आने वाले दिनों में गंभीरता से सोचकर इस देश के हर नागरिक को घर देने की व्यवस्था हमें वॉर फुटिंग पे करनी पड़ेगी। हम इसे आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ मन बनाने की आवश्यकता है। अगर हम ऐसे कार्य करेंगे तो देश के लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात को गंभीरता से ले। शहर के लोगों को सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलती है। हमें आने वाले दिनों में इस पर सोचने की आवश्यकता है।

महोदय, प्रोवीडेंट फण्ड के ऑनलाइन होने के बाद में लोगों को इन दिनों जो परेशानी हो रही है, वह भी खत्म हो जाएगी। हमने पिछले दिनों देखा कि प्रधान मंत्री जी ने एक बहुत बड़ा काम किया कि जो भी व्यक्ति को प्रोवीडेंट फण्ड का पैसा लेने के लिए जाने से पहले वह जीवित है, इसका प्रमाण किसी नगर सेवक, एम.एल.ए. अथवा एम.पी. के पास से सर्टिफाइड करके जाना पड़ता था। उसको प्रधान मंत्री जी ने एक ही झटके में समाप्त कर दिया। अब वह स्वयं जाएगा तो उसको पैसा मिल जाएगा। हमने स्वयं देखा है कि प्रोवीडेंट फण्ड का पैसा रिटायरमेंट होने के बाद उनको 1-1 साल, 2-2 साल तक नहीं मिलता है, क्योंकि मैं नगर सेवक के रूप में व एम.एल.ए. के रूप में काम कर चुका हूं। सभापति जी आप भी वहां से आए हैं। रिटायरमेंट होने के बाद उनको 1-1 साल, 2-2 साल तक पैसा नहीं मिलता है, इस प्रकार की शिकायत लेकर बहुत सारे लोग आते थे।

अभी ऑनलाइन होने के बाद सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव आयेगा। बंडारू जी, मैं चाहता हूं कि रिटायरमैन्ट के बारे में हमें एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए कि जिसका वर्क रिकार्ड खराब होगा, जिसके खिलाफ कोई इंक्वायरी होगी, ऐसे लोगों को छोड़कर जो भी व्यक्ति रिटायर होता है तो रिटायरमैन्ट के साथ ही उसे उसका पैसा तुरंत मिल जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्योंकि रिटायरमैन्ट के बाद जब व्यक्ति घर पर जाता है तो वह स्वयं टूट जाता है, वह सोचता है कि मेरी नौकरी पूरी हो गई। उसके घर के लोग भी टूट जाते हैं। अगर रिटायरमैन्ट के साथ वह कुछ पैसा अपने घर ले जाकर अपनी बीवी-बच्चों को देगा तो उन्हें एक बड़ा रिलीफ मिल सकता है। मैं समझता हूं कि ऐसी व्यवस्था हमें आने वाले दिनों में करनी पड़ेगी।

महोदय, प्राइवेट मैम्बर बिल के माध्यम से प्रेमचंद्रन जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं, उसमें बहुत कुछ हुआ है और आगे बहुत कुछ होता हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने जो भावना

प्रकट की है कि टोटेलिटी में जो वर्कर या कामगार हैं, वे रिटायरमैन्ट के बाद आसानी से जी पायें, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

महोदय, 2014 के चुनाव के समय जब मैं टी.वी. देख रहा था तो उसमें सैंट्रल गवर्नमैन्ट की एक लेडी लेबर बता रही थी और उसने बहुत अच्छी प्रामाणिकता से अपनी बात रखी। उसने कहा कि मेरी पगार तो बहुत अच्छी है, लेकिन सारा पैसा महंगाई में चला जाता है। क्योंकि पिछली सरकार ने देश में जो वातावरण निर्माण किया था, पगार अच्छी होने का बावजूद भी, महंगाई भत्ता मिलने के बावजूद भी जितना पैसा मिलता था, वह पूरा महंगाई में चला जाता था। लेकिन देश के प्रधान मंत्री जी ने तीन सालों में देश में एक अच्छे वातावरण का निर्माण किया और हम महंगाई पर कंट्रोल कर पाये। 2014 के चुनाव के समय जो देश का वातावरण था और आज के वातावरण में बहुत बड़ा बदलाव आया है और देश के लोगों के मन में एक विश्वास जागा है कि आने वाले दिनों में और अच्छा होता जायेगा, लोगों के मन में यह विश्वास है। इसलिए प्रेमचंद्रन जी ने जो बातें रखी हैं, उन बहुत सारी बातों का समाधान इनडायरेक्टली मोदी जी की सरकार ने पिछले तीन सालों में किया है। इसके अलावा मोदी जी की योजनाएं पाइप लाइन में हैं, वे भी आने वाले एक साल में लोगों के सामने आ जायेंगी और दूसरे साल में इम्पलीमैन्ट होती हुई दिखाई देंगी।

महोदय, देश में चाहे अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर में काम करने वाले लोग हों, चाहे प्राइवेट सैक्टर में काम करने वाले लोग हों, सेमी-गवर्नमैन्ट में काम करने वाले लोग हों या केन्द्र सरकार में काम करने वाले लोग हों, यह सारा देश हम सबका है, ये सब हमारे लोग हैं और इन सारे लोगों की व्यवस्था करने के लिए यह बॉडी बनी है। इसलिए हम सबका यह दायित्व बनता है कि एक इलैक्टिड मैम्बर होने के नाते हमें पूरे समाज के लोगों के बारे में, टोटेलिटी के बारे में सोचने की आवश्यकता है।

अंत में, मैं प्रेमचंद्रन जी को इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने एक अच्छा बिल सदन में प्रस्तुत किया है, इसलिए हम उसमें सहभागी होते हैं, लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी, चाहे वह लाल बाउटा हो या जितनी भी यूनियन हों, हमारे भारतीय मजदूर संघ के लोगों ने जिस प्रकार से काम किया है, आज पूरे देश में यह सबसे बड़ी यूनियन है। लेकिन कंपनी, फैक्टरी कम से कम बंद हो, उसका ख्याल हमारे भारतीय मजदूर संघ के लोगों ने रखा। प्रेमचंद्रन जी, आप जिस विचारधारा से यहां तक आए हो, लाल बाउटा के लोगों ने सारी कंपनियों को बंद करने का काम किया और इसमें हजारों, लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं। आज स्थिति यह है कि आज लोगों को कम पगार मिलने के बावजूद भी कोई स्ट्राइक करने का नाम नहीं लेता है। हम लोग कभी-कभी एयर इंडिया में आते हैं, सभापति जी आप भी देखते होंगे, आज नौ-दस हजार रुपये महीने की सैलरी पर एयर इंडिया में टैम्परेरी वर्कर लोग काम करते हैं। एयर इंडिया जैसी व्यवस्था में इतनी कम पगार मिलने के बावजूद भी उनकी हिम्मत नहीं होती है कि वे किसी

यूनियनिस्ट के पास जाएं और स्ट्राइक करें। वे कहते हैं कि जो पगार खाने-पीने के लिए मिलती है, वही ठीक है। पिछले दशकों में देश में जो स्ट्राइक कल्चर पैदा किया गया, यह उसका नतीजा है, यह भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

मैं मानता हूं कि इस बिल के माध्यम से आने वाले दिनों में हमारे जो कामगार वर्ग हैं, जो हमारे भाई हैं, नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था खड़ी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद।

श्री अभिषेक सिंह (राजनंदगांव) : आदरणीय सभापति महोदय, आज एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर इस सदन में चर्चा हो रही है। इम्पलायी प्रोविडेंट फंड पेंशन के जो हितग्राही हैं, उनके वैलफेयर को लेकर, उनकी भलाई को लेकर सरकार क्या कदम उठा सकती है, उस पर एक रिजोल्यूशन आदरणीय प्रेमचंद्रन जी ने प्रस्तुत किया है। मैं उनको बधाई देता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उनका रिजोल्यूशन आया है और उस पर सदन के सभी सदस्यों ने अपनी भावनाएं और अपने तर्क रखे हैं। उनके आधार पर मैं उम्मीद करता हूं कि आदरणीय मंत्री जी और केन्द्र सरकार निश्चित रुप से आने वाले समय में इस दिशा में कुछ ठोस और मजबूत कदम उठायेगी।

वर्तमान में यदि हम भारत की ओर नजर उठाकर देखें तो आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। आज हमारी 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है, लेकिन यही बदलाव आने वाले दशकों में एक ऐसा अनुमान है कि 2050 तक भारत में जो बुजुर्गों की आबादी है, वह पूरी दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले अधिक हो जाने वाली है।

आज यह चर्चा इस सदन में हो रही है। वह आने वाले कल की परिस्थिति को देखते हुए कि हम अपने देश को, अपनी व्यवस्था को कैसे तैयार कर सकते हैं। आज हमारी अधिकतर लेबर फोर्स सामाजिक सुरक्षा के दायरे में नहीं है। हम कैसे आने वाले दशकों में अपनी 100 प्रतिशत वर्क फोर्स को सामाजिक सुरक्षा के दायरे के अन्दर ले आयें।

महोदय, यदि वर्तमान पर नजर डालें तो एम्प्लाई प्रोविडेंट फंड आर्गनाइजेशन और जो एम्प्लाई स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन है, उन दोनों आर्गनाइजेशंस को अम्ब्रेला के तहत जो योजनाएँ संचालित हैं, उनमें लगभग इस देश के 5 करोड़ के आसपास हितग्राही प्रभावित होते हैं, उसके अन्दर आते हैं। केन्द्र सरकार की मंशा है कि आने वाले सालों में, वर्ष 2030 तक, अखबार के पत्रकों में जो लेख था, उसके माध्यम से जो जानकारी मिली है, कि 50 करोड़ अतिरिक्त लेबर फोर्स को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए सरकार काम कर रही है। मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी को और आदरणीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि एक बहुत महत्वपूर्ण सोच, जिसके तहत इस देश की पूरी वर्किंग पॉपुलेशन आने वाले 15 साल से कम समय के अन्दर यदि सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आती है, तो कहीं न कहीं इस देश का जो सामाजिक सुरक्षा का आधार है, पूरे विश्व में और कम से कम 125 करोड़ की आबादी वाले भारत जैसे विविधता वाले देश में जो महत्वपूर्ण काम किया है, वह पूरे विश्व के लिए एक आदर्श होगा।

महोदय, हमें मालूम है कि आज भी इस देश में जो वर्क फोर्स है, 90 प्रतिशत वह अनआर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करती है। अनआर्गनाइज्ड सेक्टर में जब ये काम करते हैं, उसमें चाहे हमारे लोगों के घरों में

काम करने वाले लोग हों या छोटे-छोटे लघु और कुटीर उद्योग में काम करने वाले लोग हों या इंडस्ट्री में काम करने वाली लेबर फोर्स हो, जरूरत है कि इस पूरी लेबर फोर्स को एक सुनिश्चित योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा के दायरे पर मजबूती के साथ लाया जाये।

महोदय, उसी को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार आज से नहीं पिछले कई दशकों से प्रयास कर रही है। यह जो एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड है, जो वर्कर्स हैं, उनके रिटायर होने के बाद एक निश्चित आय की व्यवस्था उनके लिए हो सके और जब उनके पास कोई कठिन समय आये, चाहे वह बच्चों की शादी हो, उनकी शिक्षा हो या कभी घर खरीदने की जरूरत पड़े या कभी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई इमरजेंसी हो, ऐसे समय पर इस प्रोविडेंट फंड का उपयोग वे कर सकें। इंश्योरेंस के कवरेज में हमारी ज्यादा से ज्यादा आबादी आ सके और इस प्रावधान को इस देश की लगभग शत-प्रतिशत वर्क फोर्स तक ले जाने के लिए केन्द्र सरकार ने भी और नीति आयोग ने भी एक विजन और स्ट्रैटिजी डॉक्यूमेंट पर काम करना शुरू किया है। हम सब उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में वह विजन और स्ट्रैटिजी डॉक्यूमेंट लोक सभा के पटल पर इन सदस्यों के सामने आयेगा।

महोदय, पिछले कुछ सालों पर यदि हम नजर डालें तो यह जो ग्लोबल फाइनेन्शियल क्राइसेस सन् 2008 में इस दुनिया की अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ी, उस मंदी से इस दुनिया की जितनी मजबूत अर्थव्यवस्थायें हैं, विकसित देश हैं, कहीं न कहीं उन देशों ने अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव किया। चाइना के ग्रोथ की गति कम हुई, यूरोपियन यूनियन में भी ब्रिटेन के एग्जिट होने के बाद एक अनिश्चितता बनी और इसका जो प्रभाव पड़ा, इन देशों के ऊपर जो सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम चल रहे थे, उनके ऊपर दवाब पड़ा। इनमें से कई देश ऐसे हैं, जिन्होंने अपनी सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों में कटौती की, लेकिन वहीं अपवाद के रूप में भारत है, जिसने लगातार पिछले दो सालों में आदरणीय प्रधान मंत्री जी और एनडीए की सरकार के आने के बाद न सिर्फ अपने देश में एक बेहतर काम किया है, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भी अपनी एक विशेष पहचान बनाई है।

महोदय, एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था Melbourne Mercer Global Pension Index 2016 में एक सर्वे किया और उसके आधार पर यह पाया कि दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत ने अपने पेंशन के कार्यक्रम में सबसे बेहतर सुधार किया है। मैं चाहता हूँ कि पूरा सदन इसके लिए माननीय मंत्री जी को और माननीय प्रधान मंत्री को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनायें देता हूं।

महोदय, कहीं-न-कहीं केन्द्र सरकार की नीतियां, लगातार हो रहे सुधार और टैक्स पर इंसेंटिव, चाहे वह इन पेंशन योजनाओं में पैसा जमा करने के समय हो या पैसा निकालने के समय हो, इन नीतियों ने भारत के परफॉर्मेंस में लगातार सुधार लाने का काम किया है।

महोदय, एक बहुत बड़ा फैसला माननीय प्रधान मंत्री जी ने किया, जब उन्होंने इस बात को मंत्रालय के माध्यम से सुनिश्चित कराया कि इस देश में न्यूनतम पेंशन का जो फैसला 01 सितम्बर, 2014 को आया, उसमें प्रति माह न्यूनतम पेंशन की जो राशि थी, वह एक हजार रुपये की गयी। यह इस पूरे देश के लिए और खासकर, इस सेक्टर के लिए एक ऐतिहासिक फैसला था।

महोदय, यही नहीं, केन्द्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले किए और मैं चाहता हूं कि आज जब यह चर्चा हो रही है तो उसका उल्लेख करने का समय मुझे इस चर्चा के दौरान मिलेगा। पहले कर्मचारी भविष्य निधि में पात्रता के लिए अगर किसी की सैलरी प्रति माह 6,500 रुपये या उससे कम है, तभी वह पात्र होता था। इसमें एक बड़ा परिवर्तन करते हुए, क्योंकि महंगाई की दर जो लगातार बढ़ी, उसकी आवश्यकता महसूस करते हुए केन्द्र सरकार ने इसके लिए पात्रता की राशि को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ा कर 15,000 रुपये प्रति माह किया। उसके लिए भी माननीय प्रधान मंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को मैं बधाई देता हूं। सरकार इस पात्रता की राशि को और बढ़ाने पर विचार कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं और आज इस चर्चा के माध्यम से मांग भी करता हूं कि भविष्य में ई.पी.एफ. की पात्रता के लिए जो प्रति माह सैलरी है, उसे 15,000 रुपये से बढ़ा कर 25,000 रुपये किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा के इस दायरे में शामिल हो सकें।

महोदय, पिछले साल माननीय मंत्री जी ने स्वयं इनिशिएटिव लेकर अप्रैल और मई के माह में, हमारे पूरे देश में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जितने भी लेबरर्स हैं, उन सबको इस योजना के साथ जोड़ने के लिए दो माह तक लगातार प्रयास किया था। मैं उन्हें इसके लिए बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि चाहे वह छत्तीसगढ़ राज्य हो, जहां से मैं आता हूं या इस देश के अन्य राज्यों में काफी सफलता के साथ उसका क्रियान्वयन हुआ है।

महोदय, कई इंडस्ट्रीज, जो पहले इस योजना में शामिल नहीं थीं, उन्हें शामिल करने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है, चाहे वह फिशिंग हो, कॉफी हो, टोबैको हो, स्पाइसेज हों, डेंटल मेडिकल कॉलेज हों या फिर एन.आर.एच.एम. के तहत जो सोसायटीज़ संचालित हैं, उनको भी इस ई.पी.एफ. के कार्यक्रम में जोड़ने की सहमति केन्द्र सरकार ने दी है।

महोदय, अगर हम ट्रांसपैरेंसी की बात करें तो उसमें एक और बड़ा परिवर्तन आया है। ई.पी.एफ.ओ. की जो वेबसाइट है, उसमें प्रिंसिपल इम्प्लॉयर अपने कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉन्ट्रैक्टर्स की डिटेल्स

को अपलोड कर सकता है। इसके तहत सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कॉन्ट्रैक्टर्स जिन लेबरर्स को काम करने के लिए इम्प्लॉय कर रहा है, उनको भी ई.पी.एफ. के दायरे में लाया जा सके। एक ट्रांसपैरेंट व्यवस्था की शुरूआत माननीय प्रधान मंत्री जी ने की है।

महोदय, एक बड़ा विषय, जो न सिर्फ मैं, बल्कि मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने भी अपनी ओर से व्यक्त किया था। क्लेम सेटलमेंट एक ऐसा विषय था, जिसकी वज़ह से हम सब, जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं, सांसद के रूप में काम करते हैं, हमारा सबका अनुभव है कि अपना क्लेम पाने के लिए महीनों-सालों लग जाते थे और मज़दूर और वर्कर्स लगातार भटकते रहते थे। इस प्रक्रिया को बेहद सरल बनाने का प्रयास माननीय प्रधान मंत्री जी ने और माननीय मंत्री जी ने किया है, जिसके तहत क्लेम के जो फॉर्म्स थे, पहले जो फॉर्म नं. 19, फॉर्म नं. 10सी और फॉर्म नं. 31 होता था, जिसको भरना ही अपने आप में एक चुनौती होती थी, उसको बदलकर उसे 'आधार' से जोड़ दिया गया है। अपने ही सेटलमेंट के लिए फॉर्म को सर्टिफाई करने के लिए वे मज़दूर, वे श्रमिक, वे कर्मकार पहले भटकते रहते थे। पहली बार केन्द्र सरकार ने एक परिवर्तन किया है, जिसके तहत अब वह कर्मकार उस फॉर्म को सेल्फ सर्टिफाई कर सकता है। महोदय, यह एक छोटा-सा परिवर्तन जरूर दिखता है, लेकिन यदि हम इसके मूल में ध्यान दें तो इस सरकार की प्राथमिकता है कि यह सरकार अपने देश के नागरिकों पर भरोसा करना जानती है। उसी भरोसे को आधार बनाकर माननीय प्रधान मंत्री जी ने और माननीय मंत्री जी ने यह प्रयास किया है। मैं इस देश के उन करोड़ों कर्मकारों के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जो हमारे देश के श्रमिकों की ईमानदारी के ऊपर इस केन्द्र सरकार के भरोसे को दिखाता है।

महोदय, क्लेम सैटलमेंट की समय-सीमा, जिसमें सालों लग जाते थे, उसके लिए 20 दिन की अधिकतम समय-सीमा निर्धारित की गई है। कई बार हम सबके अनुभव में यह देखने में आया है कि इंप्लायर के पीछे-पीछे वह कर्मकार भटकता रहता था। उस फार्म को सत्यापित कराने के लिए उसके चक्कर काटता रहता था और इस माध्यम से उसका शोषण भी होता था। अब किसी कर्मचारी को इंप्लायर से सत्यापित कराने की आवश्यकता से मुक्ति मिल गई है। निश्चित रूप से यह जो बेसिक बदलाव है, वह कहीं न कहीं इस देश के नागरिकों के ऊपर और इस देश के उस वर्ग के ऊपर, जिसको बेहतर बनाना इस केन्द्र सरकार की प्राथमिकता है, इस सरकार का विश्वास और मजबूत कमिटमेंट दिखाता है।

महोदय, प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि सन् 2022 तक 125 करोड़ वाली आबादी के इस देश में हर परिवार के पास अपना खुद का एक पक्का मकान होगा और उसी भाव को बढ़ाते हुए 90 प्रतिशत तक

की राशि, जो ईपीएफ की है, उसको विदड्रा करने की अनुमति माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय मंत्री जी ने दी है, चाहे वह घर खरीदने के लिए हो या अपने घर की ईएमआई के लोन पमेंट के लिए हो।

यदि मैं सामाजिक सुरक्षा की बात करूं, तो पहले अधिकतम इंश्योरेंस की जो सीमा थी, जो किसी कर्मचारी को या किसी इंप्लाई को मिलती थी, वह 3 लाख 60 हजार रुपये थी। केन्द्र सरकार के बनने के बाद इसमें एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। वर्तमान में 6 लाख रुपये तक की राशि अधिकतम इंश्योरेंस में की गई है। यह एक बड़ा परिवर्तन है।

महोदय, मैं चाहता हूं कि मुझे थोड़ा समय और दें, क्योंकि जिस राज्य से मैं आता हूं, उस राज्य में राज्य सरकार ने अपने श्रमिकों, मजदूरों के उत्थान के लिए कई अच्छे काम किए हैं। समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए, उनके जीवन की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, उस अंतिम व्यक्ति के लिए चाहे कठिनाई आए, चाहे सामाजिक दायित्व आए, कैसे सरकार उनकी सहयोगी बन सकती है, इस भाव के साथ काम किया है। चाहे वे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हमारे श्रमिक, मजदूर हों या निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हों। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में एक कर्मकार मंडल बनाकर, यदि महिला श्रमिक है, जिसको अपने घर से काफी दूर तक जाने के लिए यात्रा करनी पड़ती है, तो उसकी सहूलियत के लिए, चाहे वह महिला हो या पुरूष हो, लगभग तीन हजार की राशि सीधे उसके खाते में जाएगी, जिसके माध्यम से वह साइकिल खरीद सकती है। इस तरह से उसके जीवन में एक सार्थक बदलाव लाने का कार्य किया है। यदि कोई महिला, स्वयं अपने घर पर या किसी आर्गनाइज्ड तरीके से 25 या 50 महिलाओं के ग्रुप में सिलाई का काम करती है तो सरकार से सिलाई मशीन की सहायता उस महिला, उस पूरे ग्रुप को मिल सके, इसके तहत प्रति सिलाई मशीन 4,600 रुपये उसके खाते में जाएंगे। ऐसा प्रावधान छत्तीसगढ़ में किया गया ।

जो साइकिल रिक्शा चलाते हैं, उनको अपडेट, बेहतर साइकिल रिक्शा देने की एक योजना, जिसमें 25 प्रतिशत राशि वह मेहनतकश मजदूर खुद लगता है और 75 प्रतिशत राशि का अनुदान, राज्य सरकार अधिकतम 5,000 रुपये तक करती है। यही नहीं साइकिल के माध्यम से जो हॉकर अखबार बांटते हैं, उनके लिए साइकिल की योजना बनाई गई है।

ऐसे समाज के वर्ग के लिए जब कभी कोई गंभीर बीमारी आती है, चाहे वह किडनी की हो, कैंसर की हो, लकवे की हो, सिकल सेल की हो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां सिकल सेल की अगर चर्चा करूं तो न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि वह पूरा क्षेत्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सिकल सेल का पूरे देश में एक बड़ा केन्द्र है। ऐसे मजदूरों की ऐसी बीमारियों के इलाज के लिए अधिकतम 50 हजार रुपये की राशि राज्य सरकार की ओर से मुहैय्या करायी जाती है।

महोदय, इस विषय पर मैं यह भी बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ इस देश का पहला राज्य है, जिसने यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस को अपनाया और हमारे राज्य में हर परिवार को 30 हजार रुपये और अप्रैल के माह से 50 हजार रुपये तक की राशि हर साल इलाज के लिए दी जाती है। हमारे शहरों में समाज के सफाई कर्मचारियों के बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके, उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। ऐसे बच्चों को कक्षा पहली से 1,000 रुपये से लेकर कॉलेज पहुंचने तक, उच्च शिक्षा में 15,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिले ताकि आने वाले समय में वे समय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बढ़ सकें, इस दिशा में हमारी सरकार प्रयास कर रही है।

इसके साथ ही सामूहिक विवाह एक ऐसा प्रयास है जिसमें अपने आप समाज की कई कुरीतियों का समाधान सामने आ जाता है। इसके तहत हर सामूहिक विवाह में शामिल होने वाले परिवार को बच्ची की शादी के लिए 15,000 रुपये तक की व्यवस्था सरकार के माध्यम से होती है।

राज मिस्त्री, इलैक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपैंटर, पेंटर आदि ऐसे श्रमिक हैं जो अपने पुरुषार्थ के बल पर न सिर्फ अपने परिवार का ध्यान रखते हैं बल्कि धीरे-धीरे आगे बढ़कर समाज के बीच खुद को स्थापित करते हैं। ऐसे लोगों के लिए राज्य सरकार द्वारा उपयोगी औजार भी देने की व्यवस्था की गई है।

इसके अलावा माननीय प्रधान मंत्री जी की सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति योजना, अटल पैंशन योजना का एक साक्षात उदाहरण बताना चाहता हूं। स्वाभाविक रूप से जब हम अपने-अपने क्षेत्र में घूमते हैं तो कई ऐसे उदाहरण सामने आते हैं। इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण इस योजना की सफलता का है। एक गरीब महिला भटकते हुए मेरे पास आई। उसने बताया कि उसके परिवार में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। दस दिन पहले उसके पति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसके दो छोटे बच्चे हैं। मुझे लगा कि वह कोई मदद मांगने आई होगी, लेकिन वह सिर्फ यह बताने आई थी कि मैं माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को बधाई देना चाहती हूं क्योंकि हमने सुरक्षा बीमा योजना का उपयोग किया था। आज मेरे पति नहीं हैं, लेकिन एक भाई के रूप में माननीय प्रधान मंत्री जी का सहयोग मेरे साथ है। मेरे परिवार को इस कठिन समय पर दो लाख रुपये की सहायता मिली है। देश के गरीब परिवार की कठिन परिस्थिति की महिला की दुआ इस देश के प्रधानमंत्री को लग रही है। निश्चित रूप से आने वाले समय में इस देश में यह सरकार कई महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी।

आज सदन में जो चर्चा हो रही है, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की अन्त्योदय योजना को सामने रखकर काम करने, इस देश के गरीब, वंचित, पिछड़े लोगों को ध्यान में रखकर काम करने की परम्परा रही है। यह चर्चा निश्चित रूप से इस सरकार के लिए सहयोगी और सकारात्मक सुझाव लेकर आएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद) : सभापति महोदय, यह महत्वपूर्ण गैर-सरकारी विधेयक कर्मचारियों के बारे में, उनके प्रॉविडैंट फंड के बारे में, उनकी पैंशन के बारे में है। जब व्यक्ति काम करते-करते अंतिम दिनों में पहुंचता है, तो प्रॉविडैंट फंड और पैंशन की उपयोगिता होती है। मैं जब पूरे भारतवर्ष की तस्वीर देखता हूं तो 17 करोड़ 14 लाख लोग प्रॉविडैंट फंड के खाताधारी हैं। जब इस इतिहास को देखते हैं, प्रॉविडैंट फंड का इतिहास 1952 से संशोधित विधेयक बना। पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए विधेयक बना, लेकिन लाइमस्टोन, मैंगनीज़, सोना माइन्स आदि के कर्मचारियों के लिए 1957 में उसमें समावेश किया गया। फिर 28 सितम्बर, 1957 को लेबर मंत्रालय ने पॉवर, अल्कोहल, सीमेंट इत्यादि का लगातार क्रम चलता रहा। आज अधिकांश क्षेत्रों में, यदि किसान की चर्चा छोड़ दें, तो उसे कवर करने का काम प्रोविडेंट फंड ने किया है। अभी मैं अभिषेक जी की बातों को सुन रहा था, शायद हम इम्पलीमेंटेशन की ओर जा रहे हैं, लेकिन अन्कलेम्ड मनी 27 हजार करोड़ रुपये है। यदि आप इसके पीछे के इतिहास को देखें, ये गरीब के पैसे हैं, जो कार्यालय में दौड़ता रहा और पैसा निकालने में सफल नहीं हो पाया।

मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं, चाहे कोयला कर्मचारी हों, फैक्ट्री में काम करने वाले हों, कल कारखाने में काम करने वाला हो, मेरे पास दो वृद्ध महिलाएं आईं, जिनकी उम्र 80 वर्ष होगी, मैंने पूछा कि मेरे पास क्यों आई हो? उसने कहा कि मैं दो बहन हूं, दोनों की शादी नहीं हुई थी, मेरे एक भाई थे, जिनकी भी शादी नहीं हुई थी और वह कारखाने में काम करते थे, अगर उनके प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युएटी के पैसे मिल जाएं तो हम दोनों बहनों की जिन्दगी पार हो जाएगी। मैं कोशिश करता रहा लेकिन उस पैसे को दिलाने में आज से आठ दस वर्ष पूर्व सफल नहीं हो पाया, वे भी इस दुनिया से चली गई होंगी।

प्रोविडेंट फंड में बहुत से नियोक्ता कल-कारखाने बंद करके चले गए। वामपंथी मित्र गैर-सरकारी विधेयक को लाए हैं, वे आंदोलन करके कल-कारखानों को बंद करा दिया। मैनेजमेंट और वर्कर्स के रिश्ते खराब हो गए, जब प्रोविडेंट फंड का फार्म नियोक्ता के पास हस्ताक्षर के लिए गया तो नियोक्ता हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं हुआ।

यह अच्छी बात है कि माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार और माननीय लेबर मिनिस्टर ने सेल्फ सर्टिफिकेशन की एक नई व्यवस्था खड़ी की है, अगर सेल्फ सर्टिफिकेशन की जरूरत है तो उसे देने का काम कर रहे हैं। आप भी जानते होंगे, आपके क्षेत्र में भी होगा, बहुत से विद्यालयों के लिए, किसी से ईंट मांगी, किसी से बालू मांगा, किसी से गिट्टी मांगी और उस विद्यालय को खड़ा किया, उसमें शिक्षक पढ़ा रहे हैं और मैनेजमेंट साइन करा रहा है, लेकिन वर्षों वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी एक पैसा नहीं मिला। वह स्कूल कॉलेज गांव-देहात में चलता है, किसी का प्रोविडेंट फंड जमा नहीं हुआ, 30 लाख, 40

लाख और 50 लाख रुपये फाइन हुआ, उस फाइन को माफ कौन करेगा, उस संस्थान को कौन देखेगा, इस तरह के अनेक उदाहरण हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, चाहे नियम में परिवर्तन हो, अगर नियोक्ता प्रोविडेंट फंड के शेयर को लेकर भाग जाता है या जमा नहीं करता है तो कानून के अनुसार उस पर एफआईआर होती है लेकिन जिस पीरियड का जमा नहीं किया उस पीरियड का इंट्रेस्ट वर्कस को कैसे मिले, इसकी चिंता करनी चाहिए। अनक्लेम्ड मनी और पेंशन के बारे में एक प्रश्न पर माननीय मंत्री जी का उत्तर मैं देख रहा था, उसमें कहा गया था कि 1000 रुपये पेंशन में भारत सरकार को 1.66 प्रतिशत पैसा अंशदान करना पड़ता है। अगर इसे 3000 रुपये किया जाएगा तो यह अंशदान 1.66 प्रतिशत से बढ़कर 8.33 प्रतिशत हो जाएगा, अर्थात इसमें चार से पांच गुना वृद्धि हो जाएगी। नीतिगत रूप से यह बात अच्छी लगती है, लेकिन इसके लिए 12,000 करोड़ रुपये या 14,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। माननीय मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्रेमचन्द्रन जी जैसे वामपंथियों की नीति है कि अराजकता फैलाओ और परिवर्तन के लिए क्रान्ति लाओ। जब तक भूखा इंसान रहेगा, दुनिया में तूफान रहेगा। यह भूखा इंसान बनाए रखने के लिए, सभी को लड़ाने के लिए, सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो कल्याणकारी कार्य चल रहे हैं, उनको रोकते हैं। कभी इतिहास में अटल पेंशन योजना जैसी योजना के बारे में सुना था कि सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्र में काम करने वाला, ठेले पर अपना सामान बेचने वाला या निजी क्षेत्र में काम करने वाला व्यापारी भी अपने को इसमें शामिल कर सकता है। यह काम सिर्फ माननीय मोदी जी की सरकार ने प्रारम्भ किया है।

अभी चर्चा हो रही थी कि हम किस तरह से गरीबों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, उससे भारत आज एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। इन सारे वेलफेयर के कामों को एक साथ पूरा कर दिया जाए। मैं समझता हूं कि पेंशन 1000 रुपये तय हुई है, अब मंत्री जी इसके बाद विचार करें कि इसको किस तरह से बढ़ा सकते हैं। हाउसिंग की बात आई है, अभी पता चला कि प्रॉविडेंट फण्ड से हाउसिंग लोन ले सकते हैं। इसकी घोषणा हुई है कि हम उसमें हाउसिंग लोन भी देंगे, लेकिन अनक्लेम्ड मनी से जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उनके लिए घर बन जाएं तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा। कोल माइन्स प्रॉविडेंट फण्ड के पास भी अनक्लेम्ड मनी बहुत है। पूर्व में जो व्यवस्था थी, उनके प्रॉविडेंट फण्ड कमिश्नर ने पैसा मुंबई में एक निजी बैंक आईसीआईसीआई बैंक में जमा कर दिया। हम लोग लिखते रहे, स्टैंडिंग कमेटी में यह बात उठाते रहे कि इसकी जांच हो कि किस अधिकारी से निजी बैंक में पैसा जमा किया गया। 45,000 करोड़ रुपये इस तरह से मुंबई में जमा किए गए। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच टीम वहां गयी और जांच टीम वापस आई, लेकिन उसके आगे सब लोग साइलेंट हो गए और कोई कार्रवाई नहीं

हुई। अब उस व्यवस्था से हम एक पारदर्शी व्यवस्था की ओर जा रहे हैं और एक स्पष्ट तस्वीर आपके सामने है। हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं, वह तस्वीर आपके सामने है।

प्रोविडेंट फंड 1995 में जो था, इसको पेंशन से जोड़ने का काम हुआ है। उसके पूर्व से प्रोविडेंट फंड रहा है लेकिन इस पेंशन की व्यवस्था में निश्चित रूप से बहुत विषमता है। मैं जब झारखंड सरकार में शिक्षा मंत्री था, उस समय वर्ष 2000 में 1600 करोड़ रुपये हमें एच.आर.डी. में मिलते थे और 700 करोड़ रुपये हम लोग पेंशन में देते थे और कहते थे कि योजना मद में हमारे पास कहीं पैसा उपलब्ध नहीं है और सारा पैसा गैर-योजना मद में है। राशि तो बहुत है, लेकिन यह विषमता निश्चित रूप से है।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा कि इसको कहीं न कहीं, यथासंभव ऊपर उठाने के लिए काम किया जाए। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि वर्ष 2019 तक यह हो जाएगा, लेकिन हमें लगता है कि वर्ष 2019 नहीं, अभी जी.एस.टी. लागू हुआ है, आमदनी बढ़ेगी और बढ़ रही है।

हमारे वित्त मंत्री अर्जुन मेघवाल जी हैं, वह कई प्रकार के उपाय कर रहे हैं। इसलिए हमारा सरकार से यही निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाए। धन्यवाद।

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : माननीय सभापति जी, श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा जो संकल्प लाया गया है और जिस संकल्प पर यहां चर्चा हो रही है, मेरा मानना है कि कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशनभोगियों का कल्याण सुनिश्चित करने की दिशा में कुछ कदम उठाने के लिए यहां पर चर्चा हो रही है।

मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा कदम है और कर्मचारियों के बारे में सबको अच्छे विचार रखने चाहिए। मेरे जिन सहयोगियों ने चर्चा की है, यहां सकारात्मक चर्चा हुई है। सब चाहते हैं कि कर्मचारियों, मजदूरों, गरीबों के लिए अच्छी-अच्छी योजनाएं चलें ताकि यहां का गरीब अपने पैरों पर खड़ा हो सके तथा नौजवानों और कर्मचारियों को भी किसी पर निर्भर न होना पड़े।

मैं प्रेमचन्द्रन जी से कहना चाहता हूं कि जब से केन्द्र की सरकार बनी है, नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बने हैं और हमारे जो श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय जी ने अपना पदभार संभाला है, तब से ही गरीब, मजदूरों की चिंता यह सरकार कर रही है। इसमें दो राय नहीं है कि हमारे गरीब मजदूरों और श्रमिकों की चिन्ता पहले नहीं की गई, इसीलिए ऐसे संकल्प इस सभा में लाये गये हैं। लेकिन पहले ऐसा होता था कि गरीब और गरीब होता जा रहा था और अमीर और अमीर होता जा रहा था। परंतु अब मोदी जी की सरकार में गरीब मजदूर और श्रमिकों के कल्याण के लिए कई उचित कदम उठाये हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि का जो लाभ है, वह कर्मचारियों को मिले। इसके लिए कई कदम इस सरकार ने उठाये हैं। विशेष तौर पर जो हमारे मंत्री हैं, उनके मंत्रालय द्वारा भी कई कदम उठाये गये हैं। हाल ही में, आपने देखा होगा कि पहले जो श्रमिक मजदूर थे, प्राइवेट सैक्टर में काम करने वाले थे, वे एक जगह काम करने के बाद दूसरी जगह काम करने में कतराते थे और सोचते थे कि यदि यहां से यह काम छोड़ दिया तो दूसरी जगह जाने पर हो सकता है कि जो हमारा भविष्य निधि का धन वह यहां पर काटा गया है, वह बाद में हमें मिले या न मिले। इसलिए एक जगह से मजबूरी के कारण अगर वे नौकरी छोड़ते थे तो उनको भविष्य निधि का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले जो श्रमिक परिशानियाँ झेलते थे, अब उन्हें झेलने की चिंता नहीं है। अपने भविष्य निधि की निकासी के लिए जिस कंपनी में वे काम करते थे, अब उनके चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। पिछली कंपनी से भविष्य निधि निकालने के लिए किसी प्रमाण की भी जरूरत नहीं है। यह सुविधा अब इस सरकार ने उनको दी है। यूएएन नम्बर कर्मचारियों को, श्रमिकों को सरकार द्वारा दिया गया है, इसका भी बहुत बड़ा लाभ कर्मचारियों को मिल सकता है। पीएफ निकालने के लिए नियोक्ता से मंजूरी लेना भी जरूरी नहीं होगा। कर्मचारियों को ईपीएफओ के नए नियमों के तहत पूर्व नियोक्ता कम्पनी से किसी तरह का दस्तावेज प्राप्त नहीं करना होगा। मजदूरों को पैसा निकलवाने के लिए भी किसी कम्पनी की सिफारिश या दूसरे लोगों के पास जाने की

जरूरत नहीं होगी। अब कर्मचारी श्रमिकों को चाहिए कि अपने पीएफ खाते को यूएएन के साथ जोड़ें और जो भी लाभ हैं, वे लें। जैसे हमारे वरिष्ठ सदस्य कह रहे थे कि अब तो लोन लेने की सुविधा भी सरकार ने दी है और अब 90 प्रतिशत राशि आप निकाल भी सकते हैं तथा जमा भी करवा सकते हैं। इसके अलावा अन्य लाभ भी कर्मचारियों को मिलना प्रारम्भ हो गए हैं।

वर्ष 2015-16 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च, 2016 को ईपीएफ सदस्यता खातों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से बदलाव इस नियम में किए गए हैं, आने वाले दिनों में इन खातों में और बढ़ोतरी होगी और हमारे जो मजदूर हैं, प्राइवेट काम करने वाले श्रमिक हैं, कर्मचारी हैं, कम्पनियों में और बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो लोग हैं, वे भी अपने खातों का लाभ ले सकते हैं और उन्हें इसका लाभ लेना भी चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि भारत के वेतन भोगी व्यक्तियों के लिए सबसे लाभदायक एवं लोकप्रिय निवेश है। सरकार ने हाल ही में नई सेवा शुरू की है, जिसकी मदद से कर्मचारी अपने भविष्य निधि खाते की राशि एक संस्था से दूसरी संस्था में ऑन लाइन स्थानांतरित कर सकते हैं। यह सबसे बड़ा लाभ कर्मचारियों और श्रमिकों को हमारी सरकार ने दिया है। वैसे तो कर्मचारी भविष्य निधि के बारे में चिंता कर रहे थे, लेकिन हमसे पहले की जो सरकारें रही हैं, शायद ही उन्होंने इस बारे में कभी चिंता की हो, इसलिए माननीय सदस्य ने यह संकल्प सदन में पेश किया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन ं और देश के गरीब लोगों को, किसानों को, श्रमिकों को, मजदूरों को और कर्मचारियों को यह बात भी बताना चाहता हूं और वे देख भी रहे हैं तथा महसूस भी कर रहे हैं कि जब से नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनी है, उन्होंने सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही भविष्य निधि की चिंता नहीं की है, बल्कि जो लोग कर्मचारी नहीं भी हैं, जैसे नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, किसान हैं और अति पिछड़ों के लिए इतनी योजनाएं चलाई हैं कि उनका भविष्य सुरक्षित होगा। प्रधान मंत्री जी ने पिछले दिनों एक स्कीम प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना लांच की थी और इसके अलावा भी कई दूसरी योजनाएं हैं, जिनका सीधा लाभ आम आदमी और गरीब आदमी को मिल सकता है। हम अगर पेंशन की बात करें तो पचास रुपए, सौ रुपए और ज्यादा से ज्यादा तीन सौ रुपया पेंशन दी जाती थी, लेकिन मोदी जी सरकार ने पहले दिन ही कहा था कि हमारी सरकार गरीबों के कल्याण करने वाली सरकार होगी और गरीबों के हितों की रक्षा हमारी सरकार करेगी। आपने देखा होगा कि हमारे दिव्यांग और बुजुर्गों को सौ या दो सौ रुपया पेंशन मिलती थी, अब उन्हें एक हजार रुपए की पेंशन दी जाती है।

<u>18.00 hours</u>

HON. CHAIRPERSON : Shri Jugal Kishore ji, you may continue your speech next time.

The House stands adjourned to meet again on Wednesday, the 5th April, 2017 at 11.00 a.m.

<u>18.01 hours</u>

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, April 5, 2017/ Chaitra 15, 1939 (Saka).